

जैन दर्शन-ग्रन्थमाला : तृतीय पुण्य

सकलयिता
द्विगुनलाल शास्त्री

○
प्रकाशक :
आदर्श साहित्य संघ
चूरू, राजस्थान
○

○
मुद्रक :
रेफिल आर्ट प्रेस
३१, बड़तला स्ट्रीट, कलकत्ता
○

सन् १९५८

प्रथम सस्करण — २०००
मूल्य — २ रु०, ५० नये पैसे

- मग्निदान ४८
 सचित १८
 सवर्ति ४६
 मयतिदान ४७,४८,४९,५०,५३
 सवर्ति गला ४१
 सयग ३६,६४
 सयमपोषक ३८,४१,४३,४३
 सयमपोषण ४२
 मयमोयवर्धक ५३
 ससारदशा २०,२४
 समारम्भोचक नमग्रदाय ५४
 सुमारी जीव २०
 सम्कार १४,१५,२१
 सात वेदनीय ३१
 माधुधर्म ३५
 सामाजिक अभ्युट्य ६०
 सामाजिक चर्या ४६
 सामाजिक धर्म ४६
 साहचर्य ६४
 साख्य ८,१०,१५,१८,२४
 सावत्सरिक दान ५३
 सुगति २५
 सुधोपा घटा ४४
 सुतैपणा ६४
 सूक्ष्म जीव ६८
 लेवा ६०
 सोषकम २२
 स्थानग ३४

आमुख

यह ग्रन्थ आचार्य श्री तुलसी द्वारा विरचित 'जैन सिद्धान्त दीपिका' की प्रस्तावना का परिवर्धित रूप है। इसमें जैन तत्त्व सम्बन्धी कुछ एक विषयों पर संक्षिप्त चिन्तन प्रस्तुत किया गया है।

जैन तत्त्वों पर अभी बहुत कम लिखा गया है। आज की भाषा और भावों में प्राचीन साहित्य को प्रस्तुत करने का एक ओर महत्त्वपूर्ण कार्य है, दूसरी ओर नया चिन्तन और नए साहित्य के निर्माण का महत्त्वपूर्ण कार्य है। आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा और निर्देशन में ये दोनों प्रयत्न सफल होंगे—यह हमारी दृढ़ आस्था है।

यह ग्रन्थ प्राचीन साहित्य को आज की भाषा में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। यह जैन दर्शन-ग्रन्थमाला का तीसरा पुष्प है।

मुनि दुलहराजजी ने इसकी शब्दानुक्रमणिका और पारिभाषिक शब्द-कोष लिख इसकी उपयोगिता बढ़ाने में योग दिया है।

आचार्य श्रीतुलसी

का
जन्म दिन,

}

मुनि नथमल -

कलकत्ता २०१६ कार्तिक शुक्ल २

प्रकाशकीय

जीवन एक शाश्वत स्रोत है, जिसका न आदि है, न अन्त | वे गहराई तक नहीं जाते, जो इसे एक सीमित परिधि में बांध सामयिक तथ्य भान लेते हैं। जीवन के इस सार्वदिक महोदधि में आत्म-साधना, अन्तर-बल और सतत अनुशीलन के सहारे गहरी हुवकियाँ ले मनीषियों ने जो इसका नवनीत निकाला, वह प्राणीभाव को जीवन-यात्रा पर सफलता पूर्वक आगे बढ़ते रहने में शक्ति और ओज प्रदान करता है, यदि उसका यथावत् सेवन किया जाय। यही तो वह तत्त्व-ज्ञान है, जिसके कारण भारत का मस्तक विश्व में सब से कॅचा है।

जगत् के जीवनोन्मेषी वाइमय में जैन तत्त्व-ज्ञान का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। जिन अर्थात् राग, द्वेष आदि शत्रुओं का परामर्श करने वाले आत्मवशी महाविजेता, उन द्वारा सर्वविद् दृष्टि से देखा गया और कहा गया तत्त्व जैन तत्त्व है। जो अहिंसा अनेकान्त और अपरिग्रह जैसे आदर्शों द्वारा वर्तमान युगीन विप्रम समस्याओं के समाधान का भी एक अप्रतिम हेतु बन सकता है। आवश्यकता है, उसके यथावत् स्फूर्ति से जगत् को अवगत कराने की।

जैन जगत् के महान् अधिनेता, वर्तमान युग के बहुश्रुत तत्त्व-व्रष्टा, अणुग्रह-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी के अन्तेवासी मुनि श्री नथमलजी द्वारा जैन तत्त्व-ज्ञान पर लिखित प्रस्तुत ग्रन्थ उनके गम्भीर अनुशीलन, प्रखर पाण्डित्य और सूक्ष्म पर्यावेक्षण का प्रतीक है। जैन संस्कृति और इतिहास के खण्डिम पर्व 'तेरापंथ-द्विशताब्दी समारोह' के अभिनन्दन में आदर्श साहिल संघ की ओर से इसका प्रकाशन करते हमें अत्यन्त हर्ष है।

आशा है, पाठक इससे तत्त्व-ज्ञान-लाभ करेंगे।

३, पोचुंगीज चर्च स्ट्रीट

कलकत्ता-१

जयचन्द्रलाल दफ्तरी

व्यवस्थापक

विषय-सूची

विषय

	पृष्ठ
आत्मिक दर्शनों की भित्ति—आत्मवाद	१
सत्य की परिभाषा	२
दर्शनिक परम्परा का इतिहास	२
आगम तर्क की कसौटी पर	५
तर्क का दुरुपयोग	५
दर्शन का मूल	६
दर्शनों का पार्थक्य	८
परिणामि नित्यत्ववाद	८
द्रव्य	१०
धर्म और अधर्म	१०
धर्म और अधर्म की यौक्तिक अपेक्षा	१२
आकाश	१३
काल	१३
पुद्गल	१३
शब्द	१४
जीव	१५
एक द्रव्य : अनेक द्रव्य	१५
लोक	१६
असरव्य द्वीप समुद्र और मनुष्य-क्षेत्र	१६
नव तत्व	१७
कर्मवाद	१८
कर्म की पौद्गलिकता	१९
आत्मा और कर्म का सम्बन्ध कैसे ?	२०
अनादि का अन्त कैसे ?	२०
फल की प्रक्रिया	२१
आत्मा स्वतन्त्र या कर्म के अधीन !	२१
क्षयोपशम	२२

लेख्या	२४
जातिवाद	२६
जाति और गोत्र-कर्म	३०
धर्म और पुण्य	३२
धर्म और लोक-धर्म	३५
अहिंसा और दया-दान	३८
अहिंसा और दया की एकता	३९
अहिंसा और दान की एकता	४१
लौकिक और लोकोत्तर	४२
दया के दो भेद	४४
दान के प्रकार	४७
दान का फल	४८
दान का विधान और निषेध	४९
असंयति-दान के अनिषेध का कारण	५०
उत्तरवर्ती साहित्य और असंयति-दान	५०
परम्परा भेद के ऐतिहासिक तथ्य	५१
दो परम्पराएँ	५१
अनुकूल्या दान पर एक दृष्टि	५२
बिश्व-चिकित्सा-संघ ने दया-प्रेरित हत्या की निन्दा की है	५५
सामाजिक पहलुओं का धार्मिक रूप	५६
लौकिक अलौकिक	६०
धर्म क्यों ?	६२
धर्म क्या है ?	६७
ग्रवृत्ति और निवृत्ति	६८
कृषि जो समाज की आवश्यकता है	७१
परिशिष्ट नं० १ (टिप्पणियाँ)	७७-१०३
परिशिष्ट नं० २ (पारिभाषिक शब्द कोष)	१०५-११८
परिशिष्ट नं० ३ (शब्दानुक्रमणिका)	११९-१४०

आस्तिक दर्शनों की मिति—आत्मवाद

“अनेक^१ व्यक्ति यह नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ ? मेरा पुनर्जन्म होगा या नहीं ? मैं कौन हूँ ? कहाँ से फिर कहाँ जाऊँगा ?”

इस जिजासा से दर्शन का जन्म होता है। धर्म-दर्शन की मूल-भित्ति आत्मा है। यदि आत्मा है तो वह है, नहीं तो नहीं। यहीं से आत्म-तत्त्व आस्तिकों का आत्मवाद बन जाता है। वाद की स्थापना के लिए दर्शन और उसकी सचाई के लिए धर्म का विस्तार होता है।

“अजानी^२ क्या करेगा, जबकि उसे श्रेय और पाप का ज्ञान भी नहीं होता” इसलिए “पहले^३ सत्य को जानो और वाद में उसे जीवन में उतारो ।”

भारतीय दार्शनिक पाद्मचाल्य दार्शनिक की तरह केवल सत्य का ज्ञान ही नहीं चाहता, वह चाहता है मोक्ष। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से कहती है—“जिससे^४ मैं अमृत नहीं बनती, उसे लेकर क्या करूँ । जो अमृतत्व का साधन हो, वही मुझे बताओ ।” कमलावती इच्छुकार को साधधान करती है—“हे नरदेव !” धर्म के सिवाय अन्य कोई भी वस्तु त्राण नहीं है ।” मैत्रेयी अपने पति से मोक्ष के साधनभूत अध्यात्म-ज्ञान की याचना करती है और कमलावती अपने पति को धर्म का महत्व बताती है। इस प्रकार धर्म की आत्मा में प्रविष्ट होकर वह आत्मवाद अध्यात्मवाद बन जाता है। यही स्वर उपनिषद् के अृपियों की बाणी में से निकला—“आत्मा^५ ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किए जाने योग्य है ।” तत्त्व यही है कि दर्शन का प्रारम्भ आत्मा से होता है और अन्त मोक्ष में। सत्य का ज्ञान उसका शरीर है और सत्य का आचरण उसकी आत्मा ।

सत्य की परिभाषा

प्रश्न यह रहता है कि सत्य क्या है ? जैन-आगम कहते हैं—“वही^१ सत्य है, जो जिन (आस और वीतराग) ने कहा है।” वैदिक सिद्धान्त में भी यही लिखा है—“आत्मा” जैसे गूढ़ तत्त्व का क्षीणदोष-यति—वीतराग ही साक्षात्कार करते हैं। उनकी वाणी अध्यात्मवादी के लिए प्रमाण है। क्योंकि वीतराग अन्यथाभाषी नहीं होते। जैसे कहा है—“असत्य^२ बोलने के मूल कारण तीन हैं—राग, द्वेष और मोह। जो व्यक्ति क्षीणदोष है—दोषत्रयी से मुक्त हो चुका, वह फिर कभी असत्य नहीं बोलता।”

“वीतराग अन्यथाभाषी नहीं होते” —यह हमारे प्रतिपाद्य का दूसरा पहलू है। इससे पहले उन्हे पदार्थ-समूह का यथार्थ ज्ञान होना आवश्यक है। यथार्थ ज्ञान उसी को होता है, जो निरावरण हो। निरावरण यानी यथार्थ-द्रष्टा, वीतराग-वाक्य यानी यथार्थ-चक्षुत्व, ये दो प्रतिशार्पे हमारी सत्यमूलक धारणा की समानान्तर रेखाएँ हैं। इन्हीं के आधार पर हमने आस के^३ उपदेश को आगम-सिद्धान्त माना है। फलितार्थ यह हुआ कि यथार्थ-ज्ञाता एवं यथार्थ-वक्ता से हमें जो कुछ मिला, वही सत्य है।

दार्शनिक परम्परा का इतिहास

स्वतन्त्र विचारकों का ख्याल है कि इस दार्शनिक परम्परा के आधार पर ही भारत में अन्ध-विश्वास जन्मा। प्रत्येक मनुष्य के पास बुद्धि है, तर्क है, अनुभव है; किर वह क्यों ऐसा स्वीकार करे कि यह अमुक व्यक्ति या अमुक शास्त्र की वाणी है, इसलिए सत्य ही है। वह क्यों न अपनी ज्ञान-शक्ति का लाभ उठाए। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा—“किसी ग्रन्थ को स्वतः प्रमाण न मानना, अन्यथा बुद्धि और अनुभव की ग्रामाशिकता जाती रहेगी।” इस उल्लंघन को पार करने के लिए हमें दर्शन-विकास के इतिहास पर विहंगम दृष्टि डालनी होगी।

वैदिकों का दर्शन-युग उपनिषद्-काल से शुरू होता है। आधुनिक अन्वेषकों के मतानुसार लगभग चार हजार वर्ष पूर्व उपनिषदों का निर्माण होने लग गया था। लोकमान्य तिलक ने मैन्युपनिषद् का रचना-काल ईसा से पूर्व १८८० से १६८० के बीच माना है। वौद्धों का दार्शनिक युग ईसा से पूर्व ५ वीं शताब्दी में शुरू होता है।

जैन तत्त्व चिन्तन

जैनों के उपलब्ध दर्शन का युग भी यही है, यदि हम भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा को इससे न जोड़ें। यहाँ यह बता देना अनावश्यक न होगा कि हमने जिस दार्शनिक युग का उल्लेख किया है, उसका दर्शन की उत्पत्ति से सम्बन्ध है। वस्तुबृत्या वह निर्दिष्ट काल आगम-प्रणायनकाल है। किन्तु दर्शन की उत्पत्ति आगमों से हुई है, इस पर थोड़ा आगे चल कर कुछ विशद रूप में बताया जायगा। इसलिए प्रस्तुत विषय में उस युग को दार्शनिक युग की सज्जा दी गई है। दार्शनिक ग्रन्थों की रचना तथा पुष्ट प्रामाणिक परम्पराओं के अनुसार तो वैदिक, जैन और वौद्ध प्रायः सभी का दर्शन-युग लगभग विक्रम की पहली शताब्दी या उससे एक शती पूर्व प्रारम्भ होता है। उससे पहले का युग आगम-युग ठहरता है। उसमें ऋषि उपदेश देते गये और वे उनके उपदेश 'आगम' बनते गये। अपने-अपने प्रवर्तक ऋषि को सत्य-द्रष्टा कहकर उनके अनुयायियों द्वारा उनका समर्थन किया जाता रहा। ऋषि अपनी स्वतन्त्र वाणी में बोलते—‘मैं’ यों कहता हूँ। दार्शनिक युग में यह बदल गया। दार्शनिक बोलता है—‘इसलिए यह यों है’। आगम-युग श्रद्धा-प्रधान था और दर्शन-युग परीक्षा-प्रधान। आगम-युग में परीक्षा की और दर्शन-युग में श्रद्धा की अत्यन्त उपेक्षा नहीं हुई। न हो भी सकती है। इसी बात की सूचना के लिए ही यहाँ श्रद्धा और परीक्षा के आगे प्रधान शब्द का प्रयोग किया गया है। आगम में प्रमाण के लिए पर्याप्त स्थान सुरक्षित है। जहाँ हमें आज्ञा-रुचि^{१२} एवं संक्षेप-रुचि^{१३} का दर्शन होता है, वहाँ विस्तार-रुचि^{१४} भी उपलब्ध होती है। इन रुचियों के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि दर्शन-युग या आगम-युग असुक-असुक समय नहीं किन्तु व्यक्तियों की योग्यता है। दार्शनिक युग अर्थात् विस्तार-रुचि की योग्यतावाला व्यक्ति, आगम-युग अर्थात् आज्ञा-रुचि या संक्षेप-रुचि वाला व्यक्ति। प्रकारान्तर से देखें तो दार्शनिक यानी विस्तार-रुचि, आगमिक यानी आज्ञा-रुचि। दर्शन के हेतु बतलाते हुए वैदिक ग्रन्थकारों ने लिखा है—“श्रौत^{१५} वाक्य सुनना, युक्ति द्वारा उनका मनन करना, मनन के बाद सतत-चिन्तन करना, ये सब दर्शन के हेतु हैं।” विस्तार-रुचि की व्याख्या में जैन सूत्र कहते हैं—“द्रव्यो^{१६} के सब भाव यानी विविध पहलू प्रलक्ष, परोक्ष आदि प्रमाण एवं नैगम आदि नय—सभीकृक, दृष्टियों से जो जानता है, वह विस्तार-रुचि है।” इसलिए यह व्याप्ति बन सकती है कि आगम में दर्शन है और दर्शन में आगम। तात्पर्य की हाइट से देखें तो अत्यनुद्धि

व्यक्ति के लिए आज भी आगम-युग है और विशद-बुद्धि व्यक्ति के लिए पहले भी दर्शन-युग था। किन्तु एकान्ततः यों मान लेना भी संगत नहीं होता। चाहे कितना ही अल्प-बुद्धि व्यक्ति हो, कुछ न कुछ तो उसमें परीक्षा का भाव होगा ही। दूसरी और विशद-बुद्धि व्यक्ति के लिए भी श्रद्धा आवश्यक होगी ही। इसीलिए आचार्यों ने बताया है कि आगम और प्रमाण, दूसरे शब्दों में श्रद्धा और युक्ति—इन दोनों के समन्वय से ही इष्ट में पूर्णता आती है अन्यथा सत्यदर्शन की इष्ट अधूरी ही रहेगी।

विश्व में दो प्रकार के पदार्थ हैं—“ऐन्द्रियिक^{१७} और अतीन्द्रिय। ऐन्द्रियिक पंदार्थों को जानने के लिए युक्ति और अतीन्द्रिय पदार्थों को जानने के लिए आगम—ये दोनों मिल हमारी सत्योन्मुख इष्ट को पूर्ण बनाते हैं।” यहाँ हमें अतीन्द्रिय को अहेतुगम्य पदार्थ के अर्थ में लेना होगा अन्यथा विषय की संगति नहीं होती क्योंकि युक्ति के द्वारा भी बहुत सारे अतीन्द्रिय पदार्थ जाने जाते हैं। सिर्फ अहेतुगम्य पदार्थ ही ऐसे हैं, जहाँ कि युक्ति कोई काम नहीं करती। हमारी इष्ट के दो अंगों का आधार भावों की द्विविधता है। शेषत्व की अपेक्षा पदार्थ दो भागों में विभक्त होते हैं—हेतुगम्य^{१८} और अहेतुगम्य। जीव का अस्तित्व हेतुगम्य है। स्वसंवेदन-प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणों से उसकी सिद्धि होती है। स्वप्न को देखकर रस का अनुमान, सघन वादलों को देखकर वर्षा का अनुमान होता है, यह हेतुगम्य है। पृथक्कार्यिक जीव श्वास लेते हैं, यह अहेतुगम्य है—आगमगम्य है। अभव्य जीव मोक्ष नहीं जाते किन्तु क्यों नहीं जाते, इसका युक्ति के द्वारा कोई कारण नहीं बताया जा सकता। सामान्य युक्ति में भी कहा जाता है—‘स्वभावे तार्किका भग्नाः।’ “स्वभाव^{१९} के सामने कोई प्रभ नहीं होता। अग्नि जलती है, आकाश नहीं—यहाँ तर्क के लिए स्थान नहीं है।”

आगम और तर्क का जो पृथक्-पृथक् ज्ञेत्र बतलाया है, उसको मानकर चले बिना हमें सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी सम्यूर्ण^{२०} इष्ट के लिए उपदेश और तर्कपूर्ण मनन तथा निदिध्यासन की आवश्यकता बतलाई है। जहाँ श्रद्धा या तर्क का अतिरंजन होता है, वहाँ ऐकान्तिकता आ जाती है। उससे अभिनिवेश—आग्रह या मिथ्यात्व पनपता है। इसीलिए आचार्यों ने बताया है कि “जो^{२१} हेतुवाद के पक्ष में हेतु का प्रयोग करता है, आगम के पक्ष में आगमिक है, वही स्व-सिद्धान्त का जानकार है। जो इससे चिपरीत चलता है, वह सिद्धान्त का विराघक है।”

आगम तर्क की कसीटी पर

यदि कोई एक ही द्रष्टा, वृषि या एक ही प्रकार के आगम होते तो आगमों को तर्क की कसीटी पर चढ़ने की धड़ी न आती। किन्तु अनेक मतवाद हैं, अनेक वृषि। किसकी बात मानें किसकी नहीं, यह प्रब्रह्म लोगों के सामने आया। धार्मिक मतवादों के इस पारस्परिक संघर्ष में दर्शन का विकास हुआ।

भगवान् महावीर के समय^{३२} में ही ३६३ मतवादों^{३३} का उल्लेख मिलता है। वाद में उनकी शाखा-प्रशाखाओं का विस्तार होता गया। स्थिरि ऐसी बनी कि आगम की साक्षी से अपने सिद्धान्तों की सचाई बनाये रखना कठिन हो गया। तब प्रायः सभी प्रमुख मतवादों ने अपने तत्त्वों को व्यवस्थित करने के लिए युक्ति का सहारा लिया। “विज्ञानमय^{३४} आत्मा का धद्वा ही सिर है” यह सूत्र “वेदवाणी^{३५} की प्रकृति बुद्धिगूर्वक है” इससे जुड़ गया। “जो द्विज^{३६} धर्म के मूल—श्रुति और सृष्टि का तर्क-शास्त्र के सहारे अपमान करता है, वह नास्तिक और वेद-निन्दक है। साधुजनों को उसे समाज से निकाल देना चाहिए।” इसका स्थान गौण होता चला गया और “जो^{३७} तर्क से वेदार्थ का अनुसन्धान करता है, वही धर्म को जानता है, दूसरा नहीं” इसका स्थान प्रमुख ही चला। आगमों की सलता का भाग्य तर्क के हाथ में आ गया। चारों ओर ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोध’ यह उक्ति गूजने लगी। वही^{३८} धर्म सत्य माना जाने लगा, जो कप, छेद और ताप सह सके। परीक्षा के सामने अमुक व्यक्ति या अमुक व्यक्ति की वाणी का आधार नहीं रहा, वहाँ व्यक्ति के आगे युक्ति की उपाधि लगानी पड़ी—‘युक्तिमद्^{३९} वचन यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः।’ भगवान् महावीर, महात्मा बुद्ध या महर्पिं व्यास की वाणी है, इसलिए सत्य है या इसलिए मानो, यह बात गौण ही गई। हमारा सिद्धान्त युक्तियुक्त है, इसलिए सत्य है—इसका प्राधान्य^{३०} हो गया।

तर्क का दुरुपयोग

ज्योञ्ज्यो धार्मिकों में मत-विस्तार की भावना बढ़ती गई, ज्योञ्ज्यो तर्क का क्षेत्र व्यापक बनता चला गया। न्यायसूक्तकार ने वाद^{३१}, जल्य और वितण्डा को तत्त्व बताया। ‘वाद’^{३२} को तो प्रायः सभी दर्शनों में स्थान मिला। जयपराजय की व्यवस्था भी मान्य हुई, भले ही उसके उद्देश्य में कुछ अन्तर रहा हो। आचार्य और

शिष्य के वीच होने वाली तत्त्व-चर्चा के द्वेष में बाद फिर भी विशुद्ध रहा। किन्तु जहाँ दो विरोधी मतानुयायियों में चर्चा होती, वहाँ बाद अधर्मवाद से भी अधिक विकृत बन जाता। मण्डन मिथ्र और शङ्कराचार्य के वीच^{३३} हुए बाद का वर्णन इसका ज्वलन्त प्रमाण है। आचार्य सिद्धसेन ने महान् तार्किक होते हुए भी शुष्क बाद के विषय में विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि “श्रेयस्^{३४} और बाद की दिशाएँ भिन्न हैं।”

भारत में पारस्परिक विरोध बढ़ाने में शुष्क तर्कवाद का प्रमुख हाथ है।

“तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना

नैको सुनिर्यस्य वचः प्रसाणम्”^{३५}

युधिष्ठिर के ये उद्गार तर्क की अस्थिरता और मतवादों की बहुलता से उत्पन्न हुई जटिलता के सूचक हैं। मध्यस्थ वृत्ति वाले आचार्य जहाँ तर्क की उपयोगिता मानते थे, वहाँ शुष्क^{३६} तर्कवाद के विरोधी भी थे।

प्रस्तुत विषय का उपराहार करने के पूर्व हमें उन पर टप्पि डालनी होगी, जो सत्य के दो रूप हमें इस विवरण से मिलते हैं—(१) आगम को प्रमाण मानने वालों के मतानुसार जो सर्वज्ञ ने कहा है वह, तथा जो सर्वज्ञकथित है और युक्ति द्वारा समर्थित है वह, सत्य है। (२) आगम को प्रमाण न माननेवालों के मतानुसार जो तर्कसिद्ध है, वही सत्य है। किन्तु सूहम्, व्यवहित, अतीन्द्रिय तथा समावसिद्ध पदार्थों की जानकारी के लिए युक्ति कहाँ तक कार्य कर सकती है, यह श्रद्धा को सर्वथा अस्वीकार करनेवालों के लिए चिन्तनीय है। हम तर्क की ऐकान्तिकता को दूर कर दें तो वह सत्यसन्धानात्मक प्रवृत्ति के लिए दिव्य-चल्लु है। धर्म-दर्शन आत्म-शुद्धि और तत्त्व-व्यवस्था के लिए है, आत्म-वश्ना या दूसरों को जाल में फँसाने के लिए नहीं, इसीलिए दर्शन का द्वेष सत्य का अन्वेषण होना चाहिये। भगवान् महावीर के शब्दों में “सत्य^{३७} ही लोक में सारभूत है।” उपनिषद्कार के शब्दों में सत्य^{३८} ही ब्रह्म-चिदा का अधिष्ठान और परम लक्ष्य है। “आत्महितेच्छु^{३९} पुरुष असत्य, चाहे वह कहीं हो, को छोड़ सत्य को ग्रहण करे।” कवि भोज यति की यह माध्यस्थ्यपूर्ण उक्ति प्रत्येक तार्किक के लिए मननीय है।

दर्शन का मूल

‘दर्शन’ तार्किक विचार पद्धति, तत्त्वज्ञान^{४०}, विचार-प्रयोजक ज्ञान^{४१} अथवा परीक्षा-विधि^{४२} का नाम है। उसका मूल उद्गाम कोई एक वस्तु या सिद्धान्त होता है। जिस

वस्तु या सिद्धान्त को लेकर घौसिक विचार किया जाये, उसी का वह (विचार) दर्शन बन जाता है—जैसे राजनीति-दर्शन, समाज-दर्शन, आत्म-दर्शन (धर्म-दर्शन) आदि-आदि ।

यह सामान्य स्थिति या आधुनिक स्थिति है । पुरानी परिभाषा इतनी व्यापक नहीं है । ऐतिहासिक हृषि के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 'आत्मा से सम्बन्ध रखने वाले विचार' के अर्थ में हुआ है । दर्शन यानी वह तत्त्व-ज्ञान, जो आत्मा, कर्म, धर्म, सर्व, नरक आदि का विचार करे ।

आगे चलकर धृहस्पति का लोकायत मत और अजितकेश-कम्बली का उच्छ्वेदवाद तथा तजीव-तच्छ्रीरिखाद^{४३} जैसी नास्तिक विचार-धाराएँ समने आईं । तब दर्शन का अर्थ कुछ व्यापक हो गया । वह सिर्फ आत्मा से ही चिपटा न रह सका । दर्शन यानी विश्व की मीमांसा, अस्तित्व या नास्तित्व का विचार अथवा सत्य-शोध का साधन । पार्श्वात्म दार्शनिकों की, विशेषतः कार्ल मार्क्स की विचारधारा के आधिर्भव ने दर्शन का द्वेष और अधिक व्यापक बना दिया । जैसा कि मार्क्स ने कहा है—“दार्शनिकों^{४४} ने जगत् को समझने की चेष्टा की, प्रभ यह है कि उसका परिवर्तन कैसे किया जाय ।” मार्क्स-दर्शन विश्व और समाज दोनों के तत्त्वों का विचार करता है । वह विश्व को समझने की अपेक्षा समाज को बदलने में दर्शन की अधिक सफलता मानता है । आस्तिकों ने समाज पर कुछ भी विचार नहीं किया, यह तो नहीं, किन्तु हौं, धर्म-कर्म की भूमिका से हटकर उन्होंने समाज को नहीं तोला । उन्होंने अभ्युदय की सर्वथा उपेक्षा नहीं की, फिर भी उनका अतिम लक्ष्य निःश्रेयस रहा ।

कहा भी है—

यदास्युदयिकञ्चैव, नैश्रेयसिकमेव च ।
सुस्स साधयितुं मार्ग, दक्षयेत् तद् हि दर्शनम् ॥

नास्तिक धर्म-कर्म पर तो नहीं रुके, किन्तु फिर भी उन्हें समाज-परिवर्तन की बात नहीं सूझती । उनका पच्च प्रायः खण्डनात्मक ही रहा । मार्क्स ने समाज को बदलने के लिए ही समाज को देखा । आस्तिकों का दर्शन समाज से आगे चलता है । उसका लक्ष्य है—शरीर-सुक्ति—पूर्ण सतत्वता—मोक्ष ।

नास्तिकों का दर्शन ऐहिक सुख-सुविधाओं के उपभोग में कोई खामी न रहे,

इसलिए आत्मा का उच्छ्रेद साधकर रुक जाता है। मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का लक्ष्य है—समाज की वर्तमान अवस्था का सुधार। अब हम देखते हैं कि दर्शन शब्द जिस अर्थ में चला, अब उसमें नहीं रहा।

हरिभद्रसूरि ने वैकल्पिक^{४५} दशा में चार्वाक मत को छह दर्शनों में स्थान दिया है। माकर्स-दर्शन भी आज लघुप्रतिष्ठि है, इसलिए इसको दर्शन न मानने का आग्रह करना सत्य से अँखें मंदने जैसा है।

दर्शनों का पार्थक्य

दर्शनों की विविधता या विविध-विषयता के कारण 'दर्शन' का प्रयोग एकमात्र आत्म-विचार सम्बन्धी नहीं रहा। इसलिए अच्छा है कि विषय की सूचना के लिए उसके साथ मुख्यतया स्वविषयक विशेषण रहे। आत्मा को मूल मानकर चलने वाले दर्शन का मुख्यतया प्रतिपाद्य विषय धर्म है। इसलिए आत्ममूलक दर्शन की 'धर्म-दर्शन' संज्ञा रखकर चलें तो विषय-प्रतिपादन में बहुत सुविधा होंगी।

धर्म-दर्शन का उत्तम आसवाणी—आगम है। ठीक भी है—आधारशब्द्य विचार-पद्धति किसका विचार करे, सामने कोई तत्त्व नहीं तब किसकी परीक्षा करे १ प्रत्येक दर्शन अपने मान्य तत्त्वों की व्याख्या से शुरू होता है। साध्य या जैनदर्शन, नैयायिक या वैशेषिक दर्शन, किसी को भी लें, सबमें खामियत २५, ६, १६ वा ६ तत्त्वों की ही परीक्षा है। उन्होंने ये अमुक-अमुक संख्यावद्ध तत्त्व क्यों माने, इसका उत्तर देना दर्शन का विषय नहीं, क्योंकि वह सत्य-द्रष्टा तपस्त्रियोंके साक्षात्-दर्शन का परिणाम है। माने हुए तत्त्व सत्य हैं या नहीं, उनकी संख्या संगत है या नहीं, यह बताना दर्शन का काम है। दर्शनिकों ने ठीक यही किया है। इसीलिए यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि दर्शन का मूल आधार आगम है। वैदिक निःस्कार इस तथ्य को एक घटना के स्तर में व्यक्त करते हैं—“ऋषियोऽ॑ के उल्कमण्ण करने पर भनुष्यो ने देवताओं से पूछा—अब हमारा ऋषि कौन होगा? तब देवताओं ने उन्हे तर्क नामक से उत्तर—अब हमारा ऋषि कौन होगा? तब देवताओं ने किं ऋषियों के समय में ऋषि प्रदान किया।” संक्षेप में ‘सार इतना ही है कि ऋषियों के समय में आगम का प्राधान्य रहा। उनके अभाव में उन्होंने की वाणी के-आधार पर दर्शन-शास्त्र का विकास हुआ।

परिणामि-नित्यत्वबाद

आगम की परिभाषा में जो गुण^{४७} का आश्रय, अनन्त गुणों का अखण्ड पिण्ड है, वही द्रव्य है अथवा जो सत्^{४८} है—उत्पाद^{४९}, व्यय श्रौत्य युक्त है, वही द्रव्य है। इनमें पहली परिभाषा स्वरूपात्मक है और दूसरी अवस्थात्मक। प्रस्तुत ग्रन्थ में गुण और पर्याय^{५०} का आश्रय द्रव्य है यह उक्त दोनों आगमिक परिभाषाओं का सार है—दोनों के समन्वय का तात्पर्य है—द्रव्य को परिणामि-नित्य स्थापित करना।

द्रव्य में दो प्रकार के धर्म होते हैं—सहभावी (यावत्-द्रव्यभावी)—गुण और क्रमभावी—पर्याय। बौद्ध सत् द्रव्य को एकान्त-अनित्य, (निरन्वय-क्षणिक—केवल उत्पाद-विनाश-स्वभाव) मानते हैं, उस सिंहति में वेदान्ती सत्यार्थ-ब्रह्म को एकान्त नित्य। पहला परिवर्तनबाद है तो दूसरा नित्यसत्तावाद। जैन दर्शन इन द्वोनों का समन्वय कर परिणामि-नित्यत्वबाद स्थापित करता है, जिसका आशय यह है कि सृत्ता भी है और परिवर्तन भी—द्रव्य उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी, तथा इस परिवर्तन में उसका अस्तित्व भी नहीं मिटता। उत्पाद और विनाश के बीच यदि कोई स्थिर आधार न हो तो हमें सजातीयता—‘यह वही है’, का अनुभव नहीं हो सकता। यदि द्रव्य निर्विकार ही ही तो विश्व की विविधता संगत नहीं हो सकती। इसलिए ‘परिणामि-नित्यत्व’ जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। इसकी तुलना रासायनिक विज्ञान के द्रव्याक्षरत्वबाद से होती है। उसका स्थापन सन् १७८९ में (Lavoisier) नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया था। उसका आशय यह है कि विश्व में द्रव्य का परिणाम सदा समान रहता है। उसमें कोई न्यूनाधिक्य नहीं होता। न किसी द्रव्य का सर्वथा नाश होता है और न किसी सर्वथा नये द्रव्य की उत्पत्ति। साधारण दृष्टि से जिसे हम द्रव्य का नाश हो जाना समझते हैं, वह उसका रूपान्तर में परिणामन मात्र है। उदाहरण के लिए कोयला जलकर राख हो जाता है, उसे हम साधारणतया नाश हो गया कहते हैं—परन्तु वह वस्तुतः नाश नहीं हुआ बल्कि वायु मण्डल के आंकितज्ञ अश के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिंड गैस (Carbonic Acid Gas) के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार शक्ति या नमक को पानी में धोले दिया जाये तो वह उनका भी नाश नहीं, बल्कि ठोस से द्रव रूप में परिणति मात्र समझनी चाहिए। किसी नवीन वस्तु को उत्पन्न होते देखते हैं . . . वह भी वस्तुतः किसी पूर्ववर्ती वस्तु का रूपोन्तर मात्र है। आज द्रव्याक्षरत्वबाद का यह सिद्धान्त रासायनिके

विज्ञान का वहुत महत्वपूर्ण सिद्धान्त समझा जाता है और तुला यन्त्र द्वारा किसी भी समय उसकी सचाई की परीक्षा की जा सकती है।

पुष्प नित्य है और प्रकृति परिणामि-नित्य, इस प्रकार सांख्य भी नित्यानित्य-त्वबाद खीकार करता है। नैयायिक और वैशेषिक परमाणु, आत्मा आदि को नित्य भानते हैं तथा घट, पट आदि को अनित्य। समूहापेक्षा से ये भी परिणामि-नित्यत्वबाद को खीकार करते हैं किन्तु जैन दर्शन की तरह द्रव्य भाव को परिणामि-नित्य नहीं मानते। महर्षि पतञ्जलि, कुमारिल भट्ट, पार्थसार मिश्र आदि ने 'परिणामि-नित्यत्वबाद' को एक स्पष्ट सिद्धान्त के रूप में खीकार नहीं किया, फिर भी उन्होंने इसका प्रकारान्तर से पूर्ण समर्थन^{३१} किया है। जैन-दर्शन के अनुसार जड़ या चेतन, प्रत्येक पदार्थ ऋयात्मक है—उत्पाद-व्यय-ध्रीव्ययुक्त^{३२} है। इसी का नाम परिणामि-नित्यत्व है।

द्रव्य

द्रव्य छह हैं :—

- १ : धर्मास्तिकाय ।
- २ : अधर्मास्तिकाय ।
- ३ : आकाशास्तिकाय ।
- ४ : काल ।
- ५ : पुद्गलास्तिकाय ।
- ६ : जीवास्तिकाय ।

भगवान् ने कहा—“गौतम ! गति-सहायक द्रव्य को मैं धर्म कहता हूँ। स्थिति-सहायक द्रव्य को मैं अधर्म कहता हूँ। आधार देने वाले द्रव्य को मैं आकाश कहता हूँ। परिवर्तन के निमित्तमूल द्रव्य को मैं काल कहता हूँ। स्पर्श, रस, गन्ध और रूपयुक्त द्रव्य को मैं पुद्गल कहता हूँ। चेतनावान् द्रव्य को मैं जीव कहता हूँ।”

धर्म और अधर्म

जैन-साहित्य में जहाँ धर्म-अधर्म शब्द का प्रयोग शुभ-अशुभ प्रवृत्तियों के अर्थ में होता है, वहाँ दो स्तन्त्र द्रव्यों के अर्थ से भी होता है। धर्म-गति-तत्त्व है, अधर्म हीत है, वहाँ दो स्तन्त्र द्रव्यों के अर्थ से भी होता है। धर्म-गति-तत्त्व है, अधर्म हीत है, जैन दर्शन के सिद्धाय किसी ने भी इनकी स्थिति-स्थिति-तत्त्व। दर्शनिक जगत् में जैन दर्शन के सिद्धाय किसी ने भी इनकी स्थिति-

नहीं मानी है। वैज्ञानिकों में सबसे पहले न्यूटन ने गति-तत्त्व (Medium of motion) को स्थीकार किया है। प्रसिद्ध गणितज्ञ अलवर्ट आइस्टीन, ने भी गति-तत्त्व स्थापित किया है—“लोक परिमित है। लोक के परे अलोक अपरिमित है। लोक के परिमित होने का कारण यह है कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती। लोक के बाहर उस शक्ति का—द्रव्य का अभाव है, जो गति में सहायक होता है।” वैज्ञानिकों द्वारा सम्मत ईथर (Ether) गति-तत्त्व का ही दूसरा नाम है। जहाँ वैज्ञानिक अध्यापक छात्रों को इसका अर्थ समझाते हैं, वहाँ ऐसा लगता है, मानो कोई जैन गुरु शिष्यों के सामने धर्म-द्रव्य की व्याख्या कर रहा हो। हवा से रिक्त नालिका में शब्द की गति होने में यह अभौतिक ईथर ही सहायक बनता है। भगवान् महाबीर ने गौतम स्थामी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि ‘जितने भी चल भाव हैं—सूज्मातिसूज्म स्पन्दन मात्र हैं, वे सब धर्म की सहायता से प्रवृत्त होते हैं, गति शब्द केवल साकेतिक^३ है।’ गति और स्थिति दोनों सापेक्ष हैं। एक के अस्तित्व से दूसरे का अस्तित्व अत्यन्त अपेक्षित है।

धर्म अधर्म की तार्किक मीमांसा करने से पूर्व इनका खरूप समझ लेना अनुपयुक्त नहीं होगा—

	द्रव्य से	हेतु से	काल से	भाव से	गुण से
धर्म	एक और ^४ व्यापक	लोक-प्रमाण ^५	अनादि-अनन्त	अमूर्त	गति-सहायक
अधर्म	”	”	”	”	स्थिति-सहायक

गौतम—भगवन्। गति-सहायक तत्त्व (धर्मस्तिकाय) से जीवों को क्या लाभ होता है ?

भगवान्—गौतम। गति का सहारा नहीं होता तो कौन आता और कौन जाता ? शब्द की तररों कैसे फैलतीं ? आँखें कैसे खुलतीं ? कौन मनन करता ? कौन बोलता ? कौन हिलता-हुलता ?—यह विश्व अचल ही होता। जो चल है, उन सबका आलम्बन गति-सहायक तत्त्व ही^६ है।

गौतम—भगवन्। स्थिति-सहायक तत्त्व (अधर्मस्तिकाय) से जीवों को क्या लाभ होता है ?

भगवान्—गौतम ! स्थिति का सहारा नहीं होता तो खड़ा कौन रहता ? कौन बैठता ? सोना कैसे होता ? कौन मन को एकाग्र करता ? मौन कौन करता ? कौन निस्पन्द बनता ? निमेप कैसे होता ? यह विश्व चल ही होता । जो स्थिर है, उन सबका आलम्बन स्थिति-सहायक तत्त्व ही^{५७} है ।

धर्म-अधर्म की यौक्तिक अपेक्षा

धर्म और अधर्म को मानने के लिए हमारे सामने मुख्यतया दो यौक्तिक दृष्टियाँ हैं—(१) गति-स्थिति-निमित्तक द्रव्य और (२) लोक, अलोक की विभाजक शक्ति । प्रत्येक कार्य के लिए उपादान और निमित्त, इन दो कारणों की आवश्यकता होती है । विश्व में जीव और पुद्गल, दो द्रव्य गतिशील हैं । गति के उपादान कारण तो वे दोनों स्वयं हैं । निमित्त कारण किसे भानें ? यह प्रश्न सामने आता है, तब हमें ऐसे द्रव्यों की आवश्यकता होती है, जो गति एवं स्थिति में सहायक बन सकें । हवा स्वयं गतिशील है, तो पृथ्वी, पानी आदि सम्पूर्ण लोक में व्याप्त नहीं हैं । गति और स्थिति सम्पूर्ण लोक में होती है । इसलिए हमें ऐसी शक्तियों की अपेक्षा है, जो स्वयं गतिशील और सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हो, अलोक^{५८} में न हो । इस यौक्तिक आधार पर हमें धर्म, अधर्म की आवश्यकता का सहज वोध होता है ।

लोक-अलोक की, व्यवस्था पर दृष्टि डालें, तब भी इनके अस्तित्व की जानकारी मिलती है । आचार्य मलयगिरि ने इनका अस्तित्व सिद्ध करते हुए लिखा है—“इनके बिना लोक-अलोक की व्यवस्था नहीं होती” ।

लोक है इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि यह इन्द्रिय-गोचर है । अलोक इन्द्रियातीत है, इसलिए उसके अस्तित्व या नास्तित्व का प्रश्न उठता है । किन्तु लोक का अस्तित्व मानने पर अलोक की अस्तित्व अपने आप मान ली जाती है । तर्क शास्त्र का नियम है कि “जिसका” वाचक पद व्युत्पत्तिमान् और शुद्ध होता है, वह पदर्थ सत्-प्रतिपक्ष होता है, जैसे अधृष्ट घट का प्रतिपक्ष है, इसी प्रकार जो लोक का विपक्ष है, वह अलोक है ।

अब हमें उस समस्या पर विचार करना होगा-कि ये किस शक्ति से विभक्त होत हैं । इससे पूर्व यह जानना भी उपयोगी होगा कि लोक, अलोक क्या हैं ? जिसमें जीव आदि सभी द्रव्य होते हैं, वह लोक^{५९} है और जहाँ के बल आकाश ही, आकाश

होता है, वह अलोक^{११} है। अलोक में जीव, पुद्गल नहीं होते, इसका कारण है वहाँ धर्म और अधर्म द्रव्य का अभाव। इसलिए ये (धर्म-अधर्म) सोक, अलोक के विभाजक बनते हैं। “आकाश^{१२} सोक और अलोक दोनों में तुल्य है, इसलिए धर्म और अधर्म को लोक तथा अलोक का परिच्छेदक मानना उक्तियुक्त है। यदि ऐसा न हो तो उनके विभाग का आधार ही क्या रहे।”

आकाश

द्रव्यतः	एक और व्यापक।
ज्ञेत्रतः	लोक-अलोक-प्रमाण।
कालतः	अनादि-अनन्त।
भावतः	अमूर्त्।
गुणतः	अवगाह-गुण।

गौतम—भगवन्। आकाश तत्त्व से जीवों और अजीवों को क्या ज्ञान होता है ?

भगवान्—गौतम। आकाश नहीं होता तो ये जीव कहाँ होते ? ये धर्म-स्थिकाय और अधर्मस्थिकाय कहाँ व्याप्त होते ? काल कहाँ वरतता ? पुद्गल का रंगमच कहाँ बनता ? यह विश्व निराधार ही होता^{१३}।

काल

इतेताम्बर-परम्परा के अनुसार काल औपचारिक द्रव्य है। वस्तुवृत्त्या वह जीव और अजीव की पर्याय^{१४} है। जहाँ इसके जीव, अजीव की पर्याय होने का उल्लेख है, वहाँ इसे द्रव्य^{१५} भी कहा गया है। ये दोनों कथन विरोधी नहीं किन्तु सापेक्ष हैं। निश्चय-दृष्टि में काल जीव, अजीव की पर्याय है और व्यवहार-दृष्टि में वह द्रव्य है। उसे द्रव्य मानने का कारण उसकी उपयोगिता है। ‘उपकारक द्रव्यम्’—वर्तना आदि काल के उपकार हैं। इन्हीं के कारण वह द्रव्य माना जाता है। पदार्थों की स्थिति आदि के लिए जिसका व्यवहार होता है, वह आवलिकादि^{१६} रूप काल जीव, अजीव से मिल्न नहीं है; उन्हीं की पर्याय है।

पुद्गल

विज्ञान जिसको मैटर (Matter) और न्याय-चैशेविक आदि जिसे मौत्तिक तत्त्व कहते हैं, उसे जैन दर्शन ने पुद्गल-संज्ञा दी है। वौद्ध दर्शन में पुद्गल शब्द

आलय-विज्ञान—चेतना-सन्तति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैन शास्त्रों में भी ऋगेदे-पचार से पुद्गलयुक्त^{१८} आत्मा को पुद्गल कहा है। किन्तु सुखतया पुद्गल का अर्थ है मूर्तिक द्रव्य। छह द्रव्यों में काल को छोड़कर शेष पाँच द्रव्य अस्तिकाय हैं—यानी अवयवी हैं, किन्तु फिर भी इन सबकी स्थिति एक-सी नहीं। जीव, धर्म, अधर्म और आकाश—ये चार अविभागी हैं। इनमें संयोग और विभाग नहीं होता। इनके अवयव परमाणु द्वारा कल्पित किये जाते हैं। कल्पना करो—यदि इन चारों के परमाणु जितने-जितने खण्ड करें तो जीव, धर्म, अधर्म के असख्य और आकाश के अनन्त खण्ड होते हैं। पुद्गल अखण्ड द्रव्य नहीं है। उसका सबसे छोटा रूप एक परमाणु है और सबसे बड़ा रूप है विश्वव्यापी अचित्त-महासकन्ध^{१९}। इसीलिए उसको पूरण-गलन-धर्मा कहा है। छोटा-बड़ा, सद्गम-स्थूल, हल्का-भारी, लम्बा-चौड़ा, गन्ध-भेद, आकार, प्रकाश-अन्धकार, ताप-छाया—इनको पौद्गलिक मानना जैन तत्त्व ज्ञान की सहम दृष्टि का परिचायक है।

गौतम—भगवन् ! पुद्गल का क्या कार्य है ?

भगवान्—गौतम ! पुद्गल नहीं होता तो शरीर किसका बनता ? विविध-क्रिया करने वाला शरीर किससे बनता ? विभूतियों का निमित्त कौन होता ? कौन तेज, पात्रन और दीपन करता ? सुख-दुःख की अनुभूति और व्यामोह का साधन कौन बनता ? शब्द, रूप, गन्ध, रस, स्पर्श और इनके द्वार—कान, आँख, नाक, जीभ, और चर्म कौन बनते ? मन, वाणी और स्पन्दन का निमित्त कौन बनता ? श्वास और उक्तुवास कौन होता ? अन्धकार और प्रकाश नहीं होते, आहार और विहार नहीं होते, धूप और छाँह नहीं होती। कौन छोटा होता, कौन बड़ा ? कौन लम्बा होता, कौन चौड़ा ? त्रिकोण और चतुर्कोण नहीं होते। वर्तुल और परिमण्डल भी नहीं होते। सयोग और वियोग नहीं होते—सुख और दुःख, जीवन और मृत्यु नहीं होते। यह विश्व अदृश्य ही होता^{२०}।

शब्द

जैन दार्शनिकों ने शब्द को केवल पौद्गलिक कहकर ही विश्राम नहीं लिया किन्तु उसकी उत्पत्ति,^{२१} शीघ्रगति,^{२२} लोकव्यापित्व,^{२३} स्थायित्व^{२४} आदि विभिन्न पहलुओं पर पूरा प्रकाश डाला है। शब्द का सम्बन्ध न होते हुए भी सुधोपा घण्टा का

शब्द^{७५} असंख्य योजन की दूरी पर रही हुई घटाओं में प्रतिष्ठनित होता है—यह विवेचन उस समय का है, जबकि रेडियो, वायरलेस आदि का अनुसन्धान नहीं हुआ था। हमारा शब्द द्वाण मात्र में लोक व्यापी बन जाता है, यह सिद्धान्त भी आज से ढाई हजार वर्ष पहले ही प्रतिपादित हो चुका था।

जीव

गौतम—भगवन् । जीव का क्या कार्य है ?

भगवान्—गौतम ! जीव नहीं होता तो कौन उत्थान करता ? कौन कर्म, वल, वीर्य और पुरुषकार—पराक्रम करता ? यह उत्थान जीव की सत्ता का प्रदर्शन है। यह कर्म, वल, वीर्य और पुरुषकार—पराक्रम जीव की सत्ता का प्रदर्शन है। कौन ज्ञानपूर्वक किया में प्रवृत्त होता ? यह विश्व अचेतन ही होता, ज्ञानपूर्वक कुछ भी नहीं होता। ज्ञानपूर्वक प्रवृत्ति और निवृत्ति है—वह जीव की सत्ता का प्रदर्शन है।^{७६}

एक-द्रव्य : अनेक-द्रव्य

समान जातीय द्रव्यों की दृष्टि से सब द्रव्यों की स्थिति एक नहीं है। छह द्रव्यों में धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीन द्रव्य एक-द्रव्य हैं—व्यक्ति रूप से एक हैं। इनके समान जातीय द्रव्य नहीं हैं। एक-द्रव्य द्रव्य-व्यापक होते हैं—धर्म, अधर्म समूचे लोक में व्याप्त है, आकाश लोक, अलोक दोनों में व्याप्त है। काल, पुद्गल और जीव—ये तीन द्रव्य अनेक द्रव्य हैं—व्यक्ति रूप से अनन्त हैं।

पुद्गल द्रव्य साख्य-सम्मत प्रकृति^{७७} की तरह एक या व्यापक नहीं किन्तु अनन्त है, अनन्त परमाणु और अनन्त स्कन्ध हैं। जीवत्सा भी एक और व्यापक नहीं, अनन्त है। काल के भी समय^{७८} अनन्त हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में द्रव्यों की सख्या के दो ही विकल्प हैं—एक^{७९} या अनन्त। कई ग्रन्थकारों ने काल के असख्य परमाणु माने हैं पर वह युक्त नहीं। यदि उन कालाणुओं को सतत द्रव्य मानें, तब तो द्रव्य-सख्या में विरोध आता है और यदि उन्हें एक समुदय के रूप में मानें तो अस्तिकाय की सख्या में विरोध आता है। इसलिए “कालाणु असख्य हैं और वे समूचे लोकाकाश में फैले हुए हैं” यह बात किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होती।

लोक

जैन आगमों में लोक की परिभाषा कई प्रकार से गिलती है। धर्मस्थिकाय^० लोक है। जीव^१ और अजीव यह लोक है। लोक पञ्चास्तिकायमय^२ है। जो आकाश^३ पद्मद्वयात्मक है, वह लोक है। इन सबमें कोई विरोध नहीं, केवल अपेक्षा-भेद से इनका प्रतिपादन हुआ है। धर्म-द्रव्य लोक-प्रमित है, इसलिए उसे लोक कहा गया है। संक्षिप्त दृष्टि के अनुसार जहाँ पदार्थ को चेतन और अवेत्तम उभयरूप^४ माना गया है, वहाँ लोक का भी चेतनाचेतनात्मक स्वरूप बताया है। काल समूचे लोक में व्यास नहीं अथवा वह वात्तविक द्रव्य नहीं, इसलिए लोक पञ्चास्तिकाय भी बताया गया है। सब द्रव्य छह हैं। इनमें आकाश सबका आधार है, इसलिए उसके आश्रय पर ही दो विभाग किये गये हैं—लोकाकाश और अलोकाकाश। अलोकाकाश में आकाश के सिवाय कुछ भी नहीं। लोकाकाश में सभी द्रव्य हैं। व्यावहारिक काल सिर्फ मनुष्य लोक में है। किन्तु वह है लोक में ही, इसलिए 'अंशस्यापि क्वचित् पूर्णत्वेन व्यपदेशः' के अनुसार लोक को पद्मद्वयात्मक मानना भी युक्तिसिद्ध है। कहा भी है—'इव्याख्या'^५ पट प्रतीतानि, द्रव्यलोकः 'त उच्यते'

असंख्य-द्वौप-समुद्र और मनुष्य-क्षेत्र

जैन दृष्टि के अनुसार भूवलय (भूगोल) का स्वरूप इस प्रकार है—तिरछे लोक में असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र हैं। उनमें मनुष्यों की आवादी सिर्फ दाईं द्वीप (जम्बू, धातकी और अर्ध-पुण्डर) में ही है। इनके बीच में लवण और कालोदधि, ये दो समुद्र भी आ जाते हैं। वाकी के द्वीप समुद्रों में न तो मनुष्य पैदा होते हैं और न सूर्य चन्द्र की गति होती है, इसलिए ये दाईं द्वीप और दो समुद्र-शेष द्वीप-समुद्रों से विभक्त हो जाते हैं। इनको मनुष्य क्षेत्र तथा समय-क्षेत्र कहा जाता है। शेष इनसे व्यतिरिक्त हैं। उनमें सर्ये, चन्द्र हैं सही, पर वे चलते नहीं, स्थिर हैं। जहाँ सर्ये हैं वहाँ सर्य और जहाँ चन्द्रमा है वहाँ चन्द्रमा। इसलिए वहाँ समय का माप नहीं है। तिरछा लोक असंख्य योजन का है, उसमें मनुष्य लोक सिर्फ ४५८ लाख योजन का है। पृथ्वी का इतना बड़ा रूप वर्तमान की साधारण दुनिया को भले ही एक कल्पना सा लगे, किन्तु विज्ञान के विद्यार्थी के लिए कोई आश्र्यजनक नहीं। वैज्ञानिकों ने यह, उपग्रह और ताराओं के रूप में असंख्य पृथिव्यां मानी हैं। वैज्ञानिक जगत् के अनुसार

“ज्येष्ठ तारा इतना बड़ा है कि उसमें हमारी वर्तमान दुनिया जैसी सात^६ नील पृथिव्या समा जाती है।” वर्तमान में उपलब्ध पृथ्वी के बारे में एक वैज्ञानिक ने लिखा है—“और^७ तारों के सामने यह पृथ्वी एक धूल के कण के समान है।” विज्ञान नीहारिका की लम्बाईं-चौड़ाईं का जो वर्णन करता है, उसे पढ़कर कोई भी व्यक्ति आधुनिक या विज्ञानवादी होने के कारण ही प्राच्य वर्णनों को कपोल-कल्पित नहीं मान सकता। “नगी^८ आखो से देखने से यह नीहारिका शायद एक धूधले विन्दु-मात्र-सी दिखलाई पड़ेगी, किन्तु इसका आकार इतना बड़ा है कि हम बीस करोड़ मील व्यास वाले गोले की कल्पना करें, तब ऐसे दस लाख गोलों की लम्बाईं-चौड़ाईं का अनुमान करें—फिर भी उक्त नीहारिका की लम्बाईं-चौड़ाईं के सामने उक्त अपरिमेय आकार भी तुच्छ होगा और इस ब्रह्माण्ड में ऐसी हजारों नीहारिकाएं हैं। इससे भी बड़ी तथा इतनी दूरी पर हैं कि १ लाख ८६ हजार मील प्रति सैकेण्ड चलने वाले प्रकाश को बहाँ से पृथ्वी तक पहुँचने में १० से ३० लाख वर्ष तक लग सकते हैं।” वैदिक शास्त्रों में भी इसी प्रकार अनेक द्वीप-समुद्र होने का सत्त्वेष मिलता है। जम्बू-द्वीप, भरत आदि नाम भी समान ही हैं। आज की दुनिया एक अन्तर-खण्ड के रूप में है। इसका शेष दुनिया से सम्बन्ध छड़ा हुआ नहीं दीखता। फिर भी दुनिया को इतना ही मानने का कोई कारण नहीं। आज तक हुई शोधों के इतिहास को जानने वाला इस परिणाम पर कैसे पहुँच सकता है कि दुनिया वस इतनी है और उसकी अन्तिम शोध हो चुकी है।

नव तत्त्व

रहस्यभूत वस्तु को तत्त्व कहते हैं। तत्त्व सख्त्या में नौ हैं, उनके भेद निम्नोक्त हैं:—

१ : जीव

२ : अजीव

३ : पुरुष

४ : पाप

५ : आख्य

६ : संवर

७ : निर्जरा

८ : वध

९ : मोक्ष

नव तत्त्वों का विधान साधना की दृष्टि से किया गया है। जीव-अजीव दो मुख्य तत्त्व हैं। आत्मा के साथ पुद्गल का जो सम्बन्ध होता है, वह वन्ध है। सुख देने वाला पुद्गल-समूह पुण्य तत्त्व है। दुःख देने वाला और ज्ञान आदि को रोकने वाला पुद्गल-समूह पाप तत्त्व है। आत्मा की प्रवृत्ति व भलिनता ही आस्त्र है। ल्याग भावना संवर है। कर्म के आवरण का क्षीण होना निर्जरा है। सर्वथा सम्पूर्ण रूप से आवरण का क्षीण हो जाना मोक्ष है।

पट् द्रव्य व नव तत्त्व का समावेश जीव-राशि व अजीव-राशि में हो जाता है। धर्मास्तिकाय आदि पाँच द्रव्य अजीव-राशि में तथा जीवास्तिकाय जीव-राशि में हैं। नव तत्त्वों में—जीव, आत्म, सबर, निर्जरा, मोक्ष—ये पाँच जीव-राशि में हैं और अजीव, पुण्य, पाप, वन्ध—ये चार अजीव-राशि में हैं।

कर्मवाद

भारत के सभी आस्तिक दर्शनों में जगत् की चिमकि^{११}, विचित्रता^{१०} और साधने^{१२} तुल्य होने पर भी फल के तारतम्य या अन्तर को सहेतुक माना है। उस हेतु को वेदान्ती अविद्या, वौद्ध वासना, साख्य क्लेश और न्याय-वैशेषिक अदृष्ट तथा जैन कर्म^{१३} कहते हैं। कई दर्शन कर्म का सामान्य निर्देशमात्र करते हैं और कई उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करते-करते बहुत आगे बढ़ जाते हैं। न्याय-दर्शन के अनुसार आत्मा का गुण है। अच्छे-दुरे कर्मों का आत्मा पर संस्कार पड़ता है, वह अदृष्ट है, जब तक उसका फल नहीं मिल जाता, तब तक वह आत्मा के साथ रहता है। उसका फल ईश्वर के माध्यम से^{१४} मिलता है, कारण कि यदि ईश्वर कर्म-फल की व्यवस्था न करे तो कर्म निष्फल हो जाय। साख्य^{१५} कर्म को प्रकृति का विकार मानते हैं। अच्छी दुरी प्रवृत्तियों का प्रकृति पर संस्कार पड़ता है। उसे प्रकृतिगत संस्कार से ही कर्मों के फल मिलते हैं। वौद्धों ने चित्तगत वासना को कर्म माना है। यही कार्य कारण-भाव के रूप में सुख-दुःख का हेतु बनती है। जैन दर्शन कर्म को स्तन्त्र द्रव्य मानता है। कर्म अनन्त परमाणुओं के स्तन्त्र हैं। वे समूचे लोक में जीवात्मा की अच्छी दुरी प्रवृत्तियों के द्वारा उसके साथ वंध जाते हैं। यह उनकी वध्यमान (वन्ध) अवस्था है। वंधने के बाद उसका परिपाक होता है, वह सत् (सत्ता) अवस्था है। परिपाक के बाद उनसे सुख-दुःखरूप तथा आवरणरूप फल मिलता है, वह उदयमान (उदय) अवस्था है। अन्य दर्शनों में कर्मों की क्रियमाण संक्षिप्त शैरं

प्रारब्ध—ये तीन अवस्थाएँ बताई गई हैं। वे ठीक क्रमशः बन्ध, सत् और उदय की समानार्थक हैं। बन्ध के प्रकृति, स्थिति, विपाक और प्रदेश—ये चार प्रकार, उदीरण-कर्म का शीघ्र फल मिलना, उद्वर्तन—कर्म की स्थिति और विपाक की वृद्धि होना, अपवर्तन—कर्म की स्थिति और विपाक में कभी होना, सक्रमण—कर्म की सजातीय प्रकृतियों का एक दूसरे के रूप में बदलना आदि-आदि अवस्थाएँ जैनों के कर्म-सिद्धान्त के विकास की सूचक हैं। बन्ध के कारण क्या है ? वहे हुए कर्मों का फल निश्चित होता है या अनिश्चित ? कर्म जिस रूप में वंधते हैं, उसी रूप में उनका फल मिलता है या अन्यथा ? धर्म करने वाला हुखी और अधर्म करने वाला सुखी कैसे ? आदि-आदि विषयों पर जैन अन्यकारी ने खूब विस्तृत विवेचन किया है। इन सबको लिया जाय तो दूसरा ग्रन्थ बन जाय। इसलिए यहाँ इन सब प्रसगों में न जाकर दो-चार विशेष बातों की ही चर्चा करना उपयुक्त होगा। वे हैं—कर्म की पौद्गलिकता, आत्मा से उसका सम्बन्ध कैसे ? वह अनादि है, तब उसका अन्त कैसे ? फल की प्रक्रिया, आत्मा स्वतन्त्र है या उसके अधीन ?

कर्म की पौद्गलिकता

अन्य दर्शन कर्म को जहाँ स्वकार या बोसना रूप मानते हैं, वहाँ जैन दर्शन उसे पौद्गलिक मानता है। “जिस” वस्तु का जो गुण होता है, वह उसका विधातक नहीं बनता।” आत्मा का गुण उसके लिए आवरण, पारतन्त्र्य और दुःख का हेतु कैसे बने ?

कर्म जीवात्मा के आवरण, पारतन्त्र्य और दुःखों का हेतु है—गुणों का विधातक है। इसलिए वह आत्मा का गुण नहीं हो सकता।

वेडी से मनुष्य वैधता है, सुरापान से पागल बनता है, क्लोरोफार्म (Cloroform) से बेमान बनता है—ये सब पौद्गलिक वस्तुएँ हैं। ठीक इसी प्रकार कर्म के स्थोग से भी आत्मा की वैद्याएँ होती हैं, इसलिए वह भी पौद्गलिक है। ये वेडी आदि बाहरी वन्धन एवं अत्य सामर्थ्यवाली वस्तुएँ हैं। कर्म आत्मा के साथ चिपके हुए तथा अधिक सामर्थ्यवाले सद्गम स्वन्ध हैं। इसीलिए उनकी अपेक्षा कर्म-परमाणुओं का जीवात्मा पर गहरा और आन्तरिक प्रभाव पड़ता है।

शरीर पौद्गलिक है। उसका कारण कर्म है, इसलिए वह भी पौद्गलिक है।

पौद्गलिक कार्य का समवायी कारण पौद्गलिक होता है। मिट्टी भौतिक है तो उससे बनने वाला पदार्थ भौतिक ही होगा।

आहार आदि अनुकूल सामग्री से सुखानुभूति और शस्त्र-प्रहार आदि से हुःखानुभूति होती है। यह आहार और शस्त्र पौद्गलिक हैं, इसी प्रकार सुख हुःख के हेतुभूत कर्म भी पौद्गलिक हैं।

आत्मा और कर्म का सम्बन्ध कैसे ?

आत्मा अमूर्त है, तब उसका मूर्त कर्म से सम्बन्ध कैसे हो सकता है? यह भी कोई जटिल समस्या नहीं है। प्रायः सभी आस्तिक दर्शनों ने संसार और जीवात्मा को अनादि माना है। वह अनादिकाल से ही कर्मचद्ध और विकारी है। कर्मचद्ध आत्माएँ कथंचित् मूर्त हैं अर्थात् निश्चय-दृष्टि के अनुसार खल्पतः अमूर्त होते हुए भी वे संसार-दशा^{१५} में मूर्त होती हैं। जीव दो प्रकार के हैं—रूपी^{१०} और अरूपी। मुक्त जीव अरूपी हैं और संसारी जीव रूपी।

कर्म-मुक्त आत्मा के फिर कभी कर्म का बन्ध नहीं होता। कर्मचद्ध आत्मा के ही कर्म वैधते हैं। उन दोनों का अपश्चानुपूर्वी (न पहले और न पीछे) रूप से अनादिकालीन सम्बन्ध चला आ रहा है।

अमूर्त ज्ञान पर मूर्त मादक द्रव्यों का असर होता है, वह अमूर्त के साथ मूर्त का सम्बन्ध हुए बिना नहीं हो सकता। इससे जाना जाता है कि विकारी अमूर्त आत्मा के साथ मूर्त का सम्बन्ध होने में कोई आपत्ति नहीं आती।

अनादि का अन्त कैसे ?

जो अनादि होता है, उसका अन्त नहीं होता, ऐसी दशा में अनादिकालीन कर्म-सम्बन्ध का अन्त कैसे हो सकता है? यह ठीक, किन्तु इसमें बहुत कुछ समझने जैसा है। अनादि का अन्त नहीं होता, यह सामुदायिक नियम है और जाति से सम्बन्ध रखता है। व्यक्ति विशेष पर यह लागू नहीं भी होता। प्रागभाव अनादि है, फिर भी उसका अन्त होता है। स्वर्ण और मूर्तिका का, दूध और धी का सम्बन्ध अनादि है, फिर भी वे पृथक् होते हैं। ऐसे ही आत्मा और कर्म के अनादि सम्बन्ध का अन्त होता है। यह ध्यान रहे कि इसका सम्बन्ध प्रवाह की अपेक्षा अनादि है, व्यक्तिः

नहीं। आत्मा से जितने कर्म-पुद्गल चिपटते हैं, वे सब अवधिसहित होते हैं। कोई भी एक कर्म अनादि काल से आत्मा के साथ घुल-मिल कर नहीं रहता। आत्मा मोक्षोचित सामग्री पा, अनाश्रव बन जाती है, तब नये कर्मों का प्रवाह रुक जाता है, सचित कर्म तपस्या द्वारा टूट जाते हैं, आत्मा मुक्त बन जाती है।

फल की प्रक्रिया

कर्म जड़—अचेतन है। तब वह जीव को नियमित फल कैसे दे सकता है? यह प्रश्न न्याय-दर्शन के प्रणेता गौतम ऋषि के 'ईश्वर' के अभ्युपगम का हेतु बना। इसी-लिए उन्होंने ईश्वर को कर्म-फल का नियन्ता बतलाया, जिसका उल्लेख कुछ पहले किया जा चुका है। जैन दर्शन कर्म-फल का नियमन करने के लिए ईश्वर को आवश्यक नहीं समझता। कर्म-परमाणुओं में जीवात्मा के सम्बन्ध से एक विशिष्ट^{१८} परिणाम होता है। वह द्रव्य^{१९}, ज्ञेत्र, काल, भाव, भव, गति^{२०}, स्थिति, पुद्गल, पुद्गल-परिणाम आदि उदयानुकूल सामग्री से विपाक-प्रदर्शन में समर्थ हो जीवात्मा के सक्तारों को विहृत करता है, उससे उनका फलोपभोग होता है। सही अर्थ में आत्मा अपने किये का अपने आप फल^{२१} मोगता है, कर्म-परमाणु सहकारी या सचेतक का कार्य करते हैं। विष और अमृत, अपथ्य और पथ्य भोजन को कुछ भी ज्ञान नहीं होता, फिर भी आत्मा का सयोग पा उनकी वैसी परिणति हो जाती है। उनका परिपाक होते ही खानेवाले को इष्ट या अनिष्ट फल मिल जाता है। विजान के ज्ञेत्र में परमाणु की विचित्र शक्ति और उसके नियमन के विविध प्रयोगों के अध्ययन के बाद कर्मों की फल-दानशक्ति के बारे में कोई सन्देह नहीं रहता।

आत्मा स्वतन्त्र है या कर्म के अधीन

कर्म की मुख्य अवस्थाएँ दो हैं—वन्ध और उदय। दूसरे शब्दों में ग्रहण और फल। “कर्म^{२२} ग्रहण करने में जीव स्वतन्त्र है और उसका फल भोगने में परतन्त्र। जैसे कोई व्यक्ति वृक्षपर चढ़ता है, वह चढ़ने में स्वतन्त्र है—इच्छानुसार चढ़ता है। प्रमादवश गिर जाय तो वह गिरने में स्वतन्त्र नहीं है।” इच्छा से गिरना नहीं चाहता फिर भी गिर जाता है, इसलिए गिरने में परतन्त्र है। इसी प्रकार विष खाने में स्वतन्त्र है, उसका परिणाम भोगने में परतन्त्र। एक रोगी व्यक्ति भी गरिष्ठ से गरिष्ठ पदार्थ खा सकता है, किन्तु उसके फल-स्वरूप होनेवाले अर्जीर्थ से नहीं बच सकता।

कर्म-फल भोगने में जीव परतन्त्र है, यह केथन प्राचिक है। कहाँ-कहाँ उसमें जीव स्वतन्त्र भी होते हैं। “जीव^{१०३} और कर्म का सधर्ष चलता रहता है। जीव के काल आदि लिखियों की अनुकूलता होती है, तब वह कर्मों को पछाड़ देता है और कर्मों की वहुलता होती है, तब जीव उनसे दब जाता है।” इसलिए यह मानना होता है कि कहाँ जीव कर्म के अधीन है और कहाँ कर्म जीव के अधीन।

कर्म के दो प्रकार होते हैं—(१) निकाचित—जिनका विपाक अन्यथा नहीं हो सकता, (२) दलिक—जिनका विपाक अन्यथा भी हो सकता है अथवा सोपक्रम और निस्पक्रम। सोपक्रम—जो कर्म उपचार-साध्य होता है। निस्पक्रम—जिसका कोई प्रतिकार नहीं होता, जिसका उदय अन्यथा नहीं हो सकता। निकाचित कर्मोंदय की अपेक्षा जीव कर्म के अधीन ही होता है। दलिक की अपेक्षा दोनों बातें हैं—जहाँ जीव उसको अन्यथा करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, वहाँ वह उस कर्म के अधीन होता है और जहाँ जीव प्रयत्न धृति, मनोवल, शरीरवल आदि सामग्री की सहायता से सद्यतन करता है, वहाँ कर्म उसके अधीन होता है। उदय-काल से पूर्व कर्म को उदय में ला, तोड़ डालना, उनकी स्थिति और रस को मन्द कर देना, यह सब इसी स्थिति में हो सकता है। यदि यह न होता तो तपस्या करने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। पहले बैंधे हुए कर्मों की स्थिति और फल-शक्ति नष्ट कर, उन्हे शीत्र तोड़ डालने के लिए ही तपस्या की जाती है। पातञ्जलयोगभाष्य में भी अदृश्य-जन्म-चेदनीय-कर्म की तीन गतियाँ वर्तलाइ हैं। उनमें “कोई^{१०४} कर्म बिना फल दिये ही प्रायश्चित्त आदि के द्वारा नष्ट हो जाते हैं।” एक गति यह है। इसी को जैन दर्शन में उदीरणा कहा है।

क्षयोपशम

आठ कर्मों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय, ये चार कर्म धाती हैं, और शेष चार अधाती। धाती कर्म आत्म-गुणों की साक्षात् धात करते हैं। इनकी अनुभाग-शक्ति का सीधा असर जीव के ज्ञान आदि गुणों पर होता है, गुण-विकास रुकता है। अधाती कर्मों का सीधा सम्बन्ध पौद्यगलिक द्रव्यों से होता है। इनकी अनुभाग-शक्ति का जीव के गुणों पर सीधा असर नहीं होता। अधाती कर्मों का या तो उदय होता है या क्षय—सर्वथा अभाव। इनके उदय से जीव का पौद्यगलिक द्रव्य से सम्बन्ध छुड़ा रहता है। इन्हें के उदय से आत्मा ‘आमूर्तोऽपि मूर्ते इव’ रहती है।।

इनके क्षय से जीव का पौद्गलिक द्रव्य से सदा के लिए सर्वथा सम्बन्ध टूट जाता है। और इनका क्षय मुक्त-अवस्था के पहले क्षण में होता है। धाती कर्मों के उदय से जीव के शान, दर्शन, सम्यक्त्व-चारित्र और वीर्य शक्ति का विकास रुका रहता है। फिर भी उक्त गुणों का सर्वावरण नहीं होता। जहाँ इनका (धातिक कर्मों का) उदय होता है, वहाँ आभाव भी। यदि ऐसा न हो, आत्मा के गुण पूर्णतया ढक जाएँ तो जीव और अजीव में कोई अन्तर न रहे। इसी आशय से नन्दीसूत्र में कहा है :—

—“पूर्ण जान का अनन्तवा भाग तो जीव मात्र के अनावृत रहता है, यदि वह अग्राहित हो जाय तो जीव अजीव बन जाय। मेघ कितना ही गहरा हो, फिर भी चाद और सूरज की प्रभा कुछ न कुछ रहती^{१०४} है।” यदि ऐसा न हो तो रात-दिन का विभाग ही मिट जाय। धाती कर्म के दलिक दो प्रकार के होते हैं—देश-धाती और सर्व-धाती। जिस कर्म-प्रकृति से आशिक गुणों की धात होती है, वह देश-धाती और जो पूर्ण गुणों की धात करे, वह सर्व-धाती। देश-धाती कर्म के स्पर्धक भी दो प्रकार के होते हैं—देश-धाती स्पर्धक और सर्व-धाती स्पर्धक। सर्व-धाती स्पर्धकों का उदय रहने तक देश-गुण भी प्रगट नहीं होते। इसलिए आत्म-गुण का यत् किञ्चित् विकास होने में भी सर्व-धाती स्पर्धकों का आभाव होना आवश्यक है, चाहे वह क्षयरूप हो या उपशमरूप। जहाँ सर्व-धाती स्पर्धकों में कुछ का क्षय और कुछ का उपशम रहता है और देश-धाती स्पर्धकों का उदय रहता है, उस कर्म-अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। क्षयोपशम में विपाकोदय नहीं होता। इसका अभिग्राय यही है कि सर्व-धाती स्पर्धकों का विपाकोदय नहीं रहता। देश-धाती स्पर्धकों का विपाकोदय गुणों के प्रगट होने में वाधा नहीं डालता। इसलिए यहाँ उसकी अपेक्षा नहीं की गई। क्षयोपशम की कुछेक रूपान्तर के साथ तीन व्याख्याएँ हमारे सामने आती हैं—(१) धाती कर्म का विपाकोदय नहीं होना क्षयोपशम है—इससे मुख्यतया कर्म की अवस्था पर प्रकाश पड़ता है। (२) उदय में आये हुए धाती कर्म का क्षय होना, उपशम होना—विपाक रूपसे उदय में न आना, प्रदेशोदय रहना क्षयोपशम है। इसमें प्रधानतया क्षयोपशम-दूशा में होने वाले कर्मोदय का खलप स्पष्ट होता है। (३) सर्व-धाती स्पर्धकों का क्षय होना, सत्तारूप उपशम होना तथा देश-धाती स्पर्धकों का उदय रहना क्षयोपशम है। इससे प्राधान्यतः क्षयोपशम के कार्य (आवारक शक्ति) के नियमन का वोध होता है।

सारांश संबंधित यही है—जिस कर्म-दशा में क्षय, उपशम और उदय, ये तीनों

बातें मिलें, वह क्षयोपशम है। अथवा धाती कर्मों का जो आशिक अभाव है—क्षयसुक्त उपशम है, वह क्षयोपशम है। क्षयोपशम में उदय रहता अवश्य है किन्तु उसका क्षयोपशम के फल पर कोई असर नहीं होता। इसलिए इस कर्म-दशा को क्षय-उपशम—इन दो शब्दों के द्वारा ही व्यक्त किया है।

लेश्या

लेश्या का अर्थ है—पुद्गल द्रव्य के सर्वर्ग से उत्पन्न होने वाला जीव का अध्यवसाय—परिणाम, विचार। आत्मा चेतन है, जड़-खलूप से सर्वथा पृथक् है, फिर भी संसार-दशा में इसका जड़-द्रव्य—पुद्गल के साथ गहरा संसर्ग रहता है, इसलिए जड़-द्रव्यजन्य परिणामों का जीव पर असर हुए विना नहीं रहता। जिन पुद्गलों से जीव के विचार प्रभावित होते हैं, वे भी द्रव्य-लेश्या कहलाते हैं। द्रव्य-लेश्याएँ पौद्गलिक हैं, इसलिए इनमें वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श होते हैं। लेश्याओं का नामकरण द्रव्य-लेश्याओं के रंग के आधार पर हुआ है; जैसे कृष्ण लेश्या, नील लेश्या आदि-आदि। पहली तीन लेश्याएँ अप्रशस्त लेश्याएँ हैं। इनके बर्ण आदि चारों गुण अशुभ होते हैं। उत्तरवर्ती तीन लेश्याओं के बर्ण आदि चारों शुभ होते हैं, इसलिए वे प्रशस्त होती हैं। खान-पान, स्थान और वाहरी वातावरण एवं वायुमण्डल का शरीर और मन पर असर होता है, यह प्रायः सर्वसम्मत-सी बात है। ‘जैसा अन्न वैसा मन’—यह उक्ति भी निराधार नहीं है। शरीर और मन, दोनों परस्परापेक्ष हैं। इनमें एक दूसरे की क्रिया का एक दूसरे पर असर हुए विना नहीं रहता। “जल्लेसाइँ दब्बाइँ आदि अति तल्ले से परिणामे भवइ १०६”—जिस लेश्या के द्रव्य ग्रहण किये जाते हैं, उसी लेश्या का परिणाम हो जाता है। इस आगम-चाक्य से उक्त विपय की पुष्टि होती है। व्यावहारिक जगत् में भी यही बात पाते हैं—प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली में मानस-रोगी को सुधारने के लिए विभिन्न रंगों की, किरणों का या विभिन्न रंगों की बोतलों के जलों का प्रयोग किया जाता है। योग-प्रणाली में पुर्खी, जल आदि तत्त्वों के रंगों के परिवर्तन के अनुसार मानस-परिवर्तन का क्रम बतलाया है।

इस पूर्वोक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य-लेश्या के साथ भाव-लेश्या का गहरा सम्बन्ध है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि द्रव्य-लेश्या के ग्रहण का क्या कारण है? यदि भाव-लेश्या को उसका कारण मानें तो उसका अर्थ होता है—साव-लेश्या के अनुरूप द्रव्य-लेश्या, न कि द्रव्य-लेश्या के अनुरूप भाव-लेश्या। उपर

की पक्कियाँ में यह बताया गया है कि द्रव्य-लेश्या के अनुरूप भाव-लेश्या होती है। यह एक जटिल प्रश्न है। इसके समाधान के लिए हमें लेश्या की उत्पत्ति पर ध्यान देना होगा। भाव-लेश्या यानी द्रव्य-लेश्या के साहाय्य से होनेवाले आत्मा के परिणाम की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है—मोह-कर्म के उदय से तथा उसके उपशम, क्षय या च्छयोपशम से^{१०७}। औदियिक भाव-लेश्याएँ बुरी (अप्रशस्त) होती हैं और-ओपशमिक, चायिक या च्छयोपशमिक लेश्याएँ भली (प्रशस्त) होती हैं। कृष्ण, नील और काषोत—ये तीन अप्रशस्त और तेज, पच एवं शुक्ल—ये तीन प्रशस्त लेश्याएँ हैं। प्रशापना में कहा है—पहली तीन लेश्याएँ बुरे अध्यवसायवाली हैं, इसलिए वे हुर्गति की हेतु हैं और उत्तरवर्ती तीन लेश्याएँ भले अध्यवसायवाली हैं, इसलिए वे सुगति की हेतु हैं^{१०८}। उत्तराध्ययन में इनको अधर्म-लेश्या और धर्म-लेश्या भी कहा है—कृष्ण, नील और काषोत ये—तीन अधर्म-लेश्याएँ हैं और तेज़, पच एवं शुक्ल—ये तीन धर्म-लेश्याएँ हैं^{१०९}। उक्त प्रकरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि आत्मा के भले और बुरे अध्यवसाय (भाव-लेश्या) होने का मूल कारण मोह का अभाव (पूर्ण या अपूर्ण) या भाव है। कृष्ण आदि पुद्गल-द्रव्य भले-बुरे, अध्यवसायों के सहकारी कारण बनते हैं। तात्पर्य यह है कि मात्र काले, नीले आदि पुद्गलों से ही आत्मा के परिणाम बुरे-भले नहीं बनते। परिभाषा के शब्दों में कहें तो सिर्फ़ द्रव्य-लेश्यों के अनुरूप ही भाव-लेश्या नहीं बनती। मोह का भाव-अभाव तथा द्रव्य-लेश्या—इन दोनों के कारण आत्मा के बुरे या भले परिणाम बनते हैं। द्रव्य-लेश्याओं के स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण की जानकारी—सहवर्ती यंत्र, सेहो सकती है। लेश्या की विशेष जानकारी के लिए प्रशापना का १७-वा पद और उत्तराध्ययन का ३४-वा अध्ययन-द्रष्टव्य है। जैनतरःगन्थों में भी कर्म की विशुद्धि या वर्ण के आधार-पर जीवों की कई अवस्थाएँ वर्ताई हैं। त्रुलना के लिए देखो महाभारत एवं १२-२८८। पातञ्जल योग में वर्णित कर्म की कृष्ण, शुक्ल-कृष्ण, शुक्ल और अशुक्ल-अकृष्ण^{११०}—ये चार जातियाँ भाव-लेश्या की श्रेणी में आती हैं। साध्यदर्शन^{१११} तथा श्वेतांश्चतरोपनिषद^{११२} में रजः, सत्त्व और तमोरुण को लोहित, शुक्ल और कृष्ण कहा गया है। यह द्रव्य-लेश्या का रूप है। रजोरुण मन को मोहरंजित करता है इसलिए वह लोहित है। सत्त्व-गृण से मन, मृलुरहित होता है, इसलिए वह शुक्ल है। तमोरुण-जात को आत्मत करता है, इसलिए वह कृष्ण है।

लेख्या	वर्ण	रस	गन्ध	स्पर्श
दृष्ट्या	काजल के समान काला	नीम से अनन्तगुण कटु		
नील	नीलम के समान नीला	सौठ से अनन्तगुण तीक्ष्ण	मृत संप की गन्ध से अनन्त-गुण अनिष्ट गन्ध	गाय की जीभ से अनन्तगुण कर्कशा
कापोत	कदूतर के गते के समान रंग	कच्चे आम के रस से अनन्तगुण तिक्त		
तेजः	हिंगुल—सिन्दूर के समान रस्त	पके आम के रस से अनन्तगुण मधुर		सुरभि - कुसुम की गन्ध से अनन्तगुण इष्ट गन्ध
पद्म	हल्दी के समान पीला	मधु से अनन्तगुण मिष्ट		नवनीत—मक्खन से अनन्तगुण सुकुमार
शुक्र	शंख के समान सफेद	मिसरी से अनन्त-गुण मिष्ट		

जातिवाद

दाईं हजार वर्ष पूर्व से ही जातिवाद की चर्चा बड़े उग्र रूप से चल रही है। इसने सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक—ग्रायः सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया। इसके मूल में दो प्रकार की विचारधाराएँ हैं—एक ब्राह्मण-परंपरा की, दूसरी श्रमण-परंपरा की। पहली परंपरा में जाति को तात्त्विक मानकर 'जन्मना जातिः' का सिद्धान्त स्थापित किया। दूसरी ने जाति को अतात्त्विक माना और 'कर्मणा जातिः' यह पक्ष सामने रखा। इस जन-जागरण के कर्णधार थे श्रमण भगवान् महावीर और महात्मा बुद्ध। इन्होंने जातिवाद के विरुद्ध बड़ी क्रान्ति की और इस आन्दोलन को बहुत सजीव और व्यापक बनाया। ब्राह्मण-परंपरा में जहाँ "ब्रह्मा के मुंह से जन्मने वाले ब्राह्मण, बाहु से जन्मने वाले क्षत्रिय, ऊरु से जन्मने वाले वैश्य, पैरों से जन्मने वाले शूद्र और अन्त में पैदा होने वाले अन्त्यज"^{१ २ ३}—यह व्यवस्था थी, वहाँ श्रमण-परंपराने—“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने-अपने कर्म—आचरण या वृत्ति के अनुसार होते हैं”!—यह

आवाज बुलन्द की । अमरण-परंपरा की क्रान्ति से जातिवाद की शहूलाएँ शिथिल अवश्य हुईं पर उनका अस्तित्व नहीं मिटा । फिर भी यह मानना होगा कि इस क्रान्ति की ब्राह्मण-परंपरा पर भी गहरी छाप पड़ी । “चाण्डाल और मच्छीमार के घर में पैदा होने वाले व्यक्ति भी जपस्या से ब्राह्मण चन गए, इसलिए जाति कोई तात्त्विक चल्तु नहीं है”^{११५} यह विचार इसका साक्षी है ।

जातिवाद की तात्त्विकता ने मनुष्यों में जो हीनता के भाव पैदा किये, वे अन्त में छुआछूत तक पहुँच गए । इसके लिए राजनैतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी ने भी काफी आनंदोलन किया । उसके कारण आज भी यह प्रश्न ताजा और सामयिक चन रहा है । इसलिए जाति क्या है? वह तात्त्विक है या नहीं?^{१६} कौनसी जाति ओष्ठ है? आदि-आदि प्रश्नों पर भी विचार करना आवश्यक है ।

वह वर्ग या समूह जाति है^{१७}, जिसमें एक ऐसी समाज शहूला हो, जो धर्मों में न मिले । मनुष्य एक जाति है । मनुष्य मनुष्य में समानता है और वह अन्य प्राणियों से विलक्षण भी है । मनुष्य-जाति बहुत बड़ी है, बहुत बड़े भूखलय-पर फैली हुई है । विभिन्न जलवायु और प्रकृति से उसका सम्पर्क है । इससे उसमें भेद-होना भी अखामाचिक नहीं । किन्तु वह भेद औपाधिक हो सकता है, मौलिक नहीं । एक भारतीय है, दूसरा अमेरिकन है, तीसरा रसियन—इसमें प्रादेशिक भेद है ‘पर वि मनुष्य है’ इसमें क्या अन्तर है, कुछ भी नहीं । इसी प्रकार जलवायु के अन्तर से कोई गोरा है, कोई काला । भाषा के भेद से कोई गुजराती बोलता है, कोई बंगली । धर्म के भेद से कोई जैन है, कोई वौद्ध, कोई वैदिक है, कोई इस्लाम, कोई किश्चियन । रुचि-भेद से कोई धार्मिक है कोई राजनैतिक तो कोई सामाजिक । कर्म-भेद से कोई ब्राह्मण है, कोई द्वाचिय, कोई वैश्य तो कोई शूद्र । जिनमें जो जो समाज गुण हैं, वे उसी वर्ग में समा जाते हैं । एक ही व्यक्ति अनेक स्थितियों में रहने के कारण अनेक बगों में चला जाता है । एक वर्ग के सभी व्यक्तियों की भाषा, वर्ण, धर्म, कर्म एक से नहीं होते हैं । इन औपाधिक भेदों के कारण मनुष्य-जाति में इतना संघर्ष बढ़ गया है कि भनुष्यों को अपनी मौलिक समानता समझने तक का अवसर नहीं मिलता । प्रादेशिक भेद के कारण अफ्रीका में जो कुछ ही रहा है, वह मानवीय तुच्छता का अन्तिम परिचय है । धर्म-भेद के कारण सन् ४८ में होने वाला हिन्दू-मुस्लिम-संघर्ष मनुष्य के

सिर कलंक का टीका है। कर्म-भेद के कारण भारतीय जनता के जो लुआळूत का कीटाणु लगा हुआ है, वह मनुष्य-जाति को पनपने नहीं देता। ये सब समस्यायें हैं। इनको पार किये विना मनुष्य-जाति का कल्याण नहीं। मनुष्य जाति एकता से हटकर इतनी अनेकता में चली गई है कि उसे आज फिर मुड़कर देखने की आवश्यकता है—मनुष्य जाति एक है—धर्म जाति-पाति से दूर है—इसको हृदय में उत्तारने की आवश्यकता है।

अब प्रश्न यह रहा कि जाति तात्त्विक है या नहीं ? इसकी मीमांसा करने से पहले इतना सा और समझ लेना होगा कि इस प्रसंग का दृष्टिकोण भारतीय अधिक है, विदेशी कम। भारतवर्ष में जाति की चर्चा प्रमुखतया कर्माश्रित रही है। भारतीय पंडितों ने उसके प्रमुख विभाग चार बदलाये हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जन्मना जाति मानने वाली ब्राह्मण परंपरा इनको तात्त्विक—शाश्वत मानती है और कर्मणा जाति मानने वाली श्रमण-परंपरा के मतानुसार ये अशाश्वत हैं। हम यदि निश्चय-दृष्टि में जाएं तो तात्त्विक मनुष्य जाति है^{१४}—मनुष्य आजीवन मनुष्य रहता है—पशु नहीं बनता। कर्मकृत जाति में तात्त्विकता का कोई लक्षण नहीं—कर्म के अनुसार जाति है, कर्म बदलता है, जाति बदल जाती है^{१५}। रत्नप्रभसूर ने बहुत सारे शूद्रों को भी जैन बनाया। आगे चलकर उनका कर्म व्यवसाय हो गया। उनकी सन्तानें आज कर्मणा वैश्य-जाति में हैं। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं—भारत में शक, हूण आदि कितने ही विदेशी आये और भारतीय जातियों में समा गए।

व्यवहार-दृष्टि में—ब्राह्मण-कुल में, जन्म लेने वाला ब्राह्मण, वैश्य-कुल में जन्म लेने वाला वैश्य—ऐसी व्यवस्था चलती है। इसको भी तात्त्विकता से नहीं जोड़ा जा सकता; कारण कि ब्राह्मण-कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति में वैश्योचित और वैश्य-कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति में ब्राह्मणोचित कर्म देखे जाते हैं। जाति को सामाजिक या ईश्वरकृत मानकर तात्त्विक कहा जाय, वह भी यौक्तिक नहीं। यदि यह वर्ण-व्यवस्था सामाजिक या ईश्वरकृत होती तो सिर्फ भारत में ही क्यों ? क्या समाज और ईश्वर मारत के ही लिए थे, या उनकी सत्ता भारत पर ही चलती थी ? हमें यह निर्विवाद मानना होगा कि यह भारत के समाज-शास्त्रियों की सूक्ष्म है—उनकी की हुई व्यवस्था है। समाज की चार प्रमुख जरूरतें हैं—विद्यायुक्त सदाचार, रक्षा, व्यापार—आदान-प्रदान और शिल्प। इनको सुव्यवस्थित और सुयोजित करने के लिए उन्होंने चार

वर्ग बनाये और उनके कार्यानुरूप गुणात्मक नाम रख दिये—विद्यायुक्त सदाचार-प्रधान ब्राह्मण, रक्षा-प्रधान वृत्रिय, व्यवसाय-प्रधान वैश्य और शिल्प-प्रधान शूद्र। ऐसी व्यवस्था अन्य देशों में नियमित नहीं है, फिर भी कर्म के अनुसार जनता का वर्गीकरण किया जाय तो ये चार वर्ग सब जगह बन सकते हैं। यह व्यवस्था कैसी है, इस पर अधिक चर्चा न की जाय, तब भी इतना सा तो कहना ही होगा कि जहाँ यह जातिगत अधिकार के रूप में कर्म को विकसित करने की योजना है, वहा व्यक्ति-स्थानन्वय के विनाश की भी—एक वालक बहुत ही अध्यवसायी और बुद्धिमान् हैं, फिर भी वह पढ़ नहीं सकता क्योंकि वह शूद्र जाति में जन्मा है, शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है।^{१९९} यह इस समाज-व्यवस्था एवं तद्गत धारणा का महान् दोष है। इसे कोई भी विचारक अस्तीकार नहीं कर सकता। इस वर्ण-व्यवस्था के निर्माण में सम्बन्धित समाज की उत्तरि एवं विकास का ही ध्यान रहा होगा किन्तु आगे चलकर इसमें जो बुराइया आई, वे और ही इसका अग्र-भग कर देती हैं। एक वर्ग का अहंभाव, दूसरे वर्ग की हीनता, स्पृश्यता और अस्पृश्यता की भावना का जो विस्तार हुआ, उसका मूल कारण यही जन्मगत कर्म-व्यवस्था है। यदि कर्मगत जाति-व्यवस्था होती तो वे कुछ धारणाएँ उत्पन्न नहीं होती। सामयिक क्रान्ति के फल-संरूप बहुत सारे शूद्र-कुल में उत्पन्न व्यक्ति विद्या-प्रधान, आचार-प्रधान बने। क्या वे सही अर्थ में ब्राह्मण नहीं? बहुत सारे अशूद्र-कुल में उत्पन्न व्यक्ति आचार-सम्पदा से शृण्य हो गए। क्या वे सही अर्थ में अन्त्यज नहीं? वर्णों के ये गुणात्मक नाम ही जातिवाद की अता-त्विकता बतलाने के लिए काफी पुष्ट प्रमाण हैं।

कौनसी जाति कौन्ची और कौनसी नीची—इसका भी एकान्त-दृष्टि से उत्तर नहीं दिया जा सकता। वास्तविक दृष्टि से देखें तो जिस जाति के बहु-संख्यकों के आचार-विचार सुसङ्घट और सयम-प्रधान होते हैं, वही जाति श्रेष्ठ है^{२०}। व्यवहार-दृष्टि के अनुसार जिस समय जैसी लौकिक धारणा होती है, वही उसका मान-दण्ड है। किन्तु इस दिशा में दोनों की संगति नहीं होती। वास्तविक दृष्टि में जहाँ संयम की प्रधानता रहती है, वहाँ-व्यवहार-दृष्टि में अहंभाव या सार्थ की। वास्तविक दृष्टिवालों का इसके विशद् संघर्ष चालू रहे—यही उसके आधार परे पनपने वाली बुराइयों का प्रतिकार है।

- जैन और बौद्धों की क्रान्ति का ब्राह्मणों पर ग्रभाव पड़ा—यह पहले बताया गया है। जैन आचार्य भी जातिवाद से सर्वथा अछूते नहीं रहे—यह एक तथ्य है, इसे हम

‘दृष्टि से ओमल नहीं कर सकते। आज भी जैनों पर जातिवाद का कुछ असर है। समय की मांग है कि जैन इस विषय पर पुनर्विचार करें।

जाति और गोत्र-कर्म

गोत्र-कर्म के साथ जाति का सम्बन्ध जोड़कर कहें जैन भी यह तर्क उपस्थित करते हैं कि ‘गोत्र-कर्म’ के क्षेत्र और नीच—ये दो भेद शास्त्रों में बताये हैं^{१२१} तब जैन को जातिवाद का समर्थक क्यों कर नहीं माना जाय? उनका तर्क गोत्र-कर्म के खलूप को न-समझने का परिणाम है। गोत्र-कर्म न तो लोक-प्रचलित जातियों का पर्यायवाची शब्द है और न वह जन्मगत जाति से सम्बन्ध रखता है। हा, कर्म^{१२२} (आचारपरपरा)-गत जाति से वह किंचित् सम्बन्धित है, उसी कारण यह विषय सन्दिग्ध बना हो अथवा राजस्थान, गुजरात आदि प्रान्तों में कुलगत जाति को गोत्र कहा जाता है, उस नाम-साम्य से दोनों को—गोत्र और गोत्र-कर्म को एक समझ लिया हो। कुछ भी हो, यह धारणा ठीक नहीं है।

‘‘गोत्र^{१२३} शब्द’’ की व्युत्पत्ति कहे म्रकार से की गई है। उनमें अधिकांश का तात्पर्य यह है कि जिस कर्म के द्वारा जीव माननीय, पूजनीय एवं सल्कार-योग्य तथा आमाननीय, अपूजनीय एवं असल्कार-योग्य बने, वह गोत्र-कर्म है। कहों-कहों उच्च-नीच कुल में उत्पन्न होना भी गोत्र-कर्म का फल बताया गया है, किन्तु यहाँ उच्च-नीच कुल का अर्थ ब्राह्मण या शूद्र का कुल नहों। जो प्रतिष्ठित माना जाता है, वह उच्च कुल है और जो प्रतिष्ठाहीन है, वह नीच कुल^{१२४}। समुद्दि की अपेक्षा भी जैन-शूद्रों में कुल के उच्च-नीच ये दो भेद बताये गये हैं^{१२५}। पुरानी व्याख्याओं में जो उच्च कुल के नाम गिनाये हैं, वे आज लुप्त प्राय हैं। इन तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि गोत्र-कर्म मनुष्य-कल्पित जाति का आभारी है—उस पर आश्रित है। यदि ऐसा भाना जाय तो देव, नारक और तिर्यक्षों के गोत्र-कर्म की क्या व्याख्या होगी, उनमें यह जाति-भेद की कल्पना है ही नहीं। हम इतने दूर क्यों जाए—जिन देशों में वर्ण-न्यवस्था या जन्मगत क्षेत्र-नीच का भेद-भाव नहीं है, वहाँ गोत्र-कर्म की परिभाषा क्या होगी? गोत्र-कर्म संसार के प्राणीमात्र के साथ लगा हुआ है। उसकी दृष्टि में भारतीय और अभारतीय का सम्बन्ध नहीं है। इस प्रसंग भे गोत्र-कर्म का फल क्या है, इसकी जानकारी अधिक उपयुक्त होगी।

जीवात्मा के पौद्रगलिक सुख-दुःख के निमित्तभूत चार कर्म हैं—वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य । इनमें से प्रत्येक के दो दो भेद होते हैं—सातवेदनीय-असात-वेदनीय, शुभनाम-अशुभनाम, उच्चगोत्र-नीचगोत्र, शुभआयु-अशुभआयु । मनचाहे शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श मिलना एव सुखद मन, बाणी और शरीर का प्राप्त होना सातवेदनीय का फल है । असातवेदनीय का फल ठीक इसके विपरीत है । सुखपूर्ण लम्बी आयु शुभ आयु कर्म का फल है और अशुभ-आयुकर्म का फल है—ओछी आयु तथा दुःखमय लम्बी आयु । शुभ और अशुभ नाम होना क्रमशः शुभ और अशुभ नाम-कर्म का फल है । जाति-विशिष्टता,^{१ २६} कुल-विशिष्टता, बल-विशिष्टता, रूप-विशिष्टता, तप-विशिष्टता, श्रुत-विशिष्टता, लाभ-विशिष्टता और ऐश्वर्य-विशिष्टता—ये आठ उच्च गोत्र-कर्म के फल हैं । नीच-गोत्र-कर्म के फल ठीक इसके विपरीत हैं ।

गोत्र-कर्म के फलों पर दृष्टि डालने से सहज पता लग जाता है कि गोत्र-कर्म व्यक्ति-व्यक्ति से सम्बन्ध रखता है, किसी समूह से नहीं । एक व्यक्ति में भी आठों प्रकृतिया ‘उच्च गोत्र’ की ही हों, या ‘नीच-गोत्र’ की ही हों, यह भी कोई नियम नहीं । एक व्यक्ति रूप और बल से रहित है, फिर भी अपने कर्म से सत्कार-योग्य और प्रतिष्ठा प्राप्त है तो मानना होगा कि वह जाति से उच्च-गोत्र-कर्म भीगरहा है और रूप तथा बल से नीच-गोत्र-कर्म । एक व्यक्ति के एक ही जीवन में जैसे न्यूनाधिक रूप में सात वेदनीय और असात वेदनीय का उदय होता रहता है, वैसे ही उच्च नीच-गोत्र का भी । इस सारी स्थिति के अध्ययन के पश्चात् ‘गोत्र कर्म’ और ‘लोक-प्रचलित जातिया’ सर्वथा पृथक् हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं रहता ।

अब हमें गोत्र-कर्म के फलों में गिनाये गये जाति और कुल पर दूसरी दृष्टि से विचार करना है । यद्यपि बहुलतया इन दोनों का अर्थ व्यवहार-सिद्ध जाति और कुल से जोड़ा गया है, फिर भी वस्तु-स्थिति को देखते हुए यह कहना पड़ता है कि यह उनका वास्तविक अर्थ नहीं, केवल स्थूल दृष्टि से किया गया विचार या वोध मुलभता के लिये प्रस्तुत किया गया उदाहरण मात्र है ।

फिर एक बार उसी बात को दुहराना होगा कि जाति-भेद सिर्फ मनुष्यों में है और गोत्र-कर्म का सम्बन्ध प्राणी मात्र से है । इसलिए उसके फल-खरूप में मिलने वाले जाति और कुल ऐसे होने चाहिए, जो प्राणी मात्र से सम्बन्ध रखें । इस दृष्टि से देखा जाय तो जाति का अर्थ होता है—उत्पत्ति स्थान और कुल का अर्थ होता है—एक

योनि में उत्पन्न होनेवाले अनेक वर्ग^{१२७}। ये (जातिया और कुल) उतने ही व्यापक हैं, जितना कि गोत्र-कर्म। एक मनुष्य का उत्पत्ति-स्थान बड़ा भारी स्थान और पुण्य होता है, दूसरे का बहुत रुग्ण और दुर्बल। इसका फलित यह होता है—जाति की अपेक्षा 'उच्च-गोत्र'—विशिष्ट, जन्मस्थान, जाति की अपेक्षा 'नीच-गोत्र'—निकृष्ट जन्मस्थान। जन्मस्थान का अर्थ होता है—मातृ-पक्ष या मातृस्थानीय पक्ष। कुल की भी यही वात है। सिर्फ इतना अन्तर है कि कुल में पितृ-पक्ष की विशेषता होती है। जाति में उत्पत्ति स्थान की विशेषता होती है और कुल में उत्पादक अंश की^{१२८}। 'आयन्ते जन्त्वोऽस्यामिति जातिः'^{१२९}, 'मातृसमुत्था जातिः'^{१३०}, 'जातिर्गुण-वन्मातृत्वम्'^{१३१}, 'कुल गुणवत्प्रियत्वक्त्वम्'^{१३२}—इनमें जाति और कुल की जो व्याख्याएँ की हैं—वे सब जाति और कुल का सम्बन्ध उत्पत्ति से जोड़ती हैं।

धर्म और पुण्य

जैन दर्शन में धर्म और पुण्य—ये दो पृथक् तत्त्व हैं। शास्त्रिक दृष्टि से पुण्य शब्द धर्म के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, किन्तु तत्त्व-भीमासा में ये कभी एक नहीं होते। धर्म आत्मा की राग-द्वे पहीन परिणति है—शुभ परिणाम है^{१३३} और पुण्य शुभ, कर्मय पुद्गल है^{१३४}। दूसरे शब्दों में धर्म आत्मा की पर्याय है^{१३५}, और पुण्य आजीव (पुद्गल) की पर्याय है^{१३६}। दूसरी वात—धर्म (निर्जारा रूप, यहाँ संबर की अपेक्षा नहीं है) सत् किया है और पुण्य उसका फल है^{१३७}, कारण कि सत्प्रवृत्ति के विना पुण्य नहीं होता। तीसरी वात—धर्म आत्म-शुद्धि—आत्म-मुक्ति का साधन है^{१३८}, और पुण्य आत्मा के लिए वन्धन है^{१३९}। अधर्म और पाप की भी यही स्थिति है। ये दोनों धर्म और पुण्य के ठीक प्रतिपक्षी हैं। जैसे—सत्प्रवृत्तिरूप धर्म के विना पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही अधर्म के विना पाप की भी उत्पत्ति नहीं होती^{१४०}। पुण्य पाप कल हैं, जीव की, अच्छी या बुरी प्रवृत्ति से उसके साथ चिपटने वाले पुद्गल हैं तथा ये दोनों धर्म और अधर्म के लक्षण हैं—ग्रामक है^{१४१}। लक्षण, लक्ष्य के, विना अकेला पैदा नहीं होता। जीव की किया दो भागों में विभक्त होती है—धर्म और अधर्म, सत् अथवा, असत्^{१४२}। अधर्म से, आत्मा के संस्कार विकृत होते हैं, पाप का वन्ध होता है। धर्म से आत्म-शुद्धि होती है और उसके साथ-साथ पुण्य का वन्ध होता है। इसलिए इनकी उत्पत्ति, हृत्वतन्त्रं नहीं हो सकती। पुण्य पापं कर्म, काम-महाप्र-

होना या न होना आत्मा के अध्यवसाय—परिणाम पर निर्भर है^{१४३} । शुभयोग तपस्या-धर्म है । और वही शुभयोग पुण्य का आश्रव है^{१४४} । अनुकम्भा, कृमा, सराग-सयम, अल्प-आरम्भ, अल्प-परिग्रह, योग-कृचुता आदि-आदि पुण्यवन्ध के हेतु हैं^{१४५} । ये सत्प्रवृत्ति-रूप होने के कारण धर्म हैं ।

सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्राचार्य ने शुभमावयुक्त जीव को पुण्य और अशुभ-मावयुक्त जीव को पाप कहा है^{१४६} । अहिंसा आदि व्रतों को पालन करना शुभोपयोग है । इसमें प्रवृत्त जीव के जो शुभ-कर्म का वन्ध होता है, वह पुण्य है । अमेदोपचार से पुण्य के कारणभूत शुभोपयोग-प्रवृत्त जीव को ही पुण्यरूप कहा गया है ।

इसलिए अमुक प्रवृत्ति में धर्म या अधर्म नहीं होता, केवल पुण्य या पाप होता है—यह मानना सगत नहीं । कहीं-कहीं पुण्यहेतुक सत्प्रवृत्तियों को भी पुण्य कहा गया है^{१४७} । यह कारण में कार्य का उपचार, विवक्षा की विचित्रता अथवा सापेक्ष (गौण-सुख्य-रूप) इष्टिकोण है । तात्पर्य में जहाँ पुण्य है, वहाँ सत्प्रवृत्तिलुप धर्म अवश्य होता है । इसी बात को पूर्ववर्ती आचार्यों ने इस रूप में समझाया है कि “अर्थ और काम—ये पुण्य के फल हैं । इनके लिये दौड़धूप मत करो । अधिक से अधिक धर्म का आचरण करो । क्योंकि उसके बिना ये भी मिलने वाले नहीं हैं^{१४८} ।” अधर्म का फल दुर्गति है । धर्म का सुख्य फल आत्म-शुद्धि—मोक्ष है । किन्तु मोक्ष न मिलने तक गौण फल के रूप में पुण्य का वन्ध भी होता रहता है और उससे अनिवार्यता अर्थ, काम आदि-आदि पौद्वगलिक सुख-साधनों की उपलब्धि भी होती रहती है^{१४९} । इसीलिए यह प्रसिद्ध उक्ति है—‘सुख हि जगतामेकं काम्य धर्मेण लभ्यते ।’


महाभारत के अन्त में भी यही लिखा है :—

“अरे मुजा उठा कर मैं चिह्ना रहा हूँ परन्तु कोई भी नहीं सुनता । धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है । तब तुम उसका आचरण क्यों नहीं करते हो^{१५०} ?”

योगसूत्र के अनुसार भी पुण्य की उत्पत्ति धर्म के साथ ही होती है, यही फलित होता है । जैसे—“धर्म और अधर्म—ये क्लेशमूल हैं । इन मूलसहित क्लेशाशय का परिपाक होनेपर उनके तीन फल होते हैं—जाति-, आस्तु और भोग । ये दो प्रकार के हैं—सुखद और दुःखद । जिनका हेतु पुण्य होता है—वे सुखद और जिनका हेतु

पाप होता है—वे दुःखद होते हैं^{११}।” इससे फलित यही होता है कि महर्षि पतञ्जलि ने भी पुण्य-पाप की स्वतन्त्र उत्तरति नहीं मानी है। जैन-विचारों के साथ उन्हें तोलें तो कोई अन्तर नहीं आता।

तुलना के लिए देखें—



कुन्तकुन्दाचार्य ने शुद्ध-इष्टि की अपेक्षा प्रतिक्रमण—आत्मालोचन, प्रायश्चित्त को पुण्य-बन्ध का हेतु होने के कारण विष कहा है^{१४}। आचार्य भिन्न ने कहा है—“पुण्य की इच्छा करने से पाप का बन्ध होता है^{१५}।” आगम कहते हैं—“इहलोक, परलोक, पूजा, श्लाघा आदि के लिए धर्म भत करो, केवल आत्म शुद्धि के लिए करो^{१६}।” यही बात वेदान्त के आचार्यों ने कही है कि “मोक्षार्थी को काम्य और निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए^{१७}।” क्योंकि आत्म-साधक का लक्ष्य मोक्ष होता है और पुण्य सासार-भ्रमण के हेतु है। भगवान् महावीर ने कहा है—“पुण्य और पाप इन दोनों के क्षय से मुक्ति मिलती है^{१८}।” “जीव शुभ और अशुभ कर्मों के द्वारा संसार में परिभ्रमण करता है^{१९}।” गीता भी यही कहती है—“बुद्धिमान् सुकृत और दुष्कृत, दोनों को छोड़ देता है^{२०}।” “आत्मब, संसार का हेतु है और सम्वर, मोक्ष का, जैनी इष्टि का वस यही सार है^{२१}।” अभ्यदेवसुरि ने स्थानाङ्क की टीका में ‘आत्म बन्ध, पुण्य और पाप’ को संसार-भ्रमण के हेतु कहा है^{२२}। आचार्य भिन्न ने इसे यो समझाया है कि “पुण्य से भोग मिलते हैं, जो पुण्य की इच्छा करता है वह भोगों की इच्छा करता है। भोग की इच्छा से संसार बढ़ता है^{२३}।”

इसका निगमन यो करना चाहिए कि अयोगी-अवस्था—पूर्ण समाधिन-दशा से पूर्व सत्त्ववृत्ति के साथ पुण्य-बन्ध अनिवार्य रूप से होता है। फिर भी पुण्य की इच्छा से

कोई भी सध्यवृत्ति नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक सध्यवृत्ति का लक्ष्य होना चाहिए—मोक्ष—आत्म-विकास। भारतीय दर्शनों का वही चरम लक्ष्य है। लौकिक अभ्युदय धर्म का आनुपङ्किक फल है—धर्म के साथ अपने आप फलने वाला है। यह शाश्वतिक या चरम लक्ष्य नहीं है। इसी सिद्धान्त को लेकर कई व्यक्ति भारतीय दर्शनों पर यह आलोप करते हैं कि उन्होंने लौकिक अभ्युदय की निरान्त उपेक्षा की, पर सही अर्थ में बात यह नहीं है। ऊपर की पंक्तियों का विवेचन धार्मिक दृष्टिकोण का है, लौकिक वृत्तियों में रहने वाले अभ्युदय की सर्वथा उपेक्षा कर ही कैसे सकते हैं। हा, फिर भी भारतीय एकान्त भौतिकता से बहुत बचे हैं। उन्होंने प्रेय और श्रेय को एक नहीं माना^{१४}। अभ्युदय को ही सब कुछ मानने वाले भौतिकवादियों ने युग को कितना जटिल बना दिया—इसे कौन अनुभव नहीं करता।

धर्म और लौक-धर्म

प्राचीन जैन, बौद्ध और वैदिक साहित्य में धर्म शब्द अनेक अर्थों में व्यवहृत हुआ है। इससे दो बातें हमारे सामने आती हैं, पहली धर्म शब्द की लोकप्रियता, दूसरी उसकी व्यापकता। जो कोई अच्छी बस्तु जान पड़ी, प्रिय लगी, उसीका नाम धर्म रखकर गया। ऐसी मनोवृत्ति आज भी है। अथवा यो समझना चाहिए कि उसे अपनी व्यापक शक्ति के द्वारा अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने का अवसर मिला। कुछ भी हो, इससे सही अर्थ समझने में डड़ी कठिनाई होती है। धर्म शब्द सरकृत की 'धृन् धारणे' धातु से बना है। कहा भी है—'धारणात् धर्म उच्यते'। वैदिक साहित्य में प्रकृति, हृश्वर तथा सृष्टि के अलांड़ नियमों के लिए वर्म शब्द का प्रयोग हुआ है^{१५}। ऋग्वेद में पृथ्वी को 'धर्मणा धृता' कहा गया है।

साम्प्रदायिक मतबाद, गृहस्थ के रीति-रिवाज, समाज और राज्य के नियमों के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसके लिए गीतारहस्य के पृष्ठ ६४ से ६६ तक का विवेचन मननीय है^{१६}।

सामाजिक, राजनीतिक साहित्य में अदालत के लिए धर्मासन, न्यायाधीश के लिए धर्मस्थ और धर्माध्यक्ष, न्यायप्रिय के लिए धार्मिक, वर्णश्रम व्यवस्था को पालने के लिए धर्मों का प्रयोग होता था।

जैन सूत्रों में 'भैशुन-धर्म'^{१७}, 'ग्राम-धर्म'^{१८} (शब्दादि विपय), 'साधु-धर्म'^{१९}, पाप-धर्म आदि प्रयोग भी मिलते हैं।

मनुस्मृति में कहा गया है कि—“जाति-धर्म”, जानपद-धर्म, श्रेणी-धर्म—वैश्य आदि के धर्म तथा कुल-धर्मों को देखकर धर्मात्मा राजा अपने धर्म की व्यवस्था करे १७० ।” ये धर्म उन धर्मों से मिल्ने हैं, जिनका स्वरूप^{१७१} अध्याय ६-६२-६३ तथा १०-६३ में बताया गया है^{१७२} । यहाँ धर्म का अर्थ रीति-रिवाज है और वहाँ धर्म का अर्थ है परम-पद की प्राप्ति के साधन । दर्शन-शास्त्र में “जो जिसका स्वभाव है, वह उसका धर्म है^{१७३} ।” “सहभावी पर्याय का नाम धर्म है^{१७४} ।” “धर्म और धर्मों में अत्यन्त भेद नहीं होता^{१७५} ।” इस प्रकार स्वभाव और पर्याय के अर्थ में वह प्रयुज्यमान है । मोक्ष—आत्मशुद्धि के साधनभूत अहिंसा आदि चारित्य को तो धर्म कहा ही जाता है^{१७६} । इस प्रकार अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण धर्म-शब्द इतना जटिल बन गया है कि कहा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है—यह निर्णय करना सुलभ नहीं रहा । इसीलिए धार्मिकों में बड़ी भारी खीचातान चलती है ।

यह समस्या कैसे सुलझ सकती है—इस पर भी हमें कुछ विचार करना चाहिए । धर्म का व्यवहार जिन अनेक अर्थों में हुआ है, उन सबका वर्गीकरण किया जाय, तो दो अर्थ बनते हैं—लोक—सासार और मोक्ष । जो आत्म-विकास का साधन है, वह मोक्षधर्म—आत्मधर्म है और शेष जितने धर्म है, वे सब लोक-धर्म—व्यावहारिक धर्म हैं । गम्य-धर्म, पशु-धर्म, देश-धर्म, राज्य-धर्म, पुरवर-धर्म, ग्राम-धर्म, गण-धर्म, गोष्ठी-धर्म, राज-धर्म आदि-आदि लौकिक धर्म हैं^{१७७} । कुप्रावचनिक धर्म को भी आचार्यों ने लौकिक धर्म के समान ही कहा है । आरम्भ और परिग्रहयुक्त धर्म कुप्रावचनिक है^{१७८} । इन दोनों प्रकार के लौकिक और कुप्रावचनिक धर्मों की अरिहन्त अथवा बुद्धिमान् पुरुष प्रशसा नहीं करते । कारण कि ये दोनों सावध हैं—अशुभ कर्म-बन्धन युक्त हैं । (१) लोकोत्तर धर्म वह है, जो मोक्ष का—आत्मशुद्धि का साधन हो । मोक्ष के साधन कई प्रकार के वर्णित किये गये हैं—(२.) सम्बर, निर्जरा अथवा श्रुत और चारित्र, (४.) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, (५.) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, (१०.) शान्ति, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, सत्य, सत्यम्, तप, त्याग और ब्रह्मचर्य । दोनों प्रकार के धर्म प्राणीवर्ग के आश्रित रहते हैं । फिर भी उनका भेद समझने के लिए आचार्य श्री तुलसी ने कसौटी के रूप में तीन वाटें रखी हैं^{१७९}—

१—आत्मशुद्धि-हेतुकता,

२—अपरिवर्तनीय-स्वरूपता,

३—सर्वसाधारणता ।

ये (तीन वातें) जिसमें हो, वह मोक्ष-धर्म हैं और जिसमें यह न मिले—वह लोक धर्म है। अहिंसा आदि आत्म-कल्याण के लिए है^{१०} और समाजनीति, राजनीति आदि लोक-व्यवस्था के लिए।

अहिंसा आदि का स्वरूप अपरिवर्तनीय है^{११} और समाज-नीति, राज-नीति का स्वरूप परिवर्तनीय। लोकमान्य तिलक ने इस पर बड़ा मार्मिक विवेचन किया है—“ज्यो-ज्यो समय बदलता जाता है त्यो-त्यो व्यावहारिक धर्म में भी परिवर्तन होता जाता है।”

युगमान के अनुसार

कृत, ब्रेता, द्वापर और कलि के धर्म मी भिन्न-भिन्न होते हैं^{१२}।” सहायात्र १२-७६ में यह कथा है कि प्राचीनकाल में स्त्रियों के लिए विवाह की मर्यादा नहीं थी। वे इस विषय में खतन्त्र और अनावृत थीं। परन्तु जब इस आचरण का खुरा परिणाम दीख पड़ा, तब श्वेतकेतु ने विवाह की मर्यादा स्थापित कर दी और मदिरा-पान का निषेध भी पहले-पहल शुक्राचार्य ने ही किया। तात्पर्य यह है कि जिस समय ये नियम जारी नहीं थे, उस समय के धर्म, अधर्म का तथा उसके बाद के धर्म, अधर्म का निर्णय भिन्न-भिन्न रीति से किया जाना चाहिये। इसी तरह यदि वर्तमान समय का प्रचलित धर्म आगे बदल जाय तो उसके साथ भविष्यकाल के धर्म, अधर्म का विवेचन भी भिन्न रीति से किया जायगा। काल-मान के अनुसार देशाचार, कुलाचार और जाति-धर्म का भी विचार करना पड़ता है। क्योंकि आचार ही सब धर्मों की जड़ है। तथापि आचारों में भी बहुत भिन्नता हुआ करती है। पितामह भीष्म कहते हैं—“ऐसा आचार नहीं मिलता जो हमेशा सब लोगों का हितकारक हो। यदि किसी एक आचार को स्वीकार किया जाय तो दूसरा उससे बदकर मिलता है। यदि इस दूसरे को स्वीकार किया जाय तो वह किसी तीसरे आचार का विरोध करता है^{१३}। जब आचारों में ऐसी भिन्नता हो जाय तब भीष्म पितामह के कथन के अनुसार तारतम्य अथवा सार-असार-दृष्टि से विचार करना चाहिए।

महात्मा टालस्टाय ने भी कहा है—“समाज के जीवन के आदर्श, जिनके अनुसार मनुष्यों के सारे काम-काज होते हैं, बदलते रहते हैं और उन्हीं के साथ-साथ मानव-जीवन का व्यवस्था-कर्म भी बदलता रहता है^{१४}।”

अहिंसा आदि सर्व-साधारण है—सब जगह सबके लिए समान है—एक है। समाजनीति, राजनीति सब जगह सबके लिए समान नहीं होती है। तात्पर्य यह है

कि मोक्ष-धर्म (अहिंसा आदि) सदा, सब जगह, सबके लिए एक है और लोक-धर्म का स्वरूप इसके विपरीत है ।

अहिंसा और दया-दान

‘अहिंसा ही आत्म-धर्म है’ यह कहना न तो अत्युक्ति है और न अर्थवाद । आचारों ने वराया है कि “सत्य आदि जितने व्रत हैं, वे सब अहिंसा की सुरक्षा के लिए हैं”^{१५} ।” काव्य की भाषा में “अहिंसा धान है, सत्य आदि उसकी रक्षा करने वाली वाटे हैं”^{१६} ।” “अहिंसा जल है, सत्य आदि उसकी रक्षा के लिए सेतु है”^{१७} ।” सार यही है कि दूसरे सभी व्रत अहिंसा के ही पहलू हैं ।

मोक्ष-धर्म की कोटि में वे ही व्रत आते हैं, जो अहिंसा की कसौटी पर खरे उत्तरते हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ में दया और दान (उपकार इन्हीं के अन्तर्गत है)—ये दोनों इसी कसौटी पर परखे गये हैं । धर्म-शब्द की भाति दया-दान शब्द भी वड़े व्यापक हो चले हैं पर आध्यात्मिक दया-दान वे ही हैं, जो अहिंसा के पौष्टक है—अहिंसामय हो । तत्त्व-टटिंग से देखा जाय तो अहिंसा, दया और दान—ये तीनों एकार्थक शब्द हैं । अथवा यों कहिये कि तात्पर्यार्थ में तीनों एक हैं । इस विचार की पुष्टि के लिए जैन और जैनेतर साहित्य का अभिग्राय जानना आवश्यक है । भगवान् महावीर ने कहा है—“प्राणी मात्र के प्रति संयम रखना अहिंसा है”^{१८} ।” महात्मा बुद्ध ने कहा है—“त्रस और स्थावर सबकी वात न करना अहिंसा है, वही आर्यता है”^{१९} ।” व्यास ने कहा है—“सब प्रकार से सदा सब जीवों का अकुशल न करना अहिंसा है”^{२०} ।” गीता में कहा है—“प्राणी मात्र को कष्ट न पहुँचाना अहिंसा है”^{२१} ।” महात्मा गांधी ने लिखा है—“अहिंसा के माने स्वत्म वस्तुओं से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों के प्रति समभाव”^{२२} ।” सभी व्याख्याकारों का सार यह है—असत्यम, विपर्यम भाव, अभिद्रोह और क्लेश हिंसा है ; संयम, समभाव, अनभिद्रोह और अक्लेश अहिंसा है । हिंसा आत्म-भालिन्य का साधन है, इसलिए वह सासार है और अहिंसा आत्म-शुद्धि का साधन है, इसलिए वह मोक्ष है ।

शाविक भीमांसा करें तो अहिंसा निवेदात्मक है, किन्तु तात्पर्यार्थ में वह उभय-रूप है—विधिनियेधात्मक है । बुराइयों से बचाव करना—असत्यवृत्ति न करना—यह निवेद है । खाध्याय, ध्यान, उपदेश, बुराइयों से बचने की वेश्या देना, मानसिक,

वाचिक, काथिक सत्प्रवृत्तिया, प्राणी मात्र के साथ बन्धुत्वभावना, आत्म-शुद्धि का सहयोग या सेवा आदि का आचरण करना यह विधि है। शाब्दिक अपेक्षा से विधि रूप अहिंसा को दया तथा कई प्रवृत्तियों को दान भी और नियेधरूप अहिंसा को अहिंसा कहा जाता है। वहुधा पूछा जाता है—किसी मरते को बचाना, दीन-दुःखी की सहायता करना धर्म है या नहीं ? इसका थोड़े मे उत्तर यह है कि जिन प्रवृत्तियों मे बचाना, सहायता करना आदि-आदि कुछ भी हो, सहम हिंसा तक का अनुमोदन न हो, राग-द्वेष की परिणति न हो, एक शब्द मे—यह प्रवृत्तिया अहिंसात्मक हों तो वे धर्म हैं, नहीं तो नहों। अहिंसा को बचाने से, रक्षा से, सहयोग से विरोध नहीं, उसका विरोध हिंसा से, राग-द्वे पात्मक परिणति से है। उसका जीवन या मृत्यु से सम्बन्ध नहीं, उसका सम्बन्ध अपनी सत्प्रवृत्तियों से है।

अहिंसा और दया की एकता

प्रश्न व्याकरण-सूत्र मे अहिंसा को दया कहा है^{१५३}। इसका टीकाकार ने अर्थ किया है—‘देहि-रक्षा’ यानी जीवों की रक्षा। इसी प्रकरण मे आगे कहा गया है— साधु त्रस-स्थावर सब जीवों की दया के लिए, अहिंसा के लिए (हिंसा टालने के लिए) ऐसा आहार ले, जिसमे उसके निमित्त किसी प्रकार की हिंसा न हुई हो।

धर्म-उग्रह मे लिखा है—“अनुकम्पा, कृपा और दया ये सब एकार्थक है^{१५४}।” धर्म-रक्षाप्रकरण मे बताया है कि “धर्म का मूल दया है और सब अनुप्राप्त उसके अनुचारी है^{१५५}।” दया क्या है, इसकी व्याख्या में आचारण-सूत्र का उद्धरण देते हुए कहा है—“प्राणी मात्र की हिंसा न करना—यही दया एव प्राणी-रक्षा है वयोऽकि सब धर्मों मे अहिंसा ही मुख्य है।” दयावैकालिक-सूत्र मे कहा है—“जिसका चलना-फिरना, उठना-बैठना, सोना, खाना-पीना, बोलना आदि अहिंसात्मक है, उसके पाप कर्म का वन्ध नहीं होता।” ..दयालु कीन है ? इसके उत्तर से धर्म-प्रकरण ग्रन्थ मे लिखा है—“खल्प हिंसा का भी विपाक यटा दारण होता है—यह जानकर जो जीव-वध मे प्रवृत्त नहीं होता, वही दयालु है।”

उद्धरण यद्यपि लम्बा हो चुका है फिर भी इसमे अहिंसा और दया की एकता का प्रतिपादन बटा सुन्दर और मार्मिक हुआ है। इसलिए इसका लोभ-स्वरण नहीं किया जा सका। रम्भितिकारों के शब्दों मे भी दोनों का ऐक्य है—“जैसे निज को

अपने प्राण प्रिय हैं, वैसे ही दूसरों को भी अपने प्राण प्रिय हैं, इसलिए अपने और पराये सुख-दुःख को समान समझ कर प्राणी मात्र की दया करनी चाहिए^{११६}।” इसी बात को आचार्य हेमचन्द्र दूसरे शब्दों में कहते हैं—“ज्यो निज को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है, ठीक लों ही दूसरों को भी सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है—यह समझकर विवेकी मनुष्य किसी की भी हिंसा न करे^{११७}।” स्मृतिकार के शब्दों में जो तत्त्व ‘दयां कुर्वीत’ इस वाक्याशासन में प्रकट हुआ है, वही तत्त्व आचार्य हेमचन्द्र के शब्दों में ‘हिंसा नाचरेत्’ इस वाक्याशासन द्वारा प्रकट होता है।

भगवान् महावीर की दृष्टि में मोक्ष-मार्ग के निरूपण में आहिंसा-वर्जित दया के लिए कोई स्थान ही नहीं था और दूसरी ओर देखा जाय तो आहिंसा में पूर्व, पश्चिम और मध्य में—सब जगह दया ही दया भरी पड़ी है। हिंसा न करने का आधार है—स्व और पर का अनिष्ट, स्व का अनिष्ट—आत्मा का पतन और पर का अनिष्ट—प्राण-वियोग। आहिंसा में दोनों की दया एवं रक्षा है, स दया—आणन्द पतन नहीं होता और पर दया—पर का प्राण-वियोग नहीं होता। कुछ गहराई में जायें तो हिंसा इसलिए वर्जनीय है कि उससे अपनी आत्मा का पतन होता है और आहिंसा इसलिए आदरणीय है कि उससे अपनी आत्मा का कल्याण होता है। जैन-दृष्टि के अनुसार यह माव-हिंसा और भाव-आहिंसा का संलग्न है।

अपनी राग-द्वे पथुक असंयममय प्रवृत्तियों से दूसरों को सुख मिल जाए, उससे कोई व्यक्ति आहिंसक नहीं बनता और अपनी राग-द्वे पथुक संयममय प्रवृत्तियों से किसी को कष्ट भी हो जाए, तो उससे कोई व्यक्ति हिंसक नहीं बनता। इसलिए मोक्ष-मार्ग की मीमांसा में दया वही है, जो आहिंसा के साथ-साथ चले अथवा आहिंसात्मक होकर बाहर निकल आये। इसीलिए कहा है—“जो आहिंसा है, वह अनुकम्पा है^{११८}।” “मुनि प्राणी मात्र की दया पालने के लिए आहार करे^{११९}।” जो मुनि अपने धर्म का पालन नहीं करता, वह छह काय का हिंसक है। इसको शास्त्रकारों ने ‘छह काय निरणुकंपा^{२००}—इस वाक्य से कहा है। यहाँ अनुकम्पा और आहिंसा की पूर्ण एकता है। कारण कि मुनि—धर्म सर्वथा आहिंसात्मक होता है। “मुनि भूत मात्र पर दया करता हुआ बैठा रहे और सोए^{२०१}।” भगवती-सूत्र में अनुकम्पा का विस्तार दया करता हुआ बैठा रहे और सोए^{२०२}।” भगवती-सूत्र में अनुकम्पा का विस्तार करते हुए जो कहा है—“प्राणीमात्र को दुःख न देना, शोक उत्पन्न न करना, न रुलाना, अशुपात न करवाना, ताङ्ना-तर्जना न देना^{२०३}।” उससे दया की

अहिंसात्मकता स्वयं सिद्ध होती है। “दया, संयम, लजा, जुगुप्ता, अछलना, तितिक्षा, अहिंसा और ह्री—ये सर्व एकार्थक हैं^{२०३}।” “धर्म का झूल अहिंसा है क्योंकि वह दयामय-प्रवृत्तिलप होता है^{२०४}।” इसमें भी अहिंसा और दया की अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है।

अहिंसा आर दान की एकता

“सब दानों में अभय-दान श्रेष्ठ है^{२०५}।” गदर्मली मुनि सयति राजा से कहते हैं—“राजन् । तुम्हे अभय है। तू भी जीवों को अभय दे—उनकी हिंसा मत कर^{२०६}।” आचार्य भिन्नु ने अभय-दान की व्याख्या करते हुए वसाया है कि “मनसा-वाचा-कर्मणा, कृत-कारित-अनुभवि से छँह काथ के जीवों को भय न उपजाना, यह अभय-दान है और इसी का नाम दया है^{२०७}।” पद्मपुराण के गो-ज्याम्र-सवाद में इस विषय पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। “गाय कहती है—भाई वाघ ! विद्वान् सत्युग में तप की प्रशसा करते हैं, ब्रेता में ज्ञान और कर्म की, द्वापर में यज्ञ की परन्तु कलियुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना जाता है। सम्पूर्ण दानों में एक ही दान सर्वोत्तम है, वह है सम्पूर्ण भूतों को अभय-दान। इससे बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियों को अभय-दान देता है वह सर्व प्रकार के भय से मुक्त होकर परज्ञाह को प्राप्त होता है। अहिंसा के समान न कोई दान है, न कोई तपस्या। जैसे हाथी के पद-चिह्न में अन्य सब प्राणियों के पद-चिह्न समाजाते हैं, उसी प्रकार सभी धर्म अहिंसा से प्राप्त हो जाते हैं^{२०८}।”

“अभय दान के समान दूसरा कोई परोपकार नहीं। यहस्थयन में वह पूर्ण नहीं हो सकता^{२०९}।” इसका तात्पर्य यह है कि मारणी मात्र को अभय वही दे सकता है, जो स्वयं पूर्ण अहिंसक ही। मुनि पूर्ण अहिंसा के पथ पर चलते हैं, इसलिए वे सदा सब को अभय किये रहते हैं। यहस्थ यथाशक्ति अहिंसा का पालन करता है; इसलिए उसमें अभय-दान की पूर्णता नहीं आती।

,अहिंसक ही स्वतः और परतः दोनों प्रकार से अभयकर हो सकता है। स्वयं हिंसा से निवृत्त होता है, इसलिए स्वतः और दूसरों की ‘हिंसा न करो’ ऐसा उपदेश देंकर प्राणी मात्र पर अनुकम्भों करता है, इसलिए परतः^{२१०}।”, अभय-दान के अन्तिरिक्ष दो दान और हैं—ज्ञान-दान तथा, धर्मोपग्रह-दान—ये भी अहिंसात्मक ही

हैं। जिससे आत्म-विकास हो, वह ज्ञान मोक्ष का मार्ग है—प्रकाशकर है। उसका वितरण आत्मशुद्धि का हेतु होने के कारण अहिंसा ही है। अब रहा धर्मोपग्रह-दान। वह भी सयम-पोषक होने के कारण अहिंसा है। “सब आरम्भ से निवृत्त संयमी को निर्दोष ब्राह्मण-पानी, वस्त्र-पात्र आदि देना धर्मोपग्रह-दान है”^{११}। इसमें दाता का आत्म-संवरण और ग्राहक का सयम-पोषण होता है। इसलिए यह संयम-मूलक प्रधृति है। जहाँ सथम है, वहाँ अहिंसा का नियम है। अब वाकी रहे व्यावहारिक दान—उनसे अहिंसा का कोई सम्बन्ध नहीं। वही दान और अहिंसा एक है, जो वास्तव में ल्याग हो, संयमसय हो अथवा संयम-पोषक हो। कारण कि यह मोक्ष-मार्ग के तत्त्वों का प्रस्ताव है। व्यावहारिक दान में अहिंसा (दया) का पालन नहीं होता, इसलिए वह ‘ल्यागसय’ दान नहीं किन्तु ‘भोगसय’ दान है। मोक्ष-मार्ग में दान वह हीना चाहिए; जिसके पीछे भूत मात्र को अभय देने वाली दया हो। तीर्थङ्करों को ‘अभयदये’^{१२} इसीलिए कहा है कि उनकी दया में प्राणी मात्र को अभय होता है। आचार्य भिज्जु ने लिखा है—“हिंसा और असंयम के पोषक दान से दया उठ जाती है और हिंसायुक दया से अभय-दान उठ जाता है। इसलिए हिंसायुक दान और हिंसायुक दया—यह दोनों सामाजिक तत्त्व हैं।” इनका अहिंसा के साथ मेल नहीं बैठता। आचारण-सूत्र के टीकाकार शीलांकाचार्य ने भी यही बात कही है—“समाज-शास्त्रियों के भतानुसार पानी देने वाला तृप्ति, अन्न देने वाला अन्न युख, तिल देने वाला इष्ट सन्तान और अभय देने वाला आयुष्य प्राप्त करता है। तुप में धान के कण की तरह इनमें एक अभय-दान ही सुभागित है। वाकी का कुमार्ग है। उसका उपदेश देने वाले लोगों को हिंसा में प्रवृत्त करते हैं।” त्रिकरण-त्रियोग से हिंसा न करना—यही अहिंसा है, यही दया है और यही अभय-दान है। ये ही दया और दान तीर्थङ्करों द्वारा अनुमोदित और ये ही मोक्ष के मार्ग हैं।

लौकिक और लोकोत्तर

धार्मिकों के दो प्रमुख तत्त्व मैत्री—अहिंसा और ल्याग—अपरिग्रह जनता के सामने आये, उनकी महिमा बढ़ी। तब सामाजिक क्षेत्र में भी उनका अनुकरण हुआ, उनके व्यापार पर दया और दान—इन दो तत्त्वों की सहित हुई। यरसुखाशसा और तदर्थ प्रयत्न

करना दया और परार्थ उदारता एवं अनुग्रह करना दान हैं—ये परिभाषाएं बनीं। धार्मिकों के तत्त्व—मैत्री और त्याग का लक्ष्य था—आत्म-शुद्धि और मानदण्ड था—परमार्थ—मोक्ष-साधकता, अहिंसा और निर्ममत्व। सामाजिक तत्त्व दया और दान का लक्ष्य था—समाज व्यवस्था और मानदण्ड था परार्थ—दूसरों के लिए। इसीलिए आगे चलकर धर्मचार्यों ने इनसे धार्मिक तत्त्वों का पार्थक्य दिखाने के लिए इनके दो-दो भेद किए—लौकिक और लोकोत्तर। इसका तात्पर्य यह न हों कि धार्मिक क्षेत्र में दया और दान शब्द प्रयोग में ही नहीं आये थे। इन दोनों का अस्तित्व था, किन्तु या अहिंसा और त्याग के रूप में ही।

समाज में ज्यों-ज्यो सग्रह की भावना बढ़ती गई, त्यों-त्यो समाज-शास्त्री दान को धर्म बताकर इसकी महिमा बताते गए। उपनिषद् में एक घटना का वर्णन है कि “देव, मनुष्य और असुर—इन तीनों ने प्रजापति से उपदेश चाहा। तब प्रजापति ने उन्हें उपदेश देते हुए तीन दकार (‘द’ ‘द’ ‘द’) कहे। भोग-ग्रधान देवों से कहा—दमन करो, सग्रह ग्रधान मनुष्यों से कहा—दान करो, हिंसा-ग्रधान असुरों से कहा—दया करो”^{१३}।” इसको हम सामाजिक सत्य के रूप में स्थीकार करें तो यह साफ प्रतीत होता है कि दान पुराने समाज-शास्त्रियों की सम्बन्ध-रोग के प्रतिकार में प्रयुक्त चिकित्सा विधि है। उन्होंने दान-धर्म की निल्पणा के द्वारा सग्रह का अन्त करना चाहा, परन्तु इसका परिणाम उल्टा हुआ। लोगों में सग्रह-चृति दर्कने की श्रेष्ठता लाखों करोड़ों का सग्रह कर थोड़े से दान से शुद्ध हो जाने की भावना उग्र हो गई। परिणाम यह हुआ कि दान-धर्म के नाम पर गरीबों का शोषण और उत्पी-ड़न बढ़ चला। तब धर्मचार्यों ने इसके विरोध में क्रान्ति का शख पूका—इसीलिए पूका कि धर्म के नाम पर समाज की विडम्बना हो रही थी। उन्होंने कहा—“जो निर्धन पुण्य करने के लिए, दान करने के लिए धन का संग्रह करता है, वह ‘लान कर लूगा’ ऐसा ख्याल कर अपना शरीर कीचड़ से लथेइता है”^{१४}।”—“न्यायोप-र्जित धन से सम्पत्ति नहीं बढ़ती। स्वच्छ पानी से क्या कभी नदिया भरती है”^{१५}।” समाज-शास्त्रियों की भी आवें खुलीं। उन्होंने अपनी लेखनी की गति भी बदली। पर वे समाज की स्थिति न बदल सके। असहाय, अनाय, अपाङ्ग आदि विशेष स्थिति वालों के सिवाय दूसरों की दान देने का निषेध किया जाने लगा—पाप बताया जाने लगा। फिर भी थोड़े से दान से धार्मिक वनने वाले पूजीपतियों और विना-

श्रम रोटी पाने वाले भिखर्मंगो की भावना बदली नहीं। प्राग्-ऐतिहासिक युग का वर्णन करते हुए कवियों ने लिखा है कि यहाँ भारत में एक भी भिज्जुक नहीं था^{१५}। आज यहाँ भिखर्मंगो की एक बड़ी फौज है। यह किसका परिणाम है, थोड़ी गहराई में जायं तो इसे समझने में कठिनाई नहीं होगी।

आज का जागृत समाज और उसके निर्माता इन असमानता की बहुत सी खाइयों को पाट छुके हैं और रही-सही का भास्य-निर्णय होने वाला है। दया और दान के नाम पर असहाय वर्ग के अपकर्ष और हीनता का समर्थन तथा सहायक वर्ग के उत्कर्प और अहभाव का पीपण आज सहा नहीं जा सकता। परिस्थिति के कुचक से बड़े-से बड़ा व्यक्ति या वर्ग असहाय हो सकता है, वह अपने सामाजिक भाइयों से सहायता की भी अपेक्षा रख सकता है, पर वह दया और धर्म के नाम पर उनसे सहायता नहीं चाहता है, वह चाहता है सौहार्द और श्रावृत्त के नामे। इस दया और दान के नाम पर ग्रनुद्ध धनी-वर्ग ने अपने अधिकृत और असहाय भाइयों के साथ जितना सामाजिक अन्याय किया है, स्यात् उतना दूसरे नाम पर न तो किया है और न कभी हो भी सकता। खैर, जो कुछ हुआ हो—आज अपने सामाजिक सहयोगियों को हीन-दीन समझ कर उनकी सहायता के द्वारा धर्म—पुण्य कमाने की भावना दृढ़ती जा रही है। आज उनकी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न हो रहा है और सम्मान के साथ उनकी व्यवस्था का समाजीकरण हो रहा है। बहुत से देशों में असहायों की व्यवस्था सरकार करती है। यहाँ भारत में भी भिज्जा-निरोधक विधि आदि नियम बना कर जनता के समर्थन-पूर्वक सरकारें भिखर्मंगो की फौज तितर-वितर कर रही हैं। किन्तु फिर भी प्राचीन व्यवस्था के अनुसार दया-दान की द्विधिता का जो प्रतिपादन हुआ, उस पर भी सरसरी दृष्टि डाल लेना आवश्यक है।

दया के दो भैद

दया दो भ्रकार की है—लौकिक और लोकोत्तर। लोकोत्तर दया और अहिंसा एक है, यह पहले बताया जा चुका है। अब लौकिक दया के बारे में कुछ विचार करना है। यद्यपि तत्त्वतः दया के ये दो भैद नहीं होते, फिर भी शब्द की समानता से ऐसा हुआ है। इसीलिए आचार्य भिज्जु ने कहा है—

“भोले ही मत भूलज्यो, अगुकम्पारे नाम ।
कीज्यो अन्तर-पारखा, ज्यू सीमे आतम काम ॥
गाय भैंस आक थोहरनो, ये चारों ही दुष्ट ।
ज्यो अतुकम्पा जाण ज्यो, मनम आणी शुद्ध॑० ॥” .

लौकिक दया का मुख्य आधार है—समाज व्यवस्था एव दुःखित व्यक्तियों पर अनुग्रह । उसमें हिंसा-अहिंसा का विचार नहीं किया जाता । इसीलिए वह लोकोत्सर दया से, दूसरे शब्दों में अहिंसा से पृथक् है । लौकिक दया को विशुद्ध अहिंसा न मानने के कारण जैन आचार्यों को काफी सर्वप का सामना करना पड़ा । फिर भी वे अपनी तात्त्विक व्याख्या से पीछे नहीं हटे । प्रश्नव्याकरण सूत्र में कहा है—“भगवती अहिंसा त्रै और स्थावर सभी जीवों का कल्याण करने वाली है२१० ।” इसकी टीका करते हुए अभ्यदेवसुरि लिखते हैं—“जो सर्वभूतज्ञेमझरी है वही अहिंसा है, दूसरी नहीं । लौकिक जिसे अहिंसा कहते हैं, जैसे—‘एक गड़ की प्यास बुझती है, उससे सात कुलों का निस्तार हो जाता है, इसलिए जलाशय बनाने चाहिये’—यह गो विषयक दया उनके मत में (लौकिकों के मत में) अहिंसा है । किन्तु उसमें पृथ्वी, पानी तथा बहुत प्राणियों की हिंसा होती है, इसीलिए वह सम्यक् अहिंसा नहीं है२११ ।” इसी प्रकार आचाराग सूत्र के विभिन्न शब्दों में प्रसिद्ध टीकाकार शीलाङ्काचार्य ने हिंसायुक्त लौकिक दया को विशुद्ध अहिंसा मानने का विरोध किया है२१२ । उनकी स्पष्टोत्ति एव विचार-व्यञ्जना में अत्यन्त ओज और निर्भीकता है—“कोई उनसे पृथग्ता है, इस प्रकार तो समस्त लोक-प्रसिद्ध गोदान आदि का व्यवहार दृढ़ जायगा । उत्तर में कहा है—भले ही ऐसे वन्धनों के हेतुभूत व्यवहार दृढ़ जाए । परमार्थ-चिन्ता में व्यवहार नहीं देखा जाता, वहाँ तो यथार्थ-निरूपण होता है२१३ ।” इस प्रतिपादन में उन्हें आगम का सर्वथन प्राप्त था । जैन शास्त्रों में द्वादशांगी का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । उसमें जगह २ पर धर्मार्थ हिंसा का बहुमुखी विरोध किया गया है । “जो मन्द दुष्टि धर्म के लिए हिंसा करता है, वह अपने लिए महा भय पैदा करता है२१४ ।” “दूसरे के द्रव्य में जो श्रविरत है, वह सुखी नहीं बनता२१५ ।” “धर्म के लिए जीवन्यध करने में दोष नहीं—यह अनार्थ बचन है२१६ ।” “धर्म के लिए हिंसा नहीं करनी चाहिए—यह आर्य-बचन है२१७ ।” “जो सुख चाहने वाले व्यक्ति इस ज्ञानिक जीवन के परिवन्दन-मानन-पूजन के लिए, जन्म-

मरण से मुक्त होने के लिए, दुःख से छूटने के लिए छह काय की हिसाकरते हैं—
आरभ-समारभ 'करते हैं, वह उनके अहित और अवोधि के लिए होता है^{२२६}।'"
“दूसरों को सुख देने से सुख होता है—यह कहने वाले आर्य-धर्म और समाधि-मार्ग से दूर है^{२२७}।" उक्त विचारों का अबलोकन करने से यह अपने आप उत्तर आता है कि भगवान् महावीर के समय में दया-दान मात्र को धर्म बताने वाली विचार-परंपराएँ थीं। उनपर आचाराग, सूत्रकृताग और प्रश्नव्याकरण में सूख और गम्भीर विचार किया गया है। उस समूची विचार धारा का सार हमें सूत्रकृताग की निम्नवर्ती दो गाथाओं में मिल जाता है^{२२८}:—

इह भेगे उ भासति, सात सातेण विजति ।

जे तत्थ आरियं भग्नं, परमं च समाहियं ॥

मा एवं अवमन्त्रता, अप्येणं लुप्त्वा वहु ।

एतस्त अभोक्ताय, अय हारिष्व भूरद ॥

पहली गाथा के पूर्वार्ध में पूर्व पक्ष का निरूपण है। उसकी मान्यता है—“सब जीव सुख के इच्छुक हैं, दुःख नहीं चाहते, इसलिए सुखार्थी पुरुष को स्वयं को, दूसरों को, सभी को सुख देने चाहिए। सुख देने वाला ही सुख पाता है^{२२९}।" उत्तर-पक्ष में भगवान् महावीर के विचारों का निरूपण करते हुए सूत्रकार लिखते हैं कि “मोक्ष-मार्ग का विचार करते समय ‘सुख देने से सुख होता है—यह सिद्धान्त युक्ति के प्रतिकूल होता है। कारण कि सासारिक प्राणियों में अनेक प्रकार के इष्ट सुखों की आकांक्षा होती है, उसकी पूर्ति का मोक्ष मार्ग से सम्बन्ध नहीं जुड़ता। मोक्ष-मार्ग में स्वेच्छापूर्वक यथा शक्ति तपस्याजन्य कष्ट के लिए भी पर्याप्त स्थान है। ‘सुख देने से ही सुख मिलता है’, यह सिद्धान्त व्यावहारिक या सामाजिक ही सकरा है, आध्यात्मिक नहीं। इस पर भी आप (पूर्व-पक्ष के समर्थक) जैनेन्द्र-प्रबन्धन की अवमानना करना चाहें तो आप जानें, पर इससे आप भी आत्म-साधना का मार्ग नहीं पा सकते।” इन विचारों का मनन करने के बाद सहज ही इस निर्णय पर पहुँच जाते हैं कि मोक्ष-मार्ग में अहिसा का विचार होता है, भौतिक सुख-सुविधाओं का नहीं।

दुःखत्रयाभिधात् के लिए प्रवृत्त सांख्योंने भी ठीक इसी प्रकार याचिक पक्ष का विरोध किया है। यह में पशु-वध “करने वालों का पक्ष यह था कि हिंसनीय का

अनुग्रह-रहित प्राण-वियोजन किया जाता है, वह हिंसा है, किन्तु अनुग्रह-पूर्वक प्राण-वियोजन करना हिंसा नहीं है। यज में वलि हुए पशु को खर्ग मिलता है—ऐसा शास्त्रीय विधान है, इसलिए यज में उनकी वलि करना हिंसा नहीं प्रत्युत धर्म है^{२३०}। ‘परानुग्रहकरो व्यापारो धर्मः’, ‘परपीडाकरो व्यापारोऽधर्मः’—दूसरों पर अनुग्रह करना—यह धर्म का लक्षण है। यज के द्वारा यजकर्ता और हिंसनीय पशु दोनों को खर्ग की प्राप्ति होती है। इसका प्रतिवाद करते हुए साह्य-आचारायों ने लिखा है कि “यदि दूसरों का अनुग्रह धर्म और कष्ट अधर्म है—यही धर्म-अधर्म का अभिवचन है तब तो तपस्या, जाप, खाध्याय आदि से दूसरों का अनुग्रह नहीं होता—दूसरों को तपस्या की प्रेरणा देते हैं, वे करते हैं, उससे उन्हें कष्ट भी होता है। उसमें परानुग्रह नहीं है, इसलिए वह अधर्म होगा और मदिरा पिलाने में परपीडा-करत्व का अभाव है, इसलिए वह धर्म होगा। यह इष्ट नहीं है अतएव ‘परानुग्रह धर्म और परपीडा अधर्म’—धर्म और अधर्म का यह लक्षण मानना सगत नहीं^{२३१}।” जैन-परम्परा के द्वारा यज-न्यून पर प्रखर प्रहार होता रहा, हिंसा धर्म-पुण्य का हेतु नहीं—यह माना जाता रहा। आगे चल कर वह परपरा कुछ बदल गई—लौकिक वेग के सामने मुक गई। दया के द्रव्य और भाव—ये दो भेद कर द्रव्य-दया—द्यावहारिक अहिंसा को पुण्य का हेतु माना गया^{२३२}। इस विषय को लेकर आचार्य थी तुलसी ने अपनी कृति जैनसिद्धान्त दीपिका में वडा मार्मिक विवेचन किया है। उसका संज्ञेष में सार यह है—आध्यात्मिक दया और अहिंसा दोनों एक हैं। लोक-दृष्टि में ‘प्राण रक्षा, परानुग्रह और उसके साधनों को भी’ दया कहा जाता है। पर उनमें आत्म-शुद्धि का तत्त्व न होने के कारण वह मोक्ष का हेतु नहीं बनती। वह आत्म-साधक नहीं है—उसके सुख्यतया तीन कारण हैं—मोह का सम्मश्वरण, असत्यम का पोषण और वलाकारिता। प्रयोग के रूप में रक्तें तो उसका रूप यों बनता है कि—लोक-दया मोह की परिणति है, असत्यम की पोषक है तथा उसमें बल का प्रयोग होता है, इसलिए वह तत्त्व-दृष्टि में सम्पूर्ण अहिंसा नहीं है। अतएव वह धर्म और पुण्य की हेतु भी नहीं है।

दान के प्रकार

जैन सूत्रों में दान के दो स्पष्ट मिलते हैं। पहले में द्विविध दान का निरूपण हुआ है—संयत्रिदान, असंयत्रिदान^{२३३}। और दूसरे में दशविध दान का—अनुकृता-

दान, संग्रह-दान, भय-दान, कारुण्य-दान, लज्जा-दान, गरव-दान, अधर्म-दान, धर्म-दान, करिष्यति-दान, कृत-दान^{२३४}। वे द्विविध दान के ही विस्तृत रूप हैं। धर्म-दान का संयति-दान और शेष नौ का असंयति दान में समावेश हो जाता है। ब्राह्मण-परम्परा तथा समाज-शास्त्रों में पुण्यार्थ दान का भी स्थान रहा है। भगवान् भगवानीर के श्रमण-संघ के सामने भी यह प्रश्न आना सामांचिक था। भगवान् ने इसके सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किए, वे सूत्रज्ञतांग में वर्णित हैं। सन्देश में वे यो हैं—

“राजा-अमात्य, सेठ-साहूकार आदि कहे कि दानशाला आदि कराने में मुझे क्या होगा? तब साधुओं को ‘पुण्य होगा या पाप’ ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए। कारण कि दान की तैयारी में वहुत से व्रत-स्थावर जीवों की हिंसा होती है, इसलिए उसमें ‘पुण्य होता है’ यह नहीं कहना चाहिये। उसका निषेध करने से, जिनको अन्न आदि दिए जाते, उनको अन्तराय होती है, इसलिए ‘पुण्य नहीं है’, यह भी नहीं कहना चाहिए। जो दान की प्रशंसा करते हैं—वे प्राणियों के वध की इच्छा करते हैं और जो उसका निषेध करते हैं—वे दान पाने वालों की वृत्ति का छेद करते हैं^{२३५}।”

इस प्रकार भगवान् भगवानीर ने अपना वृद्धिकोण स्पष्ट शब्दों में रख दिया कि वर्तमान में—दानशाला आदि कराते समय या कराने के लिए पूछे, उस समय उसे पुण्य या पाप कुछ भी नहीं कहना चाहिए। उपदेश—काल में जो दान जैसा है, उसको वैसा बताने में कोई आपत्ति नहीं^{२३६}।

संयति-दान में दान शब्द क्रियामात्र का सूचक है, वस्तुवृत्त्या यह त्याग है—अतिथि-संविभाग-ब्रत है^{२३७}। अभय-दान का भी सूची में उल्लेख हुआ है। वह वस्तुवृत्त्या अहिंसा है—यह पहले कहा जा चुका है। जैन आगम के उत्तरवर्ती साहित्य में दान के ‘लौकिक और लोकोत्तर’—ये दो विभाग उपलब्ध होते हैं^{२३८}। लौकिक दान अनेक प्रकार का है—गो-दान, भूमि-दान, हिरण्य-दान, अन्न-दान आदि-आदि। लोकोत्तर दान—संयमी—साधु को आहार, पानी, भैषज्य, वस्त्र, यान्त्र, शर्प्या-संतारक आदि देना।

आगम-साहित्य में वर्णित दान के प्रकार जानने के बाद ‘दान देने से क्या होता है? दान देना चाहिए या नहीं?’ इन प्रश्नों के उत्तर जानने की भी इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए इसकी भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते।

दान का फल

सर्वति को प्राप्तुक, एपणीय आहार पानी देने से निर्जरा^{३९} और असर्वति को शुद्ध या अशुद्ध आहार-पानी देने से पाप कर्म का बन्ध होता है^{४०} ।

दान का विधान और निषेध

सर्वति-दान का अनेक स्थलों में विधान है । श्रावकों की धार्मिक चर्या के वर्णन में उसका प्रचुर उल्लेख मिलता है । असर्वति-दान का भी श्रावकों की सामाजिक चर्या के वर्णन में अनेक स्थलों पर उल्लेख हुआ है, किन्तु उसका विधान कहीं भी नहीं मिलता और न किया भी जा सकता था । देश, काल, स्थिति के अनुसूत्य बदलने वाले सामाजिक धर्मों का विधान जैन सूत्रों द्वारा नहीं किया गया, कारण कि वे आत्म-निष्ठ भगवान् महावीर एव उनकी शिष्य परम्परा—श्रमणों के उपदेश हैं । उनमें अपरिवर्तनीय मोक्ष-धर्म का विधान किया गया है ।

इसी प्रकार सामान्यतः उसका निषेध भी नहीं किया गया है ।

असर्वति-दान के अनिषेध का कारण

प्र०—असर्वति दान मोक्ष-मार्ग नहीं है, इसलिए उसका विधान नहीं किया गया—यह तो ठीक है, किन्तु वह सासार का कारण है, तब उसका निषेध क्यों नहीं किया गया ?

उ०—श्रमण के लिए असर्वति-दान सर्वथा निषिद्ध है^{४१} । श्रावक गृहस्थ है, समाज में रहता है, वह सर्व-विरति नहीं होता । यथा शक्ति धर्म का आचरण करता है । इसलिए उसका क्षेत्र केवल आध्यात्मिक ही नहीं होता^{४२} । वह सामाजिक होने के कारण बहुत सारी समाज द्वारा अभिमत अनाध्यात्मिक प्रवृत्तिया करने के लिए भी वाध्य होता है—करता है । यद्यपि वह उन प्रवृत्तियों को मोक्ष का मार्ग नहीं समझता, फिर भी वह सामाजिक सहयोग की प्रणाली के आधार पर उनका अनुसरण किये विना नहीं रह सकता । यही कारण है कि समाजाभिमत असर्वति-दान का निषेध नहीं किया गया—यह मन्तव्य आगमिक परंपरा का है ।

उत्तरवर्ती साहित्य और असर्वति-दान

‘असर्वति-दान मोक्ष का मार्ग नहीं’—यहाँ तक इसमें कोई विवाद नहीं । ओपनि-प्रविक भी यही कहते हैं कि दान से पुण्य लोक की प्राप्ति होती है । सुकृत ब्रह्मन-निष्ठ

को ही मिलती है^{२४३} । इस तुलना में एक बड़ा भारी भेद छिपा हुआ है, वह भी दृष्टि से परे नहीं किया जा सकता । उपनिषदों में जैसे “श्रद्धा से दो, अश्रद्धा से न दो, सौन्दर्य से दो, लज्जा से दो, भय—पुण्य-पाप के विचार से दो, शान-पूर्वक दो”^{२४४} ।” दान को व्यापकता के साथ धर्म-स्कन्ध माना है, वैसे जैन सूत्रों ने नहीं माना । यह ठीक है कि मोक्ष का साक्षात् कारण शुक्ल ध्यान, शुद्धोपयोग सर्व-सम्वर-रूप अवस्था है; जो उपनिषद् के शब्दों में ब्रह्म-निष्ठ दशा है । किन्तु धर्म का स्कन्ध वही दान हो सकता है, जो आत्म-शुद्धि का साक्षात् कारण हो, दूसरे शब्दों में जो दान साक्षात् सम्वर-निर्जरा-रूप हो । पुण्य लोक भी उसीका सहभावी गौण फल है । इसी का फलित यह हुआ कि संयति-दान ही धर्म का ध्रुंग है और उसीके साथ पुण्य-कर्म का वन्धु होता है^{२४५} ।

‘असंयति-दान अशुभ कर्म-वन्धु का हैतु है’—यह सिद्धान्त शास्त्र-सम्मत हीने पर भी लोकमत के सर्वथा और कुछ हठ तक वैदिक विचार-धारा के भी प्रतिकूल था । वहुत सम्भव है कि यह वडे भारी संघर्ष का विषय रहा हो । ‘अशुकुरंदार्णं पुण्यं, जर्णोहिं न कयाइ पडिसिद्धं’—अनुकम्पा-दान का भगवान् महाबीर ने प्रतिपेष नहीं किया, यह मध्यम मार्ग संघर्ष-काल के ग्रामस्थ में निकला प्रतीत होता है । इसमें बताया गया कि “दान की प्रशंसा और निषेध दोनों नहीं करने चाहिये—यह मोक्षार्थ दान की विधि है^{२४६} ।”

इससे भी विरोध-शमन नहीं हुआ, तब आगे चल आचार्यों ने अनुकम्पा-दान को पुण्य का हैतु माना । इस परंपरा के अनुसार फल-दान की अपेक्षा दान के तीन भाग हो गए—(१) संयति-दान—मोक्ष का साधन, ग्रासंगिक फल के रूप में खर्ग का भी^{२४७}, (२) असंयति-दान—पाप—अशुभ कर्म-वन्धु का हैतु^{२४८}, (३) अनुकम्पा-दान—पुण्य-वन्धु का—खर्ग तथा मनुष्य के भोगों का हैतु^{२४९} । इस नवीन परंपरा से सम्भवतः विरोध का शमन तो ही गया किन्तु आगमिक मन्त्रव्य की सुरक्षा नहीं हो सकी । जैन दृष्टि के अनुसार निर्जरा और पुण्य का (शैलेशी-अवस्था के अतिरिक्त) सहचारित्व है^{२५०} । ‘निर्जरा अत्य और पुण्य अधिक’, भनिर्जरा अधिक और पुण्य अल्प’,—यह ही सकता है किन्तु ‘केवल पुण्य’—यह कभी भनिर्जरा अधिक और पुण्य अल्प’,—यह ही सकता है किन्तु ‘केवल पुण्य’—यह कभी नहीं हो सकता । किर भी केवल पुण्य-हेतुक दान की मान्यता का अजीकरण हुआ नहीं हो सकता । किर भी केवल पुण्य-हेतुक दान की मान्यता का केवल अनुकरण मात्र है—‘एते हैं, वह वैदिक परम्परा की दान-विषयक मान्यता का केवल अनुकरण मात्र है—’

पुण्यलोका भवन्ति^{२५१} इसका प्रतिविम्ब सा है। दशवैकालिक में साधु को पुण्यार्थ तैयार किया हुआ आहार-पानी ग्रहण करने कानिपेष किया है,^{२५२} उससे पता चलता है कि यह लोक-प्रचलित था। पर 'असुक दान' केवल पुण्य के लिए होता है, यह सिद्धान्त जैन सूत्रों में कहीं भी मान्य नहीं हुआ है। नौ पुण्य बतलाये हैं, उनमें अन्न-पुण्य, पान-पुण्य आदि-आदि कहे गए हैं, किन्तु इनका सम्बन्ध संयमी साधु के दान से है^{२५३}।

परम्परा-भेद के ऐतिहासिक तथ्य

"धर्म-दान मोक्ष-साधना का अग है और शेष नौ दान लौकिक है—मोक्ष मार्ग के अंग नहीं हैं"—इस आगम मूलक मान्यता का वीर-निर्वाण की तीसरी शती के पूर्वार्ध तक पूर्ण समर्थन होता रहा, किन्तु उससे आगे सम्पूर्ण जैन संघ इस पर एकमत नहीं रहा। तात्कालिक परिस्थिति एवं उसके उत्तरवर्ती दान-विषयक जैन साहित्य के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है। दान-ग्रनाली का विस्तार-काल भद्रवाहु स्थामी के समय में होने वाला लम्बा दुर्भिक्ष है। उस समय भिक्षा के लिए जो उधम होता, पट्टावली से उसकी पूरी जानकारी मिलती है। दुर्भिक्ष का उल्लेख नन्दी-टीका और परिशिष्ट-पर्व में भी हुआ है। भिक्षुगों की कोई गिनती नहीं रही। कवियों, लेखकों और यहाँ तक कि धर्मगुरुओं द्वारा भी 'दान की महिमा' के बड़े लम्बे-चौड़े पुल बाधे गए। वहुत से जैन साधु भी शिथिल हो स्वेच्छाचारी बन गए। यह वी० नि० दूसरे शतक के उत्तर चरण की घटना है। इसका धीमे-धीमे प्रभाव बढ़ा, जो कुछ आगे चल तीसरे शतक में हटमूल बन गया। जैन साहित्य में दान-विषयक साहित्य, विविध विधि-निषेध और आलोचनाएं—इसी काल से ग्राम्य होती हैं, जो आगे क्रमशः बढ़ती ही चली गई।

दो परम्पराएँ

दान का सामूहिक बातावरण और पुण्यार्थ दान मानने वालों का समाज में प्रभाव एवं लोकप्रियता देख आगम की कठोर परम्परा में कुछ परिवर्तन लाने वाली परम्परा ने पुण्यार्थ दान वाली विचार-धारा का आश्रय लिया। ऐसा प्रतीत होता है, आगमों के आधार पर चलने वाली साधु-परम्परा न केवल भौतिक सिद्धान्त पर अटल ही रही, अपितु उसने नई परम्परा का विरोध भी किया, जिसका उत्तरवर्ती

साहित्य में पूर्व पक्ष के रूप में उल्लेख मिलता है। पूर्व पक्ष का मुख्य तर्क यह रहा कि “दीन-अनाथ व्यक्ति असंयत है इसलिए उन्हें दान देना, मोक्ष का मार्ग एवं धर्म-पुण्य का हेतु नहीं हो सकता^{२५४}।” दूसरे पक्ष द्वारा इसके उत्तर में यह कहा गया कि “सामान्यतः यह ठीक है, असंयति-दान, मोक्ष एवं धर्म-पुण्य का हेतु नहीं बनता किन्तु अनुकम्पा-दान इसका अपवाद है। वह शुभाशय का हेतु होने से पुण्यचन्द्र का कारण है^{२५५}।”

अनुकम्पा-दान पर एक दृष्टि

‘अनुकम्पा^{२५६}-दान’—यह शब्द आगमिक है। इसे पुण्य-हेतु मानने की वात आगम में नहीं मिलती। अनुकम्पा-दान की व्याख्या करते हुए टीकाकारने इतना ही लिखा है—“अनुकम्पया कृपया दानं दीनानाथचिपयमनुकम्पादानम्” इसका आधार सम्भवतः वाचक-मुख्य उमाखारिति का यह श्लोक है :

“कुपणेऽनाथदरिद्रे, व्यसनप्राप्ते च रोगशोकहते ।

यद दीयते कृपार्थादनुकम्पात् तद भवेद् दानम् ॥

कृपण, अनाथ, दरिद्र, कष्ट-ग्रस्त, रोगी, शोकाकुल—ऐसे व्यक्तियों को अनुकम्पा-पूर्वक जो दिया जाए—वह अनुकम्पा-दान है।^१ खैर, इसकी व्याख्या में दोनों परम्पराओं में कोई मत-भेद नहीं। मत-भेद सिर्फ़ यही है कि एक ने इसे पुण्यार्थ दान की कोटि का माना, तब दूसरी ने नहीं माना। एक बात तो यह हुई।

दूसरा प्रश्न यह उठा कि श्रावकों को असंयति को दान देना चाहिए या नहीं—उनके लिए यह विहित है या निषिद्ध^२। यह निश्चित है कि पूर्व-पक्ष असंयति-दान को धर्म-पुण्य का हेतु मानने का प्रबल विरोधी था, फिर भी इसे ‘निषिद्ध’ मानता था, कोई उल्लेख नहीं मिलता है। आगमिक परम्परा के अनुसार न निषिद्ध माना भी जाता था। किन्तु उत्तर-पक्ष की युक्तियों एवं निर्णय को देखने से मालूम होता है कि ‘निषिद्ध’ के समर्थक भी कोई न कोई थे, वह कोई परम्परा थी या व्यक्तिगत विचार थे—यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। इसके उत्तर में अनेक आचार्यों ने अनेक युक्तियां प्रस्तुत की हैं।

(१) अनुकम्पा-दान का भगवान् ने निषेध नहीं किया है^{२५७}।

(२) तीर्थंकर स्वयं दीक्षा के पूर्व वार्षिक दान देते हैं^{२५८}।

(३) पूर्ववर्ती श्रावकों के द्वार सब के लिए खुले रहते थे।

इन युक्तियों के अतिरिक्त आचार्य हरिमद्र ने महावाक्यार्थ के द्वारा भी यह सिद्ध किया है कि 'अनुकम्पा-दान' श्रावकों के लिए निपिद्ध नहीं है^{११} ।

इसके बाद तीसरी विचार-धारा आचार्य भिन्नु की है, जो आगमिक विचार-धारा की आभारी है । आचार्य भिन्नु ने बताया कि 'सयति-दान, ज्ञान दान और अभय-दान—ये तीनों दान अहिंसात्मक हैं, इसलिए मोक्ष के मार्ग हैं ।' इनके अतिरिक्त जो कुछ दान है, वह लौकिक है । उससे धर्म-पुण्य का कोई सम्बन्ध नहीं । अनुकम्पा-दान के लिए भी आपने बताया कि वह श्रावकों के लिए अधर्म-दान की भाँति निपिद्ध भी नहीं है तो सयति-दान की भाँति विहित भी नहीं है ।

तीर्थकरों ने दीक्षा ग्रहण से पूर्व दान किया, इसीलिए यदि वह पुण्य का हेतु है, तब तो तीर्थकर दीक्षा ग्रहण के पूर्व स्नान आदि करते हैं, वे भी पुण्य के हेतु होने चाहिए । तथा सावत्सरिक दान अनुकम्पा या दीनोद्धार के लिए नहीं होता । उसे सभी वर्गों के लोग ग्रहण करते हैं, केवल दीन-वर्ग नहीं^{१२} । यह दान एक मात्र रीति का परिपालन है^{१३} । आचार्य मलय गिरि ने आवश्यक टीका में लिखा है कि मगवान् ऋषभनाथ के समय कोई अनाथ दीन या याचक थे ही नहीं । फिर भी उन्होंने दान दिया था ।

आवक समाज में रहते हैं, इसलिए वे सामाजिक व्यवहार का अनुसरण किये बिना कैसे रह सकते हैं । वे यदि पहले अनुकम्पा-दान देते तो सासार के व्यवहार का पालन करते और आज भी यदि देते हैं, तो वही व्यवहार पालन होता है । तथा 'अपावृतद्वारा'^{१४} इस विशेषण का दान से कोई भी सम्बन्ध नहीं है । यह विशेषण उनकी धर्म-दृढता का सूचक है^{१५} । उन्हे किसी भी पर तीर्थिक का भय नहीं था ।

प्रस्तुत ग्रन्थ में आचार्य भिन्नु की विचार-सरणि के आधार पर आगमिक परम्परा का समर्थन किया गया है । जो दान सयमोपवर्धक है, वही निरवद्य मोक्ष-भार्ग का हेतु है और जो सयमोपवर्धक नहीं, वह सावद्य—अशुभ कर्म-वन्ध का हेतु है । आगमिक परम्परा से आगे बढ़कर 'अनुकम्पा-दान' को पुण्य का हेतु मानने वालों की युक्तिया वहाँ एकदम लचीली हो जाती है, जब वे इष्टापूर्त का खण्डन करते हैं^{१६} । "इष्टापूर्त आदि में थोड़ों का उपकार होता है और आरम्भ अधिक होता है, इसलिए वह अनुकम्पा नहीं है^{१७} ।"

तब प्रश्न हुआ कि 'प्रदेशी राजा ने दानशाला बनाई' यह क्या है ? इसके उत्तर में "उसका आलम्बन पुष्ट था, वह प्रवचन की उन्नति का हेतु था" ॥^{११} अथवा "जहाँ थोड़े आरम्भ से बहुतों का उपकार होता है, वह अनुकम्भा ही है" ॥^{१२} आदि-आदि दी जाने वाली शुक्तियाँ प्रामाणिक जगत् के लिए कार्यकर नहीं हो सकतीं। याजिक भी यही कहते हैं कि "यज्ञ-हिंसा से बहुतों का उपकार होता है तथा पाप की अपेक्षा पुण्य अधिक होता है, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं" ।^{१३} यदि थोड़े पाप और अधिक पुण्य की क्रिया को ठीक माना जाए तो फिर याजिक हिंसा का विरोध करने का कोई आधार नहीं रहता। एक ही क्रिया में पाप और पुण्य दोनों हो नहीं सकते। दोनों के कारण पृथक्-पृथक् हैं। पृथक्-पृथक् कारण की अपेक्षा रखने वाले वी कार्य यदि एक ही कारण से उत्पन्न हो जाय, तब फिर उनके कारणों को पृथक्-पृथक् मानने की आवश्यकता नहीं रहती।

धर्म-परीक्षा के लिए कप, छेद और ताप—ये तीन बातें बतलाई हैं। कप का अर्थ है विधि और प्रतिपेध। निर्जरा के लिए—मोक्ष के लिए तपस्या, ध्यान आदि क्रिया करनी चाहिए—यह विधि वाक्य है। प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए—यह निषेध-वाक्य है। किन्तु जो—

"अन्यधर्मस्थिताः सत्त्वाः, असुरा इव विष्णुना ।

उच्छ्वेदनीयास्तेपा हि, वस्ते दोपो न विद्यते ॥"

—इस प्रकार की क्रिया में हिंसा का प्रतिपेध है, वह धर्म की कसौटी नहीं है। यदि यह ठीक है, तब फिर राग-द्वेष की परिणति एव आरम्भ में हिंसा का प्रतिपेध कैसे माना जा सकता है ? केवल 'परिणाम शुभ है' इस पर बल देना ही ठीक नहीं होता। यह तो वैदिक भी कह सकते हैं कि "हम किसी को मारना नहीं चाहते, अधर्म का नाश चाहते हैं, हमारा उद्देश्य पवित्र है।"^{१४} संसार-मोक्षक सम्प्रदाय के अनुयायी भी क्या अपना उद्देश्य पवित्र नहीं बतलाते ? वे कहते हैं—“अत्यन्त दुःखी, दीन, हीन, रोग-ग्रस्त प्राणी जो निरन्तर दुःखी रहते हैं, उन्हे मार डालना चाहिए—यह महान् परोपकार है। यह देखने में भले ही अधिय लगे, किन्तु इसका परिणाम सुन्दर होता है। जो इस कार्य को बुरा बतलाते हैं, इसका निषेध करते हैं, वे पापी हैं।” यह उनके मन्तव्य का सार है। उनका उद्देश्य मारना नहीं, किन्तु दुःखी का दुःख दूर करना है। पर तत्त्व-चिन्ता के मार्ग में—‘इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं’

‘यह परोपकार है’, ‘इसमें आत्म-सन्तोष होता है’, ‘पर-सृति होती है’, ‘मन शुद्ध है’
‘मन को शुद्ध मालूम देता है’—आदि-आदि कल्पनाएं सही नहीं होती। इसलिए इन
शब्दों की दुहाई से क्या ? बुचिया कैसी है—रागात्मक है या अहिंसात्मक ? इस बात
की परीक्षा होनी चाहिए। लोकमान्य तिळक ने लिखा है—“किसी काम में ‘मन की
गवाही लेना’ यह काम अत्यन्त सरल प्रतीत होता है, परन्तु जब हम तत्त्व-शान की हाईट
से इस बात का सूख्म विचार करने लगते हैं—‘शुद्ध मन’ किसे कहना चाहिए, तब यह
सरल पर्याय अन्त तक काम नहीं दे सकता” ॥

विश्व-चिकित्सा-सघ ने दया-प्रेरित हृत्या की निन्दा की है—

विश्व-चिकित्सा-सघ ने एक तीव्र विवाद के बाद दया से प्रेरित होकर मरीज को
मार डालने के कार्य की निन्दा करने का निश्चय किया है। भारत के डायरेक्टर^{३०} एस० जी० सेन और ब्रिटेन के डा० ग्रेग दीनों ने कहा कि वहुत से मरीज को असाध्य
समझ कर उसकी आत्मा को शारीरिक कष्ट से मुक्त करने के लिए उसे मारने की
दवाई दे देते हैं। फ्रान्स के डा० मार्सल पूमेलैक्स ने कहा कि इस प्रकार डाक्टरों
के लिए गुनाह करने के मार्ग खुल जायेंगे। एक प्रस्ताव में संघ ने सिफारिश की है
कि प्रत्येक देश का राष्ट्रीय चिकित्सा-एसोसिएशन इस प्रकार की हृत्या की
निन्दा करें ॥

अनुकम्पा के दो भेद होते हैं—द्रव्य और भाव। अन्न आदि देना—यह द्रव्य-
अनुकम्पा है। धर्म-मार्ग में प्रवृत्त करना—यह भाव-अनुकम्पा है। भाव-अनुकम्पा मोक्ष
का मार्ग है और द्रव्य-अनुकम्पा ससार का। दुःखी का दुःख देख कर रो पड़ना
अनुकम्पा हो सकती है पर वह धर्म-पुण्य का हेठ नहीं हो सकता। आचार्य मिल्जु के
सामने प्रदेशी की दानशाला का प्रश्न भी उलझन का नहीं था। प्रदेशी ने ‘दानशाला’
बनाई—यह उनका राज-धर्म था। राज-धर्म लौकिक धर्म है, आध्यात्मिक नहीं। इस
प्रकार उनका दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट, यौक्तिक और विशुद्ध है। आचार्य मिल्जु के
शब्दों में दान का तत्त्व यह है—

अव्रतमें दे दातार, ते किम उतरै भव पार।

मार्ग नहीं मोख रो ए, छान्दो इण लोक रो ए ॥

शब्दी—असंयमी को जो कुछ दिया जाता है, उससे आत्म-शुद्धि कैसे हो ?

वह मोक्ष का मार्ग नहीं है, लौकिक अभिग्राथ है। समाज की अभिरचि है—प्रथा है। यहस्थ भिन्ना का अधिकारी नहीं है, दान का पात्र नहीं है। दान का एक मात्र वही पात्र—अधिकारी है, जो पचन-पाचन किया से मुक्त तथा सर्वारम्भ सर्व परिग्रह से बिलग रहता है^{२०३}।

इस सम्बन्ध में आचार्य विनोबा के विचार मननीय हैं। वे लिखते हैं—“दुनिया में बिना शारीरिक श्रम के भिन्ना मागने का अधिकार केवल सच्चे सन्यासी को है। सच्चे सन्यासी को—जी ईश्वर-मक्ति के रग में रंगा हुआ है, ऐसे सन्यासी को ही—यह अधिकार है। क्योंकि ऊपर से देखने से भले ही ऐसा मालूम पड़ता हो कि वह कुछ नहीं करता, फिर भी अनेक दूसरी बातों से वह समाज की सेवा करता है।”

सामाजिक पहलुओं का धार्मिक रूप

भारतीय समाज प्रारंभ से ही धर्म-अधान रहा है। उसका सामाजिक पहलू आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत रहा है। जिस प्रकार लोकोत्तर पुरुषों ने—धर्मचार्यों ने मोक्ष-साधना के नियमों का ‘धर्म’ शब्द के द्वारा संग्रह किया, वैसे ही लौकिक पुरुषों ने, समाज-शास्त्रियों ने भी समाज-व्यवस्था के नियमों का ‘धर्म’—शब्द से निरूपण किया। भीष्म पितामह ने कहा है—“जो मनुष्य जिसके साथ जैसा वर्ताव करे, उसके साथ वैसा वर्ताव करना धर्म-नीति है। मायावी के साथ माया और साधु पुरुष के साथ साधुता का वर्ताव करना चाहिए है^{२०४}।” “आततायी को मारने में दोप नहीं होता^{२०५}।” “जो अनार्य सामादि उपायों से सिखाये जाने पर भी न सीढ़ें, वल्कि आततायी बनकर आयें, तो उन्हें शीघ्र ही मार देना चाहिए। उनके मारने में कोई दोप नहीं^{२०६}।” “कहों पर दया करना धर्म है—जैसे दीन-दुर्खियों की सहायता करना, कहीं पर निर्दयता धर्म है—जैसे आक्रमणकारी को कुचला डालना^{२०७}।”—धर्म-सहिताओं के उक्त वाक्य समाज-व्यवस्था के ही नियमों को डालना^{२०८}—धर्म-सहिताओं के उक्त वाक्य समाज-व्यवस्था के ही नियमों को डालना^{२०९}—प्रकट करते हैं। कौड़ग्यिक प्रथा भी भारतीय समाज का प्रमुख अंग रही है। उसको मजबूत बनाने के लिए भी समाज-शास्त्रियों ने विविध प्रकार के धर्मों का निर्माण किया। कुदुम्ब के मुखिया के लिए कुदुम्ब का भरण-पोषण करना, सन्तान के लिए वृद्ध माता-पिता की सेवा करना आदि-आदि अनेक ऐसे धर्म वत्ताएं, जिनके द्वारा यह व्यवस्था स्वस्थ रूप में चलती रहे।

दीन-हुकियों के लिए भी राज्य की या समाज की कोई सामूहिक व्यवस्था नहीं थी। इसलिए समाज-शास्त्रियों ने उनकी सहायता करना, उन्हें दान देना आदि-आदि प्रवृत्तियों को भी महान् धर्म बना डाला। दान समाज का प्रमुख अङ्ग बन गया और वह चलते-चलते लोकोत्तर धर्म की व्यवस्था में भी घुस गया। फल यह हुआ कि हजारों परिवार, लाखों व्यक्ति भिन्नुक बन गए। समाज के सिर भार बन बैठे। 'दान' एक सामाजिक नीति थी, इसलिए सभी ने उसे बहाया-बहाया और वह खूब फैला।

आज समाज की व्यवस्था बदल गई है—पूर्ण रूप से बदल नहीं पाई है तो भी बदलना चाहती है। अब भिन्नुकों को यह बताया जाता है कि श्रम किये विना किसी के दान पर जीना, दयनीय—अभ्युक्तमनीय दशाएं बनाकर दूसरों के दिल में अनुकूल—दया के भाव पैदा कर भीख मारना महापाप है। इस नवीन व्यवस्था में भिन्नमणों को—दीन, दुर्खी, असहाय और अपाङ्ग बनकर मारने वालों को जो दान देते हैं—वे समाज के घटक तथा हितकर नहीं माने जाते।

आज की समाज-व्यवस्था वराती है कि असहायों से उचित श्रम करवाकर उन्हें मजदूरी अथवा श्रम का प्रतिफल दो, भीख मत दो। विना धर्म लेना व देना—दोनों पाप हैं। पुरानी व्यवस्था में 'दान' का स्थान था, आज की व्यवस्था में श्रम का स्थान है। उसमें दान धर्म था, इसमें श्रम धर्म है। आखिर हैं दोनों समाज की व्यवस्थाएं। पहली में विकार आ गया, इसलिए वह टूट गई। नवीन समाज को जिसकी आवश्यकता है—उसका विकास किया जा रहा है। अपाङ्गों के लिए राज-कीय व्यवस्था होती है। आज की दुनिया में वह राज्य उन्हें नहीं माना जाता, जो अपाहिजों की समुचित व्यवस्था न कर सके। जिस राज्य में भीख और दान की प्रथा है, वह आधुनिक दुनिया में पूर्ण सम्मान नहीं पा सकता। सचमुच जो अपाङ्ग नहीं हैं, केवल दान की प्रथा के आधार पर परम्परा के अनुसार सुफूत का खाते हैं, उनके बारे में महात्मा गांधी ने एक बार कहा था—“विना प्राभासिक परिश्रम के किसी भी चर्गे मनुष्य को सुफूत में खाना देना मेरी अहिंसा वर्दास्त नहीं कर सकती। अगर मेरा वश चले तो जहाँ सुफूत खाना मिलता है, ऐसा प्रत्येक 'सदावर्त्त' या 'अन्न-देवत' मैं बन्द करा दूँ।”

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दान किस रूप में चला और आज वह किस भूमिका पर आ कर सका है। प्राचीनतम या प्राण् ऐतिहासिक युग का वर्णन करने वाले साहित्य में मिलता है कि “न कोई याचक था और न कोई दानी।” लोक इस प्रथा से अनभिज्ञ थे। भगवान् ऋषभनाथ ने दीक्षा के पूर्व अपने गोत्रियों को दान दिया, तब से व्यावहारिक दान चला^{३७७}। श्रेयांसकुमार ने भगवान् ऋषभनाथ को भिज्ञा दी; तब से त्यागी, श्रमण एवं सन्यासियों को उनके संयमी जीवन-निर्वाह के लिए अपनी खाद्य-पेय-परिधेय वस्तुओं का विभाग देना—यह त्यागरूप दान चला^{३७८}। ब्राह्मण-दान भी उसी समय चला^{३७९}। क्रमशः ज्यो-ज्यो समाज बढ़ता चला गया, त्यो-त्यो उसकी समस्याएं बढ़ती गईं। दीन, दुखी, अनाथ, अपाङ्ग व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी, तब पुण्य-दान और अनुकम्पा-दान की परम्पराएं चलीं, जिनके वर्णन से ऐतिहासिक युग का साहित्य भरा पड़ा है। इस युग में जैन और वैदिक दोनों के दान विषयक साहित्य में संघर्ष के बीज उपलब्ध होते हैं। वैदिक साहित्य में ‘पात्र और अपात्र’—इन शब्दों द्वारा यह चर्चा गया^{३८०}। जैन साहित्य में ‘सर्वति और असंयति’ तथा ‘पात्र, अपात्र और कुपात्र’—इस रूप में उसकी बड़ी-बड़ी चर्चाएं चलीं^{३८१}। वि० १८ वीं शती के प्रारम्भ में आचार्य मित्रु ने ‘अनुकम्पा-दान’ को धर्मार्थ या पुण्यार्थ मानने का प्रत्यक्ष विरोध किया। और ‘वह सामाजिक सम्बन्ध है, दान है ही नहीं’—इसका प्रचार किया। आज का समाज भी उस दान-प्रथा को उठाकर उसके स्थान पर श्रम तथा सम्मानपूर्ण प्रबन्ध की व्यवस्था को प्रोत्साहन दे रहा है। यह आदि काल से आज तक की भारतीय दान-प्रथा की एक स्थूल रूप रेखा है।

धर्म, दया, दान, उपकार, आदि के लौकिक और लोकोत्तर—ये दो भेद करने का कारण है—सामाजिक और मौक्ष-धर्म का भेद समझाना। क्योंकि इन शब्दों का व्यवहार समाज और अध्यात्म, दोनों के तत्त्वों का प्रकाशन करने के लिए होता है।

भगवान् महावीर समाज के व्यवस्थापक नहीं, धर्म-मार्ग के प्रवर्तक थे^{३८२}। उन्होंने सामाजिक नियमों की रचना नहीं की, आत्म-साधना के नियमों का उपदेश किया था^{३८३}। उनकी दृष्टि क्षणिक दुःखों के प्रतिकार में न जाकर दुःख परम्परा के मूल का उच्छ्वास करने पर लगी हुई थी^{३८४}। उन्होंने मुनि-धर्म और आवक-धर्म

का उपदेश किया^{२८५}। मुनि-धर्म के पात्र ब्रत हैं। आवक धर्म के पात्र अणुब्रत हैं। आवक समाज में रहकर धर्म पालन करता है, इसलिए उसके कर्म जैन दृष्टि के अनुसार तीन भागों में बट जाते हैं :—

१ : विहित ।

२ : निपिद्ध ।

३ : अविहित-अनिपिद्ध ।

पात्र अणुब्रत मोक्ष-भाग्य के साथक हैं, इसलिए विहित हैं। जो कर्म आत्म-हित और समाज-हित, दोनों दृष्टियों से अनुचित हैं, वे निपिद्ध हैं और जो सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, उपादेय हैं—वे न तो विहित हैं और न निपिद्ध। विहित इसलिए नहीं कि वे मोक्ष के साधन नहीं हैं, निपिद्ध इसलिए नहीं कि उनके विना गृहस्थ-जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। ‘निपिद्ध’ की छोड़ने पर आवक के लिए दो प्रकार के कर्म रहते हैं—(१) विहित और (२) अविहित-अनिपिद्ध ।

इसी आशय को पूर्ववर्ती आचार्यों ने लौकिक और लोकोत्तर—इन दो शब्दों द्वारा व्यक्त किया है। जो मोक्ष के लिए हो, वह लोकोत्तर और समाज-व्यवस्था के लिए हो, वह लौकिक। आज की भाषा में इन्हे कमश. आध्यात्मिक और सामाजिक कहा जा सकता है।

धर्म के सम्बन्ध में यदि यह कल्पना हो कि वह समाज-व्यवस्था का नियम मान्न है, तब तो समाज-शास्त्र जिसका विधान करे, वही विहित, जिसका निषेध करे, वही निपिद्ध, जिसे अच्छा माने, वही अच्छा और जिसे उपयोगी माने, वही उपयोगी होगा। और यदि धर्म के सम्बन्ध में कुछ दूसरी मान्यता हो कि वह सामाजिक धरातल से डैन्चा है, आत्म बाद की भित्ति पर अवस्थित है, आत्मा से परमात्मा—नर से नारायण बनने का, ससार से मोक्ष की ओर ले जाने का साधन है तो समाज के सब नियम धर्म-शास्त्र के द्वारा विहित हो ही नहीं सकते। जिन कार्यों में हिंसा, भीह, राग, द्वेष की परिणति होती है, वे समाज के लिए चाहे कितने ही उपयोगी, आवश्यक, अच्छे या उपादेय हों, फिर भी धर्म-शास्त्र उनका विधान नहीं कर सकते।

लौकिक औलौकिक

चिन्तन एक छुतगामिनी धारा है, जिसमें उर्मियों के उत्तर-चढ़ाव होते हैं। उर्मि कपर उठती है तब ऊर्ध्व गमन की कल्पना होती है, वह नीचे आती है तब निम्न-गमन की कल्पना होती है। देखने वाला कह सकता है—यह असंगति है। पर जलधारा को यह कैसे मान्य होगा? वह विसंगति नहीं, किन्तु गति का क्रम है। ऐसा क्रम सबमें होता है। जीवन में जो नानात्व है, वह विसंगति नहीं है। हमारा जीवन अनेक विरोधी तत्त्वों का सहज सामर्ज्जस्य है। वह लौकिक भी है और अलौकिक भी है। यदि वह लौकिक ही हो तो अलौकिकता की कल्पना व्यर्थ होगी और यदि वह अलौकिक ही हो तो उसे लौकिक मानने का कोई अर्थ नहीं होगा।

शरीर लौकिक है, इसलिए शरीर-प्रधान-दृष्टि को हम लौकिक जीवन कहते हैं। आत्मा अलौकिक है, इसलिए आत्म-प्रधान-दृष्टिकोण को हम अलौकिक या आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। इसी तथ्य के आधार पर हम जीवन को दो दृष्टियों से देखते हैं। यह जीवन का वैटवारा नहीं है, यह उसकी गति-विधियों का वैटवारा है। धर्म हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं है। शरीर को आवश्यकता है—भोजन की, पानी की और पदार्थों की। वह स्वयं पदार्थ है और पदार्थ तक ही उसकी गति है। धर्म की आवश्यकता है आत्मा को। जिन्हे आत्मा में आस्था है, उनके लिए धर्म का मूल्य सर्वोपरि है। जिन्हे आत्मा में विश्वास नहीं, उनके लिए धर्म उतना ही मूल्यहीन है, जितना कि एक आध्यात्मिक के लिए पदार्थ। धार्मिक व्यक्ति भी पदार्थ का उपयोग किए विना नहीं जी सकते, पर उनकी दृष्टि में उसका कोई स्वतन्त्र मूल्य नहीं होता। अनात्मवादी भी धर्म के सामान्य नियमों का अनुगमन करते हैं, पर उनका लद्य धर्म के द्वारा आत्मा को सुकृ करने का नहीं होता।

इस समय हमारे सामने तीन दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग धर्म को खीकार ही नहीं करते। उनके कर्तव्य-निर्णय के माध्यम देश, काल और परिस्थिति होते हैं। कुछ लोग धर्म को खीकार करते हैं और समाज की हर आवश्यक सेवा को धर्म मान कर्तव्य और धर्म को एक ही मानते हैं। कुछ लोग धर्म को खीकार करते हुए भी समाज का आत्म-विकास करने वाली सेवा को ही धर्म मानते हैं। वे धर्म और कर्तव्य को संबंधा एक नहीं मानते। सामाजिक अभ्युदय की दृष्टि से पहला विकल्प जितना

सरल है, उतना दूसरा या तीसरा नहीं है। तीसरा इसलिए सरल नहीं है कि वह धर्म को समाज के अभ्युदय का प्रमुख साधन नहीं मानता, दूसरा इसलिए नहीं कि वह समाज के अभ्युदय को प्रधानता देता है और उसका साधन बनाता है—मोक्ष के हेतुभूत धर्म को। वह जिस साध्य की प्राप्ति के लिए धर्म है, उसे गौण करता है और जो साध्य गौण है, उसे प्रधान बनाता है।

समाज के अभ्युदय के लिए जितना महत्त्व अर्थ-नीति और व्यवस्था का है, उतना धर्म का नहीं है और समाज-विकास के लिए जितना महत्त्व धर्म का है उतना अर्थ नीति और व्यवस्था का नहीं है। अभ्युदय से हमारा अभिप्राय है—मौतिक प्रगति और विकास से हमारा अभिप्राय है—चारित्रिक प्रगति। समाज का भौतिक सुस्थान अर्थ से आगे बढ़ता है। धर्म का उससे यदि कोई सम्बन्ध है तो वह इतना ही है कि उसका अर्थ-नीति पर अकुश रहे, उसे विकृत न होने दे। समाज का चारित्रिक विकास धर्म से होता है। अर्थ का उससे यदि कोई सम्बन्ध है तो वह इतना ही है कि परिष्कृत अर्थ-नीति में धर्म को विकसित होने में वाह्य परिस्थिति-जनित कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। अभ्युदय और विकास को एक मानने पर इधर धार्मिक जटिलताएं वर्डी तो उधर समाज-व्यवस्था भी जटिल बनी। इसीलिए समय-समय पर समाज के प्रमुखों और चिन्तकों को कहना पड़ा—धर्म और समाज-व्यवस्था का मिश्रण न किया जाए।

डा० तारानन्द ने अपने रेडियो भाषण में कहा—“जहाँ तक धर्म का सम्बन्ध आध्यात्मिक अनुभव से और सल्ल, खाग जैसे शाश्वत सिद्धान्तों से है, वहाँ तक इसके बारे में कोई कागड़े की गुजाइश नहीं। अर्थ और राजनीति से इसका सम्बन्ध जोड़ना उचित नहीं। क्योंकि ये बातें देश-काल के अनुसार बदलती रहती हैं। यदि इनमें परिवर्तन का विरोध किया जाय तो समाज गतिहीन और जड़ हो जाता है। इसलिए समाज या राजनीति के सामयिक परिवर्तनों को धर्म में परिवर्तन नहीं समझना चाहिए। आज के युग में इहलौकिक और पारलौकिक विषयों को अलग रखना ही ठीक है।”

दैनिक ‘हिन्दुस्तान’ के सम्पादक ने इनके भाषण का सारांश इन शब्दों में दिया है—“आकाशवाणी दिल्ली से ६ अगस्त १९५८ को राष्ट्रीय कार्यक्रम में डा० तारानन्द ने ‘धर्म और राजनीति’ विषय पर अप्रेजी में भाषण किया। सन्देशे कहा—धर्म

का जो आध्यात्मिक रूप है वह नहीं बदलता, न उसके बारे में कोई विवाद हीना चाहिए, पर धर्म का जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप है, उसमें जमाने के साथ परिवर्तन जरूर होता है। इस परिवर्तन का अर्थ धर्म में परिवर्तन या हस्तक्षेप न समझा जाना चाहिए। उचित यह है कि आध्यात्मिक बातों में राज्यका हस्तक्षेप न हो और राजनीतिक या सामाजिक विषयों में धर्म दखल न दे।”

धर्म क्यों ?

अनात्मवादी धर्म को नहीं मानते। वे नीति को स्वीकार करते हैं और उसके उद्देश्य में वे स्पष्ट हैं। उनके अभिमत में—“नीति एक सामाजिक आवश्यकता है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।” वस, यही विचार नीति का समर्थन करने के लिए पर्याप्त है^{२८६}।

आहार, श्वासोच्छ्वास, इन्द्रिया, भापा और मन—ये न आत्मा के धर्म हैं और न पुद्गल के। ये संयोगज हैं—आत्मा और शरीर दोनों के संयोग से उत्पन्न होते हैं।

भूख न आत्मा को लगती है और न शरीर को। भोग की इच्छा न आत्मा में होती है और न शरीर में। आत्मा और शरीर का योग जीवन है। जीवन में भूख भी है और भोग भी है। ये व्यक्ति के निजी धर्म हैं। इनकी पूर्ति कभी वैयक्तिक प्रणाली से होती होगी पर जब से समाज बना, शासन का उदय हुआ तब से इनकी पूर्ति सामाजिक प्रणाली से होती हैं। सामाजिक दायित्व क्रमशः विकसित हुआ है।

साधन अधिक होते हैं और उपभोक्ता कम, तब भूख और भोग समस्या नहीं बनते। साधन कम होते हैं और उपभोक्ता अधिक, तब वे समस्या बन जाते हैं, साधन पर्याप्त होने पर भी यदि संग्रह की वृत्ति अधिक होती है तो वे समस्या बन जाते हैं। आज सचमुच वे समस्या बने हुए हैं—प्रायः सभी जगह, विशेष स्प से उन देशों में, जो अविकसित या अल्प विकसित हैं। आज के शासन तंत्र इनके समाधान में अनवरत लगे हुए हैं। भिन्न-भिन्न सामाजिक प्रणालियों का विकास इसी उद्देश्य से हुआ है। सामाजिक समस्या के समाधान के लिए समाज की विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग और विकास हो—यह समझ में आने जैसा है।

इन दिनों एक नया विचार सामने आ रहा है, उसका संकेत है कि भूख और

भोग की समस्या के समाधान में धर्म का योग होना चाहिए। भूखे लोगों की उपेक्षा कर, उनकी और ध्यान न देकर जो धर्म चलता है वह क्या धर्म है ?

लाखों आदमी भूख की समस्या से चिंतित हैं, उस दशा में धार्मिक लोग धर्म का उपदेश दें, उसका क्या अर्थ हो सकता है, जब तक वे भूखों की भूख मिटाने का यत्न न करें।

यह विचार कोई सर्वथा नया नहीं है। नया मैंने इसलिए कहा है, कुछ जन-सेवक इसकी चर्चा आजकल अधिक करते हैं। जो बुद्धिवादी या समाज-विज्ञान की दृष्टि से सोचने वाले हैं—वे इस विचार को अधिक महत्त्व नहीं देते। उसके पीछे एक निश्चित धारणा है और वह यथार्थ है। हम भावावेग से मुक्त होकर देखें तो यह स्पष्ट दीखेगा कि समाज की समस्या का समाधान सामाजिक व्यवस्था के समयो-चित परिवर्तन से जितना सुलभ होता है, उतना दूसरे प्रकारों से नहीं।

जीवन की भौतिक समस्याओं का समाधान यदि धर्म के पास हो और यदि धर्म का उद्देश्य उनकी पूर्ति करना हो तो उसे समाज-व्यवस्था से अधिक मूल्य नहीं दिया जा सकता। भौतिक और आत्मिक—ये दो भिन्न कोटि के अस्तित्व-क्रम हैं। भौतिक अस्तित्व-क्रम सामयिक है और आत्मिक अस्तित्व-क्रम त्रैकालिक। सामयिक व्यवस्था के साथ त्रैकालिक तत्त्व की संगति नहीं विठाई जा सकती। ये दो भिन्न दिशाएँ हैं—एक बन्धन है और एक मुक्ति। भौतिक जगत् आत्मिक अस्तित्व को मिथ्या या प्राप्त मानता है और आत्मिक जगत् भौतिक उपभोग को बन्धन कारक मानता है।

यथोपि एक ही व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का जीवन जी सकता है, जीता है, किन्तु एक ही साथ दोनों प्रकार के जीवन नहीं जिये जा सकते, तात्पर्य की भाषा में एक ही क्रिया के द्वारा दोनों की आराधना नहीं की जा सकती। भौतिक पदार्थों का प्रयोग किए विना कोई भी देहधारी नहीं जी सकता—यह जितना सच है उतना ही सच यह है कि पुद्गल और आत्मा में खलूप-कृत विरोध होता है, क्रियात्मक विरोध नहीं है। पौद्गलिक पदार्थ धार्मिक के लिए साधक या वाधक कुछ भी नहीं हैं। वे अपने खलूप में हैं, आत्मा अपने खलूप में है।

विरोध या असंगति इनके संयोग की उपज है। आत्मा पुद्गली के सम्पर्क में शा जब उनमें मूर्च्छित हो जाती है—उनकी उपलब्धि के लिए अपने अस्तित्व के

प्रतिकूल कार्य करती है तब उनमें विरोधी योग बनता है। उस स्थिति में सूक्ष्म पुद्गल आत्मा से चिपट जाते हैं। उनकी प्रतिक्रिया आत्म-हित के प्रतिकूल होती है। वे चैतन्य को आबृत्त करते हैं। इसीलिए धर्म के मनीषियों ने कहा—मूर्छा से बचो; मूर्छा से बचने के लिए पौदगलिक पदार्थ के समर्पक से बचो। आवश्यकता को भी अनिवार्यता की कोटि में ले आओ। अनावश्यक भत लो और आवश्यक भी वह लो, जो अनिवार्य हो। पदार्थ भले हों, आसक्ति न हो—यह सिद्धान्त जितना सरल है, उतना ही कठिन इसका आचरण है। पदार्थ को त्यागे विना आसक्ति को त्याग सके—यह सामान्य क्रम नहीं है। अपवाद में कुछ उदाहरण मिलते हैं, उन्हें सामान्य सिद्धान्त के रूप में व्यवहृत नहीं किया जा सकता।

लगभग सभी धर्म-प्रवर्तकों ने कहा—भोग छोड़ो, त्याग करो। त्याग हमारे आध्यात्मिक विकास का सर्वोपरि मन्त्र है। त्याग को केवल निषेधात्मक कहने वाले इस तथ्य को मुला देते हैं कि आध्यात्मिक जगत् में आत्मा के लिए उपादेय कुछ भी नहीं है। आत्मा अपने आप में पूर्ण है। उसकी पूर्णता हेय पदार्थ सूक्ष्म पौदगलिक पदार्थ से तिरोहित रहती है। वह आत्मा का स्पर्श तभी कर सकता है जब आत्मा का उसमें लगाव होता है। त्याग का अर्थ है—उसमें आत्मा का लगाव न रहे, न ए सिरे से वह आत्मा का स्पर्श न करे। हेय अंश का त्याग होता है, इसका अर्थ है—उपादेय अंश का विकास होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मा का विकास होता है। काण्ट ने कहा—नैतिक उच्चता के साथ सुख का साहचर्य होना चाहिए। त्याग संयम है, नैतिक उच्चता है। आनन्द आत्मा का सहज स्वरूप है। जब हेय अंश की निवृत्ति होती है, तब आनन्द का अस्तित्व स्तोत्र फूट पड़ता है।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है—यह चिरपोषित मान्यता है। समाज की यह अपेक्षा है कि मनुष्य एक निश्चित सीमा तक त्याग या आत्म-नियन्त्रण करे। इसमें धर्म के प्रति आस्था रखने या न रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह सर्व सामान्य भूमिका है। मुमुक्षु लोग समाज की अपेक्षा को सामने रखकर आत्म-नियन्त्रण नहीं करते। वे आत्मा को उर्ध्व गमी बनाने के लिए बैसा करते हैं। सामाजिक प्राणी में प्राणैषणा, विषयैषणा और सुतैषणा होती है। वह उनके लिए कामना भी करता है, पर यह धर्म की उपासना नहीं है।

धर्म का अनुष्ठान आत्मा के अक्षित्व पर आधारित है^{२०७} । भगवान् महावीर ने कहा—

- (१) “इह लोक के लिए धर्म मत करो,
- (२) परलोक के लिए धर्म मत करो,
- (३) पूजा श्लाघा के लिए धर्म मत करो,
- (४) केवल आत्म-शुद्धि के लिए धर्म करो^{२०८} ।”

भौतिक सुख-सुविधा के लिए धर्म करने का सिद्धान्त तब बना होगा, जब वह जनता के लिए दुप्राप्य थी । समाज-व्यवस्था के द्वारा जब वह सुप्राप्य हो गई, तब उसके लिए समाज-व्यवस्था के अतिरिक्त धर्म की आवश्यकता नहीं रही । इसी प्रकार जिन-जिन आगम्य और दुप्राप्य पदार्थों की उपलब्धि के लिए मनुष्य इच्छुक थे, उन्हीं के लिए धर्म करते गए । पर यह यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है । पदार्थ सुप्राप्य जो बने हैं, वे धर्म के द्वारा नहीं बने हैं ।

आत्मा भौतिक पदार्थ नहीं है, जो किसी समाज-व्यवस्था द्वारा उपलब्ध किया जा सके । वह इन्द्रिय, मन और तुद्धि से परे है । उसकी उपलब्धि के लिए इनकी स्थिरता अपेक्षित है । ध्यान और साधना की पद्धति का विकास इसी निमित्त से हुआ है ।

मन, वाणी और शरीर की चञ्चलता जितनी अधिक मिटती है, उतनी ही अधिक उसकी उपलब्धि होती है । पदार्थ की प्राप्ति के लिए भी स्थिरता की सरीम साधना करनी होती है, किन्तु उसकी असीम साधना केवल आत्मोपलब्धि के लिए ही की जानी है । अनात्मवादी का चरम तत्त्व दृश्य जगत् से आगे नहीं है । आत्मवादी का चरम तत्त्व दृश्य ही नहीं है । दृश्य की आराधना दोनों के लिए आवश्यक है और उसका निर्देशन समाज-शास्त्र से मिलता है । अदृश्य जगत् की आराधना केवल आत्मवादी के लिए है, इसीलिए वह धर्म का आचरण करता है । इन्द्र ने राजपिंय नाभि से कहा—पार्थिव ! आश्चर्य है कि तुम प्राप्त भोगों का ल्याग करते हो ? और अप्राप्त भोगों की प्रार्थना करते हो ? किन्तु इससे तुम्हें पछताना होगा ।

राजपिंय ने कहा—“ये काम भीग शत्र्य हैं, विष हैं, आशीविष सर्प के समान भयकर हैं । जो इनकी प्रार्थना करता है, वह काम-भोगों की भोगे यिना भी दुर्जिति में जाता है^{२०९} ।

विरक्त आत्मा की मोक्ष में जो आस्था होती है, उसे अनुरक्त आदमी नहीं पकड़ सकता और अनुरक्त की पदार्थों में जो आस्था होती है, उसे एक विरक्त आदमी नहीं समझ सकता। किन्तु यह स्पष्ट है कि भोग के लिए यदि धर्म हो तो उसका वास्तविक उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है और धर्म से यदि भोग मिलते हों तो उसका खलप ही नष्ट हो जाता है।

भगु पुरोहित ने कहा—पुत्रो ! जिसके लिए लोग तप करते हैं, वे सब धन, स्त्रियां, खजन और काम-भोग तुम्हें प्राप्त हैं, फिर किसलिए तुम मुनि बनना चाहते हो ?

पुत्रो ने कहा—पिता ! धर्म की आराधना करने में धन, खजन और काम-भोगीका क्या प्रयोजन ? २९०

धन से भौतिक जीवन को सुखद बनाया जा सकता है, अपनी या पराई कठिनाइयों को मिटाया जा सकता है। विप्रमता से उत्तम दौर्मनस्य का अन्त किया जा सकता है, किन्तु धर्माराधना के लिए उसका कोई प्रत्यक्ष उपयोग नहीं है। परोक्ष-सहायता की बात दूसरी है। भौतिक स्थिति कहों आत्मिक विकास की और आत्मिक स्थिति कहों भौतिक विकास की परोक्ष सहायक हो सकती है।

प्रश्न अभी शेष है कि जो अविकसित जातियाँ हैं, जिनके सामने भूख, व्याधि आदि अनेक समस्याएँ हैं, उनकी सेवा में जो न लगे, दरिद्र नारायण की उपासना न करे, गरीबी मिटाने का यत्न न करे, उसकी धर्म-साधना कैसी है ? यह करुणा का मनोभाव है। पुरानी समाज-व्यवस्था में करुणा का विशेष महत्व रहा है। समर्थ लोग हीन-दीन जनों पर दया दिखाएँ—इस करुणा धर्म को मान्यता मिलती रही है। वर्तमान युग अधिकार जागरण का युग है। इसमें करुणा को महत्व नहीं दिया जाता। अविकसित जातियों का विकास करना, गरीबी को मिटाना, सब को भौतिक विकास का समान अवसर देना, आज की समाज-व्यवस्था के प्रधान अंग हैं। इन समस्याओं को धर्म के द्वारा कैसे सुलभाया जा सकता है, भौतिक विकास में धर्म कहाँ तक साथ दे सकता है ? यह गंभीरता पूर्वक विचार करने योग्य है। यह निश्चित है कि समाज में अविकसित और विकसित का मेव रहा, एक पक्ष में गरीबी और दूसरे पक्ष में बहुलता रही, तो कूरता बढ़ेगी, घृणा फैलेगी और हिसक कान्ति की समावना सुट्ट हो जाएगी। इस परिस्थिति को सुलझाने के लिए अविकसित जातियों को भौतिक साधनों से सम्पन्न करने का जो यत्न किया जाता है, उसका

सरलम भए ही आध्यात्मिक न हो, परन्तु परिस्थिति से उत्पन्न हिंसा की उत्तेजना को रोकने की दिशा में वह महत्वपूर्ण कदम है।

मौतिक विकास का समाज-व्यवस्था की दृष्टि से, आत्मिक विकास का आध्यात्मिक दृष्टि से मूल्य आका जाए तो उनके स्वतन्त्र अस्तित्वों का हनन भी नहीं होता और किसी अनात्मवादी या आत्मवादी के सामने कोई समस्या भी उपस्थित नहीं होती।

धर्म की उत्पत्ति भय, दुःख आदि निमित्तों से नहीं हुई है, उसका निमित्त आत्मा का विकास, मुक्ति या पूर्णता की उपलब्धि है।

जिनका दृष्टिकोण न पूरा सामाजिक है और न पूरा आध्यात्मिक है, वे न केवल समाज के अभ्युदय के लिए ही नीति को स्वीकार करते हैं और न विकास के लिए ही धर्म को। वे अभ्युदय और विकास दोनों के लिए धर्म का सहारा लेना चाहते हैं। परिणाम यह होता है कि न नीति सफल होती है और न धर्म, न अभ्युदय होता है और न विकास। कोई भी सामाजिक व्यक्ति अभ्युदय और नीति की तब तक उपेक्षा नहीं कर सकता, जब तक वह सामाजिक जीवन जीता है, किन्तु विकासकी भावना उद्द्युद्ध होने के कारण वह धर्म की आराधना भी करता है। यह अभ्युदय और विकास, नीति और धर्म के प्रति सामजस्यपूर्ण दृष्टिकोण है।

धर्म कथा है ?

धर्म शब्द अपने आप में उलझन भरा है। वह अभ्युदय के हेतुभूत विधि-विधानों व सोक्ष्म के साधनों तथा और भी अनेक अर्थों का बाचक है। अधिक उलझन का कारण भी यही है। यदि धर्म शब्द भौक्ष के साधनों का ही बाचक होता तो सम्भवतः इतनी उलझने नहीं वढ़ती। अपने आपको सुधारक या क्रान्तदर्शी मानने वाले भी अपनी हर सामाजिक प्रवृत्ति को धर्म का रूप देने का लोभ-सबरण नहीं कर पा रहे हैं—यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। अभ्युदय और विकास में कोई अन्तर ही न हो, नीति और धर्म एक ही हो तो धर्म को अभ्युदय की भूमिका से आगे से जाने का अर्थ ही क्या है? समाज-नीति से पृथक् उसके अस्तित्व का स्वीकार ही क्यो? धर्म का स्वीकार इसीलिए तो है कि उसका साध्य अभ्युदय से भिन्न है। धर्म का स्वतन्त्र अस्तित्व इसीलिए तो है कि उसका स्वरूप नीति से भिन्न है।

नीति से हमारा अभिग्राय है जीवन-यापन की व्यवस्थित पद्धति, अम्बुदयकारक व्यवस्था। इसका सरूप धर्म से इसलिए भिन्न है कि धर्म का आदि, मध्य या अन्त जो कुछ भी है वह अहिंसा है और नीति के सामने सर्वोपरि प्रश्न होता है—सामाजिक जीवन की उपयोगिता। सामाजिक उपयोगिता के लिए हिंसा आवश्यक हो तो वह नीति को मान्य हो सकती है, होती है, पर धर्म को वह मान्य नहीं हो सकती। खेती सामाजिक जीवन की अपेक्षा है, इसलिए वह हिंसा होते हुए भी नीति द्वारा सम्मत है। धर्म-सम्मत इसलिए नहीं कि वह हिंसा है, भले फिर वह अनिवार्य हो। एक दिन मौक्काओं को उससे भुक्त होना होता है, जैसा कि महात्मा गांधी ने लिखा है—“खेती इत्यादि आवश्यक कर्म शरीर-च्यापार को तरह अनिवार्य हिंसा है। उसका हिंसापन चला नहीं जाता है और मनुष्य ज्ञान और भक्ति के द्वारा अन्त में इन अनिवार्य दोषों से मोक्ष प्राप्त करके इस हिंसा से भी मुक्त हो जाता है”^१—दूसरी जगह वे इस तथ्य को इन शब्दों में स्वीकार करते हैं—“यह बात सच है कि खेती में सूखम् जीवों की अपार हिंसा है”^२। धर्म की भूमिका पर चिन्तन करने वाले प्रायः सभी धर्माचार्यों ने कृपि को अहिंसा—वर्म नहीं माना है। वहाँ आश्रय तो यह है कि राजनीति की कसौटी पर धर्म को परखा जाता है। धर्म मोक्ष की कसौटी पर ही खरा उत्तर सकता है, राजनीति की कसौटी पर नहीं। धर्म की चर्चा निर्विकल्प-समाधि, जीवन-सुकृति, पूर्ण संवर, पूर्ण अक्रिया और शरीर-सुकृति तक चली जाती है, पर राजनीति इसे कब मान्य करेगी। आखिर हमें अपनी-अपनी सीमा के विधि-निषेधों का ध्यान रखना चाहिए। धर्म के विधि निषेधों को राजनीति या समाज-नीति की दृष्टि से तौलें और उनके विधि-निषेधों को धर्म की दृष्टि से तौलें तो उनमें पूर्ण सामजस्य कैसे होगा? आत्म-विकास के जो उपादान हैं, वे धर्म हैं। आत्म-स्थिति ही धर्म है।

प्रवृत्ति और निवृत्ति

जब से मोक्ष की मान्यता चली है तब से ही प्रवृत्ति और निवृत्ति की चर्चा भी चल रही है। कुछ लोग प्रवृत्ति को अधिक महत्व देते हैं और कुछ लोग निवृत्ति को। सच तो यह है कि जीवन-काल में प्रवृत्ति को छोड़ा ही नहीं जा सकता और मोक्ष के लिए निवृत्ति की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जैन मुनि के लिए पांच

समितिया प्रवृत्त्यात्मक धर्म है और तीन गुणिया निवृत्त्यात्मक धर्म है^{२९३} । कहा जाता है तेरापन्थ प्रवृत्ति को धर्म नहीं मानता—इसमें पूरी सचाई नहीं है । धर्म दो प्रकार के हैं—संवर और निर्जरा । इनमें निर्जरा प्रवृत्त्यात्मक धर्म है । अनागत कर्म-परमाणुओं का विनाश निर्जरा से होता है । ये निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों मिलकर मोक्ष की-प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं । केवल निवृत्ति से भी मोक्ष नहीं होता और वह केवल प्रवृत्ति से भी नहीं होता । तेरापन्थ के अनुसार निवृत्ति से परिष्कृत प्रवृत्ति धर्म है । अस्यमय प्रवृत्ति धर्म नहीं है । प्रेम, आत्मौपन्थ, सत्य-वचन, सतोष और लाग—ये धर्म हैं । प्रजाचन्तु पंडित सुखलालजी की निम्न पक्षियों का अभिमत तेरापन्थ को कब अमान्य रहा है ? वे पक्षिया ये हैं—“जो व्यक्ति सार्वभौम महाब्रतों को धारण करने की शक्ति नहीं रखता उसके लिए जैन परम्परा में अणुक्रतों की सृष्टि करके धीरे-धीरे निवृत्ति की ओर आगे बढ़ने का मार्ग भी रखा है । ऐसे गृहस्थों के लिए हिंसा आदि दोषों से अशतः वचने का विधान किया है । उसका मतलब यही है कि गृहस्थ पहले दोषों से बचने का अभ्यास करें । पर साथ ही यह आदेश है कि जिस-जिस दोष को वे दूर करें, उस-उस दोष के विरोधी सद्गुणों को जीवन में स्थान देते जाएं । हिंसा को दूर करना हो तो प्रेम और आत्मौपन्थ के सद्गुणों को जीवन में व्यक्त करना होगा । सत्य विना बोले और सत्य बोलने का बल विना पाए असत्य से निवृत्ति कैसे होगी ? परिग्रह और लोभ से बचना हो तो सन्तोष और लाग जैसी गुण-पोषक प्रवृत्तियों में अपने आपको खपाना होगा^{२९४} ।” परन्तु उनकी वे पक्षिया जिनकी रचना इन शब्दों में है—“दान का निषेध सार्वजनिक हित प्रवृत्ति का निषेध इतना ही नहीं, जीव-दया पालन का भी निषेध, यह हुई तेरापन्थ की निवृत्ति^{२९५}”—चिन्तन की गहराई लिए हुए नहीं हैं । तेरापन्थ की मान्यता का यह वैसा ही चित्रण है जैसा कि स्याद्वाद का निरसन करते समय शकराचार्य ने किया है । दान सग्रह का आवरण है—इस ऐतिहासिक तथ्य को पंडितजी जैसे मनीषी व्यक्ति दृष्टि से ओफल कर देते हैं—यह आश्चर्य की बात है । क्या जैन आगम साहित्य में असर्विदान को धर्म माना है ? ^{२९६} “असंयति को दान देकर जो पुण्य-फल की इच्छा करता है, वह जलती हुई अग्नि में बीज बोकर अनाज पाना चाहता है^{२९७} ।” क्या यह आचार्य अमितगति की बाती नहीं है ? कन्या-दान, गो-दान, भूमि-दान आदि को धर्म की

कोटि में मानने से इन्कार नहीं किया है^{१९८} ? यदि यह है तो फिर “तेरापंथ दान का निषेध करता है”—इस उक्ति के पीछे रहस्य क्या है ? किती कार्य को धर्म न मानना और उसका निषेध करना—ये दोनों एक तो नहीं हैं। तेरापंथी लोग असव्यति-दान को मोक्ष धर्म नहीं मानते—यह दान का निषेध कैसे ? तत्त्व-चिन्तन की भूमिका में महात्मा गांधी ने माना कि खेती में हिंसा है, पर खेती में हिंसा मानने का अर्थ उसका निषेध कैसे होगा ? आवश्यक कार्यों का निषेध नहीं किया जा सकता—यह जितना सच है उतना ही सच यह भी है कि आवश्यक होने के कारण हिंसा को अहिंसा और असंयम को मोक्ष-धर्म नहीं माना जा सकता ।

कृष्ण में हिंसा है, खाने में भी हिंसा है, जीवन चलाने में भी हिंसा है। जो हिंसा है वह है। उसे स्वीकार करने का अर्थ है—तथ्य का स्वीकार। मनुस्मृतिकार ने लिखा है—“गृहस्थ के घर पाँच वध-स्थान हैं—चूल्हा, चक्की, बुहारी, ओखली और जल का घर^{१९९}”। यह तथ्य की स्वीकृति है। इसका अर्थ निषेध कैसे होगा ? जीवन की आवश्यकताओं व सामाजिक अपेक्षाओं का निषेध किया भी कैसे जा सकता है ?

विनोबाजी ने लिखा है—“कुछ जैन बन्धु तो खेती करना पाप मानते हैं। खेती के काम से जन्मुओं की हिंसा होती है। पर वह हिंसा लाचारी की हिंसा है। शरीर के साथ-साथ कुछ न कुछ हिंसा जुड़ी हुई है, इसलिए उससे बचकर आप नहीं रह सकते। धान्य उत्पादन करने में हिंसा होती है, तो क्या धान्य का व्यापार करने में हिंसा नहीं होती ? खाना पैदा करने में पाप है, तो क्या खाना खाना पाप नहीं है^{२००} ?” इसमें तथ्यों का विश्लेषण है। यह सत्य है—हिंसा धान्य उत्पन्न करने से भी होती है और उसके व्यापार में भी। वह खाना पैदा करने में भी होती है और खाने में भी। पर जैन-दृष्टि से इसका फलित यह नहीं कि खेती मत करो, व्यापार मत करो या मत खाओ। आनन्द आवक भगवान् महावीर का प्रधान उपासक था। उसके बहुत बड़ी खेती थी। वह किसान भी था और वारह व्रती श्रावक भी। खेती हिंसक धन्धा है और व्याज का धन्धा या व्यापार हिंसक धन्धा नहीं है—ऐसा गलत विचार भी कुछ लोगों में दृढ़मूल बना, पर यह वास्तविक नहीं है। महापुराण में व्याज को अर्त-ध्यान माना है—महाहिंसा का हेतु माना है। वर्तमान के अधिकार जैनी-खेती नहीं करते, इसकां कारण अहिंसा-दृष्टि नहीं है।

उसका कारण है—सुविधावाद, ऐश्वर्य और आरामपरता। कुछ स्थानों के, जैसे कच्छ में जैन बन्धु अभी भी खेतीहर हैं। १६ वीं शताब्दी में राजस्थान में भी बहुत जैनी खेती करते थे। जो लोग आज लखपती या करोड़पती हैं, उनके बाप-दादा किसान भी थे। जैन धर्म की अहिंसा का खेती से विरोध कहाँ है? आचार्य भिन्नु ने श्रावक के बारह ब्रतों की विवेचना की है। उसमें उन्होंने श्रावक को खेतिहर के रूप में प्रस्तुत किया है। श्रावक गुरु के पास आता है और बारह ब्रतों को खीकार करने की प्रार्थना करता है। पहला ब्रत अहिंसा है। उसे खीकार करते समय वह कहता है—“ग्रभो! पहले ब्रत में हिंसा का प्रत्याख्यान होता है। हिंसा दो प्रकार की है—त्रस जीवों की हिंसा और स्थावर जीवों की हिंसा। स्थावर जीवों की हिंसा न करूँ तो पेट नहीं भरता, इसलिए मैं त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करता हूँ और स्थावर जीवों की हिंसा का परिमाण करता हूँ। एक बात और है—मैं इतना सहिष्णु नहीं हूँ कि अपराधी को ढ़मा कर सकूँ। मैं उन्हीं त्रस जीवों को नहीं मारूँगा जो अपराधी नहीं हैं। अहिंसा में सावधानी की बहुत आवश्यकता है, मैं इतना सावधान नहीं हूँ। मैं धान तौलता हूँ, गाड़ी पर चढ़कर गाड़ी में जाता हूँ, खेती करता हूँ, वहाँ बहुत जीव मर जाते हैं, इसलिए मैं वहाँ सकल्प पूर्वक त्रस जीवों को मारने का प्रत्याख्यान करता हूँ^{३०१}।”

यह प्रसंग आचार्य भिन्नु के दृष्टिकोण पर भी प्रकाश डालता है। उनका दृष्टिकोण यही था कि हिंसा को, भले फिर वह अनिवार्य हो, अहिंसा न माना जाए। जो अहिंसा नहीं है, उसे मोक्ष-धर्म की बुद्धि से न किया जाए। सामाजिक ग्राण्ठी समाज की आवश्यकताओं को पूरा न करे—यह प्रतिपाद्य न उनका था और न किसी भी तेरापथ के आचार्य का कभी रहा है।

कृषि जो समाज की आवश्यकता है

जहाँ देह है वहाँ आहार है। जहाँ आहार है वहाँ प्रयत्न है। जहाँ प्रयत्न है वहाँ सहयोग है। समाज और क्या है? सहयोग का विनिमय ही तो समाज है। समाज आकिक नहीं होता वह गुण-मात्रिक होता है। इसलिए समाज की जो आवश्यकता है, वह व्यक्ति की आवश्यकता है और जो व्यक्ति की आवश्यकता है, वह समाज की आवश्यकता है। कृषि समाज की आवश्यकता है, जब मनुष्यों के लिए

वृक्षज आहार पर्याप्त नहीं रहा तब वे अन्नाहारी बनें। जैन साहित्य के अनुसार भगवान् ऋषभदेव ने प्रजा के हित के लिए कृषि का उपदेश दिया^{३०२}।

कृषि समाज के निर्वाह और अभ्युदय का हेतु है, इसलिए यह प्रजा के लिए हितकर है^{३०३}।

प्रजा के लिए कृषि जितनी हितकर है, उतना ही हितकर वाणिज्य है। आवात-निर्यात के बिना आवश्यकता पूर्ण नहीं हो सकती। समाज के लिए कृषि भी हितकर है, वाणिज्य भी हितकर है, और भी अनेक कार्य हितकर हो सकते हैं। हिंसा भी समाज के लिए हितकर है। सुरक्षा के साधन और शस्त्रास्त्र भी उसके लिए हितकर हैं। एक शब्द में समाज के लिए जो आवश्यक है वह सब हितकर है। समाज का हित निर्वाह की सामग्री उत्पन्न करने में है—और अभ्युदय करने में है—प्रवार्थों का विकास करने में है। इस रेखा तक सम्भवतः मतद्वय नहीं है। एक अनात्मवादी भी—जिसके लिए अहिंसा नीति हो सकती है, धर्म नहीं—समाज का अभ्युदय चाहता है और उसके निर्वाह की साधन-सामग्री को उत्पन्न करना चाहता है। एक आत्मवादी भी वैसा ही चाहता है, जिसके लिए अहिंसा का मूल नीति से बढ़कर होता है। सामाजिक हित का जहाँ प्रश्न है वहाँ एक आत्मवादी और अनात्मवादी दोनों का धरातल एक है। किन्तु आत्म-हित का प्रश्न अनात्मवादी के लिए नगण्य है और आत्मवादी के लिए वह महत्वपूर्ण है। अहिंसा आत्मवादी के लिए धर्म है। इसलिए वह जिस प्रकार समाज-हित की दृष्टि से सोचता है, उसी प्रकार हिंसा और अहिंसा की दृष्टि से भी सोचता है। जिससे समाज का हित सधता है—निर्वाह और अभ्युदय होता है, वह सारी प्रवृत्ति अहिंसा है—यह कैसे माना जाए? यदि यह माना जाए तो इसका निष्कर्ष होगा कि जो समाज के लिए आवश्यक है, वह अहिंसा है और जो अनावश्यक है, वह हिंसा है।

भगवान् ऋषभदेव ने जनता की आवश्यकता को समझ कृषि का उपदेश दिया पर उसे अहिंसा नहीं कहा। आचार्य हेमचन्द्र ने लिखा है—“थे सब कृषि, वाणिज्य आदि कार्य साक्षय हैं—हिंसा के दोष से युक्त हैं, फिर भी सामी (ऋषभदेव) ने लोकानुकम्पा से प्रेरित होकर इनका प्रवर्तन किया क्योंकि राजा होने के नाते ऐसा करना वे अपनी कर्तव्य मानते थे^{३०४}।” आवश्यक होने मात्र से हिंसा अहिंसा नहीं बन जाती। जो हिंसा है, वह पाप है। पाप का एक अर्थ होता है—निन्दनीय आचरण।

खेती कोई निन्दनीय आचरण नहीं है। वह समाज सम्मत आचरण है और धर्म-शास्त्रों की दृष्टि से भी वह जीवन-निर्वाह का आर्थजनोचित साधन है।

कर्मार्थ तीन प्रकार के हैं—सावद्य कर्मार्थ, अल्प सावद्य कर्मार्थ और असावद्य कर्मार्थ। सावद्य कर्मार्थ असि, मषि, कृपि, विद्या, शिल्प और वर्णिकर्म के मेद से छह प्रकार के हैं। तत्त्वार्थ, धनुष आदि शब्द-विद्या-में निपुण असि-कर्मार्थ हैं। मुनीमी का कार्य करने वाले मषि-कर्मार्थ हैं। हल आदि से कृपि कर्म करने वाले कृपि-कर्मार्थ हैं। चित्र, गणित आदि ७२ कलाओं में कुशल विद्या-कर्मार्थ हैं। धोवी, नाई, छुहार, कुम्हार आदि शिल्प कर्मार्थ हैं। अन्दन, धी, धान्यादि का व्यापार करने वाले वर्णिकर्मार्थ हैं। ये छहों अविरत होने से सावद्य कर्मार्थ हैं। आवक और आविकाएँ अल्प सावद्य कर्मार्थ हैं। मुनि ब्रतधारी सथर असावद्य कर्मार्थ हैं^{३०५}।

पाप का दूसरा अर्थ है असत् कर्म-परमाणुओं का बन्धन। इस अर्थ में खेती भी पाप है। उसमें जीवों की हिंसा होती है। उससे बन्धन भी होता है। थोड़े से सद्यथल से उसकी मुक्ति हो जाती है, यह भले माना जाए पर जिससे थोड़ा भी बन्धन होता है, उसे मुक्ति का साधन कैसे कहा जाए? आचार्य बिनोवा ने लिखा है—“जो धर्म कृषि को पाप मानता है, वह धर्म नहीं है”—उसका आशय निन्दनीय कर्म से हो तो हमें कुछ नहीं कहना है और उसका आशय यदि बन्धन हो तो हम यह कहने के लिए विवश हैं कि जैन धर्म कृषि को बन्धन कारक मानता है, किन्तु मुक्ति कारक नहीं। प्रश्नव्याकरण सूत्र में जीवनिकायों की हिंसा के प्रयोजन बतलाए हैं। वहाँ पृथ्वीकार्यक जीवों की हिंसा का प्रयोजन बतलाते हुए लिखा है—“अनेक लोगं कृषि, पुष्करिणी, वावडी, कूए, सरोवर, तालाब, नैत्य, खाई, आराम, विहार, स्तूप, प्रासाद, भवन, फोपड़ी, देवालय, मण्डप आदि अनेक प्रयोजनों से पृथ्वीकार्य के जीवों की हिंसा करते हैं^{३०६}।

आनन्द भगवान् महावीर का प्रसुत उपासक था। वह कुटुम्ब का प्रधान था और एक बड़ा किसान था। और भी अनेक जैन किसान हुए हैं। इसमें धर्म का प्रभाव ही क्यों? जो जीवन-निर्वाह की आवश्यकता है, उससे किसी भी धर्म का अनुयायी उदासीन नहीं हो सकता।

आज की बढ़ती हुई जनसूख्या ने खेती के प्रश्न को फिर विकट बना दिया है। खेती और अहिंसा की चर्चा नहीं नहीं है। यह आवश्यकता और जीवन-धर्म का दूल्हा है,

इसलिए यह चर्चा होना अस्वाभाविक भी नहीं है। इस विषय की चर्चा भारत से बाहर भी हुई है। अमरीकी वैज्ञानिक डाक्टर अलेकजेंडर एफ्रेकच ने खेत में 'अहिंसा' शीर्षक अपने लिखित भाषण में अहिंसा के बारे में कहे प्रभु उपस्थित किए हैं।

उन्होंने लिखा है—“पृथ्वी से अन्न को उपजाने अर्थात् खेती करने का—‘सर्वोपरि अहिंसा पालन के संग मेल नहीं खाता है। खेती में निश्चय ही, बनस्पति के साथ ही नहीं, पशु-प्राणियों के साथ भी संग्राम करना पड़ता है। जहाँ तक बनस्पति का सम्बन्ध है, किसान अपनी फसलों के साथ इतनी हिंसा नहीं करता है, जितनी वह अपनी खेती की जमीन पर स्वतः उगने वाले पौधों के साथ करता है।’”

“सर्व उच्च आदर्शों की तरह, अहिंसा के आदर्श का भी पालन करना सहज नहीं है, जिस स्वाभाविक ढंग से मनुष्यों को चलना और खाना आता है, उस तरह अहिंसा का पालन नहीं आता। जिस संसार में जीवित प्राणी जमीन और खाद्य के लिए निरन्तर प्रतिद्वन्द्विता करते रहते हैं; जिस संसार में एक प्राणी दूसरे प्राणियों को खाकर ही जिन्दा रह सकता है, उसमें अहिंसा का पालन अत्यधिक कठिन है। शायद अपने चरम रूप में अहिंसा का आदर्श भी, उस आदर्श की तरह रहेगा, जिस पर पहुँच सकने के बजाय, आदमी पहुँचने की चेष्टा ही करेगा।

महात्मा गांधी ने भी इस विषय पर विशद चर्चा की है। उन्होंने खेती को अनिवार्य माना है, सदोष भी माना है, उस दोष की ज्ञान आदि के द्वारा मुक्ति हो जाती है, यह भी माना है और व्यवहार-शास्त्र की दृष्टि से उसे शुद्ध पुण्य कर्म भी माना है—“हिंसा तो सभी समय हिंसा ही रहेगी और हिंसा मात्र पाप है। किन्तु जो हिंसा अनिवार्य हो पड़ती है, उसे व्यवहार-शास्त्र पाप नहीं मानता। इसलिए यजार्थ की गई हिंसा का व्यवहार-शास्त्र अनुमोदन करता है और उसे शुद्ध पुण्य कर्म मानेता है ३०७।” व्यवहार की भूमिका में इसे पाप सम्बवतः कोई भी नहीं मानता। भूमिका-मेद और विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जाए तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

कृषि सब लोग करें—यह विचार श्रम की प्रतिष्ठा के लिए सहज है पर व्यावहारिक है यानही—इस चर्चा में यहाँ नहीं जाता है। फिर भी यह स्पष्ट है कि

सांमाजिक जीवन परस्पर के सहयोग की मिति पर टिका हुआ है। उसके सहयोग का अर्थ विभिन्न श्रमों का विभाजन है—इसीलिए सब खेती करे—यह आग्रह भी विशेष मूल्यवान् नहीं है। किन्तु वर्तमान स्थिति में खाद्यान्नों की कमी है। जन-सख्त्या तीव्र गति से बढ़ रही है। कृषि-संवर्धन के लिए जनता को प्रोत्साहित करना विशेष अपेक्षित है। इस अपेक्षा को सामयिक धर्म तक ले जाया जाए, वह एक दूसरी बात है किन्तु उसे शाश्वत धर्म—अहिंसा-धर्म का रूप न दिया जाए। देह-भूक्ति की साधना को दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न खपाया जाए। परिस्थितिया समाज शास्त्रीय स्तर पर जितने सहज ढग से सुलभ सकती हैं, उतनी सहजता से धर्म शास्त्र और व्यवहार-शास्त्र को मिश्रित करने पर नहीं सुलभती।

झृपि कृषि करें—इस पर थोड़ा विचार करना आवश्यक है। घर से मुक्त होकर झृपि बने और फिर वह कृषि करे—यह बात व्यवहार में उतनी सरल नहीं है, जितनी हम सोचते हैं। कृषि के पीछे घर की सारी व्यवस्था जुड़ी हुई है। झृपि कोरा घर ही नहीं छोड़ता है, वह भूमि भी छोड़ता है और-और साधन-सामग्री को भी छोड़ता है। झृपि अनुत्पादक न हो जाए—यह विचार वर्तमान की परिस्थितियों से उपजाता है। सन्यास या मुनि-जीवन की परिकल्पना में कृषि का स्थान नहीं है, उनका आहार खतन्त्र भाव से भिजा देने वाले यहस्थों के इच्छावृत्त आत्म-संकोच से प्राप्त होता है। इसलिए वे उत्पादकों पर भार नहीं बनते। और यह सच है कि वे उत्पादक बनकर जो देहाध्यास का त्याग और देह-भूक्ति चाहते हैं, उसमें लीन नहीं हो पाते।

डा० अलेक्जेंडर ने लिखा है—“अहिंसा का पालन सब मनुष्यों के लिए समान भाव से कठिन नहीं है। पुस्तकों में रत पण्डित, भिज्ञाचारी साधु, कलाजीवी तथा व्यवसायी भी यदि वे दूसरे मनुष्यों के साथ अपने व्यवहार में स्थायशील हों, निर्दय ‘शिकारों’ से विरत रहें और नाना प्रकार के उत्पाती कीटाणुओं से सभय समय पर होने वाली छोटी-मोटी विरक्तियों को सहन करने को तैयार हों, तो वे अन्य प्राणियों को प्रत्यक्ष भाव से बहुत ही कम कष्ट पहुंचाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन इन सब लोगों को भी भोजन करना ही पड़ेगा और यदि उनका भोजन उन खेतों से आता है जहाँ अहिंसा का पालन नहीं होता, तो भोजन करने में वे परोक्ष हिंसा या परकृत हिंसा का अनुमोदन करते हैं—यद्यपि उन्होंने कभी इन खेतों

को नहीं देखा है और यह जानते भी नहीं हैं कि वहाँ क्या होता है ? लेकिन वे विल्कुल निर्देष नहीं माने जा सकते हैं और वे उनके भोजन को उत्पन्न करने वाले किसान के द्वारा की गई अहिंसा के नियमों के व्याधातों के भागी हुए बिना नहीं रह सकते हैं।”

अनुमोदन की यह परिभाषा उन पर लागू होती है जिन्हे अपने लिए रोटी पकाने, पकवाने, पकाने वाले का अनुमोदन करने का त्याग नहीं है। जिसने ऐसा त्याग किया है, जिसके जीवन-निर्वाह का एक मात्र विकल्प यही है कि कोई अपने खाने में से कुछ भाग दे—खर्च कम खाए, दूसरा बना उसकी पूर्ति न करे—वह खाए वैसा न मिले तो न खाए, अनशन करे वही उसके अनुमोदन से बच सकता है।

तर्क हो सकता है यदि सभी लोग हिंसा से बचने के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाएं तो समाज का निर्वाह कैसे हो ? यह तर्क के लिए तर्क है, व्यावहारिक नहीं है। ब्रह्मचर्य की चर्चा छिड़ने पर ऐसा ही तर्क उपस्थित होता है, यदि सब लोग ब्रह्मचारी बन जाएं तो यह संसार कैसे चले ? पर सच यह है कि न तो सब लोग ब्रह्मचारी बनते हैं और न सब पूर्ण अहिंसा का ही आग्रह रखते हैं। ये भाव उन्हींमें होते हैं जिनमें विशिष्ट वैराग्य का उदय होता है। यह उदय सब में कैसे हो सकता है और यदि हो जाएगा तो फिर ऐसा तर्क कोई करेगा ही नहीं।

एक व्यक्ति आधित है। फिर भी एक नहीं है। राग, द्वेष, मोह-नुक्त विचार या प्रवृत्तियां व्यावहारिक हैं और तद-विशुक्त विचार एवं प्रवृत्तियां आध्यात्मिक हैं। उदाहरण स्वरूप खाद्य-व्यवस्था, यातायात-व्यवस्था, चिकित्सा-व्यवस्था, सुरक्षा आदि कार्य व्यावहारिक हैं। अहिंसा, सत्य आदि आध्यात्मिक हैं। लोक-व्यवहार में व्यावहारिक कार्यों का महत्व है और आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक कार्यों का महत्व है। इस प्रकार दोनों का कार्यदेन पृथक्-पृथक् मानने से यथा सम्भव दोनों की स्थतन्त्रता में कोई बाधा नहीं आती। जैसा कि एक पादरी के प्रश्न के उत्तर में भगवान् गाधी ने लिखा है—“राष्ट्र आपके खास्थ, यातायात, विदेश सम्बन्धी भुद्वा आदि अनेक वातों की देखभाल करेगा, किन्तु मेरे या आपके धर्म की देखभाल नहीं करेगा^{३०८}। यह प्रत्येक व्यक्ति का निजी मामला है।”



* जीवन के दो स्रोत हैं—आध्यात्मिक और व्यावहारिक। ये दोनों.....

फरिश्छु : १ :

टिप्पणियाँ

- १—इहे मेरोंसि नो सत्रा भवइ, कम्हाओ दिसाओ वा आगओ अहमंसि ॥ अति
मे आया उवाइए वा नलिं ॥ के वा अहमंसि ॥ के वा इओ चुओ इह पेचा
भविस्सामि । (आचाराग १-१)
- २—अन्नाशी कि काहीइ, किंवा नाहीइ सेय पावगं । (दशवैकालिक ४-१०)
- ३—पदमं नारणं तओ दया । (दशवैकालिक ४-१०)
- ४—येनाहं नामृता स्यां कि तेन कुर्याम् ।
- यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रूहि ॥ (बृहदारण्योपनिषद्)
- ५—एकोहु धम्मो नरदेवताण, न विजए अन्नमिहेह किंचि । (उत्तराध्ययन १४-४०)
- ६—आत्मा वा रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्त्रव्यो निदिव्यासितव्यः ।
- (बृहदारण्योपनिषद् २-४-५)
- ७—तमेव सच्च शीस्संकं ज जियेहि पवेइय । (भगवती १-३-३०)
- ८—सत्येन सम्यस्तपसा द्वेष आत्मा, सम्यज्ञानेन व्रहाचयेण नित्यम् ।
- अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, य पश्यन्ति यतयः क्षीणदीषाः ॥
- (मुण्डकोपनिषद् ३-५)
- ९—रागद्वा द्वेषद्वा, मौहाद्वा चाक्यमुच्यते श्वनृतम् ।
- यस्य तु नैते दोषास्तस्यानृतकारणं किं स्यात् ॥
- १०—आभिघेय वस्तु यथावस्थितं यो जानाति यथाज्ञानञ्चाभिघत्ते स आसः ।
- (प्रमाण नयतस्वालोक ४-४)
- ११—से वेमि—अथ ब्रवीमि, (आचाराग १-१-३)
- १२—(उत्तराध्ययन २८-२०)
- १३—(उत्तराध्ययन २८-२६)
- १४—(उत्तराध्ययन २८-२४)
- १५—श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः, मन्त्रव्यश्चोपपत्तिभिः ।
- मत्वा च सतत ध्येयं, एते दर्शनहेतवः ॥
- १६—दन्वाण्यसब्वमावा, सब्वप्रभाग्येहि जस्य उवलद्वो ।
- जब्बाहि जयविहीहि, वित्यारक्षङ्गं त्ति नायव्यो ॥ (उत्तराध्ययन २८-२४)

१७—आगमश्चोपपत्तिश्च, समूर्ये दृष्टिकारणम्।

अतीन्द्रियाणामर्थानां, सदभावप्रतिपत्तये ॥ (जानसार)

१८—इह द्विविधा भावाः—हेतुआहा अहेतुआहाश्च । तत्र हेतुआहा जीवास्तित्वादयः, तत्साधकमाणसदभावात् । अहेतुआहा आभव्यत्वादयः, अस्मदाय पेक्षया तत्साधकहेतूनामसंभवात्, प्रकृष्टज्ञानगोचरत्वात् तदेतूनामिति ।

(प्रशापना वृत्ति पद १)

१९—न च स्वभावः पर्यनुयोगमश्चनुते—न खलु किमिह वहनो दहति नाकाशमिति कोऽपि पर्यनुयोगमाचरति ।

२०—श्रवणं तु गुरोः पूर्वे, मननं तदनन्तरम् ।

निदिध्यासनमित्येतत्, पूर्णवोधस्य कारणम् ॥ (शुक्रहस्य ३-१३)

२१—जो हेतुवायपक्वमिम्म, हेतुओ, आगमेय आगमिओ ।

सो सप्तमयपञ्चवओ, सिद्धातविराहओ अन्नो ॥ (सम्मति प्रकरण ४५)

२२—भगवान् का समय १० पूर्व ५२७ का है ।

२३—(सूत्रकृताग १-१)

२४—तस्य श्रद्धैव शिरः । (तैत्तिरीयोपनिषद्)

२५—त्रुदिपूर्वा वाक् प्रकृतिवेंदे । (वैशेषिक दर्शन)

२६—योऽवमन्येत मूले, हेतुशालाश्रयाद् द्विजः ।

स साधुभिर्विहिष्कार्यों, नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ (मनुस्मृति २-११)

२७—यस्तकेणानुसन्धेते, स धर्मे वेद नेतरः । (मनुस्मृति १२-१०६)

२८—(पंच वस्तु ४ द्वारा)

२९—(लोक तत्त्व निर्णय)

३०—न श्रद्धैव लयि पक्षपातो, न द्वेषमात्रादरुचिः परेषु ।

यथावदासल्लपरीक्षथा तु त्वामेव वीरप्रभुमाश्रिताः स्मः ॥

(अर्योग व्यवच्छेदिका २६)

स्वागमं रागमात्रेण, द्वेषमात्रात् परागमम् ।

न श्रयामस्त्वजामो वा, किन्तु मध्यस्थया दशा । (शानसार)

३१—प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितन्डहेत्वामास-
च्छलजातिनिमहस्थानानां तत्त्वज्ञानाद् निःश्रेयसाधिगमः । (न्यायसूत्र १-१)

३२—विषयो धर्मवादस्य, तत्त्वत्र्यपेक्षया ।

प्रस्तुताथोपयोग्येव, धर्मसाधनलक्षणः ॥ (धर्मवादाष्टक)

३३—(शंकर दिग्बिजय)

३४—अन्यत एवं श्रेयास्येत्यत एव विचरन्ति वादिवृष्टाः ।

वाक्-सरम्भः क्वचिदपि न जगाद् मुनिः शिखोपायम् ॥ (वादद्वार्तिशिका ७)

३५—(महामारते वनपर्व ३१२-११५)

३६—यत्तानुभितोऽप्यर्थः, कुशलैरनुमातृभिः ।

अभियुक्ततरैररन्त्यै, रन्धयैवोपयते ॥

ज्ञायेन् हेतुवादेन, पदार्था यदतीन्द्रियाः ।

कालेनैवावता प्राज्ञैः, कृतः स्यात्तेषु निश्चयः ॥

न चैतदेव यत्स्मात्, शुष्कतर्कश्चहो महान् ।

मिथ्याभिमानहेतुत्वात्, लाज्य एव मुमुक्षुभिः ॥

(योगदृष्टि समुच्चय १४३-१४४-१४५)

३७—सच्च लोगम्मि सारभूय । (प्रश्नव्याकरण २)

३८—सत्यमायतनम् । (कैलोपनिषद् चतुर्थ खण्ड ८)

३९—एकाप्यनायाखिलतत्पर्या, जिनेशगीर्विस्तरमाप तर्हः ।

तत्राप्यसत्य त्वं सत्यमङ्गीकुरु सत्य स्त्रीयहिताभिलाभिन् ॥

(द्रव्यानुयोगतर्कणा)

४०—(न्यायसूत्र १-४-१, वैशेषिक दर्शन १-१-१)

४१—(सर्व पदार्थ लक्षणं संश्लेष्ण, पृष्ठ २७)

४२—नानाविश्वद्युक्तिग्रावल्यदौर्वल्यावधारणाय वर्तमानो विचारः परीक्षा ।

४३—(सत्त्वकृतांग १-१-१)

४४—(समवायाग)

४५—(षट् दर्शन समुच्चय ७८-७९)

४६—मनुष्या वा चृष्टिपूलकामस्तु देवाननुवन् को न ऋषि भवतीति । तेभ्य एवं तर्हं
‘ऋषिं प्रायेष्वेन्……’ (निश्क्र २-१२)

४७—गुणाणमासश्चो दत्त्व । (उत्तराध्ययन २८-६)

४८—सद् दत्त्वे वौं । (भगवत्ती) ॥

४६—उत्पादव्ययप्रौद्ययुक्तं सत् । (तत्त्वार्थ सत्र ४-२६)

४०—वैशेषिक दर्शनकारने जहाँ द्रव्य के लक्षण में किया शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ जैन दर्शन में पर्याय शब्द का प्रयोग हुआ है—‘कियाशुणवत् समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्’ (वैशेषिक दर्शन १-१-५, ‘शुणपर्यायाश्रयोऽद्रव्यम्’ (जैनसिद्धान्त दीपिका १-३ ।)

४१—(पाठखल योग, मीमांसा श्लोक वार्तिक पृष्ठ ६२६, शास्त्र दीपिका ।)

४२—घटमौलिः सुवर्णर्थी, नाशोत्पादस्थितिव्यलम् ।

शोकप्रमोदमाध्यस्थ्य, जनो याति सहेतुकम् ॥

(शास्त्रवार्ता समुच्चय ७ श्लोक २)

४३—(भगवती १३-४-४८१)

४४—एगे धर्मे—एकः प्रदेशार्थतया असख्यातप्रदेशात्मकत्वेऽपि द्रव्यार्थतया तस्यैकत्वात् । (स्थानाग्र वृत्ति १)

४५—लोयमेत्ते, लोयपमाणे । (भगवती २-१०)

४६—(भगवती १३-४)

४७—(भगवती १३-४)

४८—धर्माधर्मविमुत्तात्, सर्वत्र च जीवपुद्गलविचारात् ।

नोलोकः कथित् स्या, न च सम्भतमेतदर्थाणाम् ॥ १ ॥

तस्माद् धर्माधर्मौ, अवगाढौ व्याप्त लोकरत्नं सर्वम् ।

एवं हि परिच्छिन्नः, सिद्ध्यति लोकस्तद् विमुत्तात् ॥ २ ॥

(प्रशापना वृत्ति पद १).

४९—लोकालोकव्यवस्थानुपपत्तेः । (प्रशापना वृत्ति पद १) -

५०—यो यो व्युत्तिमच्छुद्दपदाभिवेयः, स स सविपक्षः । यथा घटोऽघटविपक्षकः । यश्च लोकस्य विपक्षः सोऽलोकः (न्यायालोक) (-) .

५१—लोकवन्ते जीवादयोऽस्मिन्निति लोकः, लोकः—धर्माधर्माद्विकायव्यवच्छिन्नने, अशेषद्व्याधारे, वैशाखस्थानकटिन्यस्तकरुद्यमपुरुषोपलक्षिते आकाशखण्डे ।

(आचारांगदीक्षा १-२-१)

५२—अलोकाभ्रंतु भावाद्यर्भावैः पञ्चभिरुज्जितम् ।

स्त्रनेनैव विशेषेण, लोकाभ्रात् पृथग्नीरितम् ॥ (लोकमकाश ३-२८)

६३—तम्हा धम्माधम्मा, लोगपरिच्छेयकारिणो ज्ञाता ।

इयरहा गासे दुख्ले, लोगालोगेति को मेत्रो ॥ (न्यायालोक)

६४—(भगवती ३-४)

६५—किमय भते । कालोति पञ्चुच्छ १ गोयमा । जीवा चेव अजीवा चेव । (भगवती)

६६—कइण भते । दब्बा पण्णता १ गोयमा । छ दब्बा पण्णता, तं जहा-धम्मत्यिकाए,
अधम्मत्यिकाए, आगासत्यिकाए, जीवत्यिकाए, पुगलत्यिकाए, अद्वासमए ।
(भगवती)

६७—समयाति वा, आवलियाति वा, जीवाति वा, अजीवाति वा पञ्चुच्छति ।

(स्थानाग ६५)

६८—जीवेण भते । पोगली, पोगले १ जीवे पोगलिवि पोगलेवि ।

(भगवती ८-१०-३६१)

६९—देखो पारिभाषिक शब्दकोष (परिशिष्ट न० २) .

७०—(भगवती १३-४)

७१—(स्थानाग २)

७२—(प्रश्नापना वृत्ति पद ११)

७३—(प्रश्नापना वृत्ति पद ११)

७४—(प्रश्नापना वृत्ति पद ११)

७५—तएण तीसेमेघोघरसित्रगम्भीरमुर्यरसहैं जीयण परिमंडलाए सुधोसाए धंटाए
तिक्खुतो उज्जालिआए समाणीए सोहम्मे कप्ये अप्येहैं सगूरोहि वत्तीसविमाणा-
वाससयसहस्रेहि अरण्याइ सगूणाइं वत्तीसं धण्टासयसहस्राइं जमगसमगं कण्णकणा-
राव काउं पयत्ताइं पि हुत्था । (जन्मद्वीपे प्रजसि ५)

७६—(भगवती १३-४, २-१०)

७७—अजामेकाम् । (साल्वि कौसुदी १)

७८—सोऽनन्तसमयः । (तत्त्वार्थ सूत्र ५-५०)

७९—धम्म अहम्म आगास, दब्बं एककेकमाहिय ।

अण्णन्ताणिय दब्बाणि, कालोपोगल जन्तवो ॥ (उत्तराध्ययन २८८)

८०—(भगवती २-१०)

८१—(उत्तराध्ययन ३६, स्थानाग २-४)

८२—(भगवती १३-४, लोक प्रकाश २-३)

८३—(उत्तराध्ययन २८, लोक प्रकाश २-५)

८४—(प्रश्नापना वृत्ति पद १)

८५—(लोक प्रकाश २-५)

८६—(हिन्दी विश्व भारती अंक १ लेख १)

८७—(हिन्दी विश्व भारती अंक १)

८८—(हिन्दी विश्व भारती अंक १ चित्र १)

८९—कम्मओ णं भंते ! जीवे, नो अकम्मओ विभक्तिभावं परिणमइ, कम्मओ णं जए

। नो अकम्मओ विभक्तिभावं परिणमइ । (भगवती १२-५)

९०—कर्मजं लोकवैचित्रं चेतना मानसञ्च तत् । (अभिधान चिन्तामणि कोष)

९१—जो तुल्साहणाण फले विसेसी णं सो विणा हेठं कब्रतणओ गोयम ! घडो व्व
हेऊय सो कम्म । (विशेषावश्यक भाष्य)

मलविद्धमणेव्यकिर्त्यथानैकप्रकारतः ।

कर्मविद्धात्मविजसिस्तथा नैकप्रकारतः ॥

९२—कियन्ते जीवेन हेतुभियेन कारणेन ततः कर्म भण्यते ।

९३—ईश्वरः कारणं पुरुषकर्मफलस्य दर्शनात् । (न्याय सूत्र ४-१)

९४—अन्तःकरणधर्मत्वं धर्मदीनाम् । (साख्य सूत्र ५-२५)

९५—न खलु यो यस्य गुणः स तत्पारतन्यकृत् । (न्यायालोक)

९६—रुचिं पि काये । (भगवती १३-७)

जीवस्स सरूपिस्स । (भगवती १७-२)

बण्ण रस पंच गन्धा, दो फासा अष्टग्निल्लया जीवे ।

णो संति असुत्ति तदो, ववहारा मुत्ति वंधा दो ॥ (द्रव्य सग्रह गाथा ७)

९७—रुची जीवा चेव अरुची जीवा चेव । (स्थानाग २)

९८—(भगवती ७-१०)

९९—दब्बं, खेत्रं कालो, भयोय भावो य हेयबो पंच ।

हेतु समासेणु दश्रो जायइ सव्वाण पगर्दैण ॥ (पञ्च सग्रह)

१००—(प्रश्नापना प० २३)

- १०१—जीव खोटा खोटा कर्तव्य करै, जब पुद्गल लागे ताम ।
 ते उदय आया हुःख ऊजे, ते आप कमाया काम ॥
 पाप उदय थी दुर्ख हुवे, जब कोई मत करज्यो रोप ।
 किया जिसा फल भोगवे, पुद्गलनो सूँ दोष ॥ (नव सद्ग्राव पदार्थ)
- १०२—कम्म चिणति सवसो, उस्सु दयम्मि उ परवसा होन्ति ।
 रुक्खं दुरुहइ सवसो, विगलइ स परवसो तत्तो ॥ (वृहत्कल्प भाष्य १)
- १०३—कत्थवि बलिश्रो जीवो, कत्थवि कम्माइ हुति बलियाइ ।
 जीवस्स य कम्मस्स य, पुब्व विस्त्रद्वाइ वैराइ ॥
 (गणधरवाद अधिकार २ गाथा २५)
- १०४—कृतस्याऽचिपक्वस्य नाशः—अदत्तफलस्य कस्यचित् पापकर्मणः प्रायशिच्चतादिना
 नाश इत्येका गतिरित्यर्थः । (पातञ्जलयोग पाद २ सूत्र १३)
- १०५—सब्व जीवाण पि य ए अक्षवरस्स अणन्तभागो निष्ठुवाडिश्रो जइ पुण सो
 वि आवरिजा तेण जीवो अजीवत्पाविजा-सुट्टुविमेह समुदये, होइ पहा चद-
 स्त्राण । (सूत्र ४२)
- १०६—(प्रश्नापना लेश्या पद)
- १०७—तत्र द्विविधा विशुद्धलेश्या—‘उवसमखइय’ ति सूत्रत्वादुपशमक्षयजा, केणं
 पुनरपशमक्षयौ ? यतो जायत इयमित्याह—कपायाणाम्, अयमर्थः—कपायोप-
 शमजा कपायक्षयजा च, एकान्तविशुद्धि चाश्रित्यैवमभिधानम्, अन्यथा हि
 क्षायोपशमिक्यपि शुक्ला तेजःपद्मे च विशुद्धलेश्ये समवत एवेति ।
 (उत्तराध्ययन दृति ३४ अ०)
- १०८—त ओ दुरगइ गामिणिश्रो, तओ सुग्रहगामिणिश्रो । (प्रश्नापना १७-४)
- १०९—किणहा नीला काऊ, तिरिण वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
 तेऊ पम्हा सुकाए, तिरिण वि एयाओ धम्म लेसाओ ॥
 (उत्तराध्ययन ३४-५६, प४७)
- ११०—कर्माऽशुक्लाकृष्ण योगिनिक्षिपित्तमितरेपाम् । (पातञ्जलयोग ४ सूत्र ७)
- १११—(सांख्य कौमुदी पृष्ठ २००)
- ११२—(श्वेताश्वतरोपनिषद् ४-५)

११३—ब्रह्मणो मुखान्निर्गता, ब्राह्मणो, वृहुभ्या क्षत्रियोः, लक्ष्म्या वैश्याः, पद्मभ्यां शूद्राः, अन्ते भवा अन्तस्त्रजाः । ११३-

११४—कम्मुणा बंभणो होइ, खंतिअरो होइ कम्मुणा ।

(त्रिसो, कम्मुणा होइ, सुहो, हवइ कम्मुणा ॥ (उत्तराध्ययन ३३-२५)

न जच्छा वसलो हीति, न जच्छा होति ब्राह्मणो ।

कम्मुणा वसलो होइ, कम्मुणा होति ब्राह्मणो ॥

(सुत निपात—आमिक-भारद्वाज सूत्र-१३),

११५—तपसा ब्राह्मणो जातस्तस्माजातिरकारणम् । (महाभारत)

११६—अव्यभिचारिणा साहस्रेण एकीष्टोऽथर्वा जातिः ।

११७—मनुष्यजातिरेकैव, जातिनामोदयोद्भवा ।

वृत्तिभेदाहिताद्देव दुर्जातुविघ्यमिहाश्नुते ॥ (महापुराण ३८-४५),

११८—जज्ञाणं यस्य यत्त्वोके, स तेन परिकीर्त्यते ।

सेवकः 'सेवया युक्तः, कर्षकः कर्पणात्था ॥

धानुषको धनुषो योगाद्, धार्मिको धर्मसेवनात् ।

क्षत्रियः क्षत्रतस्त्राणाद्, ब्राह्मणो ब्रह्मचर्यतः ॥ (पञ्चपुराण ६ । २१६-२१०)

११९—खीश्वरौ ना धीयाताम् ।

१२०—न जाति-मात्रतो धर्मो, 'लभ्यते देहधारिभिः' ।

सत्य-शौच-तपः-शील-ध्यानस्त्राध्यायवर्जितैः ॥

संयमी नियमः शील तपो दानं दमी दया ।

विद्यन्ते तात्त्विका यस्यां, सा जातिर्महती सताम् ॥ (धर्मपरीक्षा १७ परि०)

सम्भग्दर्शनसम्बन्धपि मातङ्गदेहजम ।

देवा देवं विदु भस्मगूढङ्गारान्तरौजसम् ॥ (रत्नकरण श्रावकान्वारं श्लोकं २८)

१२१—गोत्तकम्भे दुविहे प्रणत्यन्तं जहा—उच्चागोए चेव, यीया गोये चेव ।

(स्थानाग-२-४)

१२२—संताणकमेणात्य, जीवामरेणस्त गोदर्मिति सण्णा ।

उक्तव णीचं चरणं, उक्तं नीचं हवे गोदम् ॥ (गोमठसार कर्म १३-)

१२३—गूयते शब्द्यते उच्चावचैः शब्दैर्यत् तत् गोत्रम्, (उच्चलीचं-कुलोत्पत्तिलक्षणः) यथायिः

विशेषः, तद्विपाकवेद्यं कर्मापि गोत्रम्, कारणे कार्योपचारात् वद्वर्तं कर्मणीडः

पादानविकक्षया गूयते शब्दते, उच्चावचै, शब्दैरात्मा थस्मात् कर्मण उदयात् तत् गोत्रम् । (प्रश्नापना वृत्ति २३)

पूज्योऽपूज्योऽथमित्यादि व्यपदेश्यरूपा गा बाच ज्ञायते इति गोत्रम् ।

(स्थानांग वृत्ति २-४)

१२४—उच्चैर्गोत्रं पूज्यत्वनिवन्धनम्, इतरद्-विपरीतम् । (स्थानांग वृत्ति १-४)

उच्चम्—प्रभूतधनापेक्षया प्रधानम् । अवचम्—तुच्छधनापेक्षया आप्रधानम् ।

(दशवैकालिक दीपिका ५-२-२४)

१२५—समुदाण चरे भिक्खु कुलं उच्चावय सया । (दशवैकालिक ५-२)

१२६—जात्या विशिष्टो जातिविशिष्टः तद्वावो जातिविशिष्टता इत्यादिकम् । वेदयते पुद्गाल वास्त्रद्वयदिलक्षणम् । तथाहि द्रव्यसम्बन्धाद् राजादिविशिष्टपुरुषः १- सम्परिग्रहाद् त्वा नीच-जातिकुलोत्पन्नोऽपि जात्यादि सम्पन्न इव जनस्य मान्य उपजायते । (प्रश्नापना वृत्ति पद २३)

१२७—(आचाराण वृत्ति १-६, प्रेवचन-सार १५१ द्वारा)

१२८—जातिर्मातृकी, कुलं पैतृकम् । व्यवहार वृत्ति ८० १)

जाई कुले विभासा—जातिकुले विभाषा—विविध भाषणे कार्यम्—तुच्छैवम्—जातिर्बाध्यणादिका, कुलमग्रादि अथवा मातृसमुत्था जातिः, पितृसमुत्थं कुलम् । (पिण्ड निर्युक्ति ४६८)

१२९—(उच्चराध्ययन-३)

१३०—(स्वरूपाग्र ६-१३)

१३१—(स्थानांग ४-२)

१३२—(स्थानांग ४-२)

१३३—वस्तुसहबो धम्मो, धम्मो जो सो समोक्तिणिहिंडो ।

मोहकोहविहीणो, परिणामो अप्पणो धम्मो ॥ (कुन्दकुन्द्राचार्य)

१३४—पुद्गालकर्म शुभ यत्, तत् पुण्यमिति जिनशासने दृष्टम् ।

(प्रश्नमरति प्रकरण गाथा २१६)

१३५—श्रुतचारित्राद्यात्मके कर्मक्षम्यकारणे जीवस्योत्मपरिणामे ।

(स्वरूपाग्र वृत्ति २-५)

१३६—तस्मै च पुद्गालपरिणामः, पुद्गालाद्यजीवा इति । (स्थानांग वृत्ति ६) —

१३७—धर्मः श्रुतचारित्रलक्षणः, पुण्यं तत्फलभूतं शुभमर्म । (भगवती वृत्ति १५७)

१३८—संसारोद्धरणसमावः । (सूक्ष्मतांग वृत्ति १६)

१३९—सौविष्णवं पि चिमलं, वंधदि कालायसं पि जहं पुरिसं ।

वंधदि एवं जीवं, सुहमसुहं वा कदं कम्म ॥ (समयसार १४६)

१४०—यदशुभ (पुदगलकर्म) मथ तत् पापमिति भवति सर्वशनिर्दिष्टम् ।

(प्रश्नमरति प्रकरण २१६)

१४१—धर्माधर्मै पुण्यपापलक्षणै । (आचारांग वृत्ति ४)

१४२—निरजर्थ करणीस्यूं पुण्यं नीपजे, साक्षात्स्यूं लागे पाप । (नव सद्ग्राव पदार्थ—पुण्य)

१४३—पुण्यपापकर्मोपादानानुपादानयोरध्यवसायानुरोधित्वात् । (प्रज्ञापना पद २२)

१४४—योगः शुद्धः पुण्यास्त्रवस्तु पापस्य तद्विपर्यासः ।

(सूत्र कृतांग वृत्ति २-५-१७ तत्त्वार्थ सूत्र ६-३)

शुद्धाः योगा रे यदपि यत्तात्मनां, स्ववन्ते शुभं कर्माणि ।

काञ्चननिगडास्तान्यपि' जानीयात्, हत निर्वृतिशर्माणि ॥

(शान्तसुधारस—आश्रव-भावना)

१४५—(भगवती ८-२, तत्त्वार्थ सूत्र ६, नव सद्ग्राव पदार्थ—पुण्य)

१४६—सुह-असुहजुता, पुण्यं पापं हवंति खलु जीवा । (द्रव्यसंग्रह ३८)

१४७—पुण्याद् अकुञ्जमाणो-पुण्यानि पुण्यहेतुभूतानि शुभानुष्ठानानि अकुञ्जाणः ।

(उत्तराध्ययन वृत्ति १३-२१)

एवं पुण्यपयं सोव्या-पुण्यहेतुत्वात् पुण्यं तत् पदते गम्यतेऽथोऽनेति पदं स्थानं

पुण्यपदम् । (उत्तराध्ययन वृत्ति १८-३४)

१४८—त्रिवर्गसंसाधनमन्तरेण पशोरित्वायुर्विकल्पं नरस्य ।

तत्रापि धर्मं प्रवरं वदन्ति, न तं विना यद् भवतोऽर्थकामौ । (सूक्ष्मसुक्तावली)

१४९—प्रार्ज्यं राज्यं सुभगदयितानन्दनानन्दनाना,

रम्यं रूपं सरसकविताचाहुरी सुखरत्नम् ।

(नीरोगत्वं शुणपरिच्यः सज्जनत्वं सुबुद्धिः,

किन्तु ब्रूमः फलपरिणांति धर्मकल्पद्वामस्य ॥ (शान्तसुधारस—धर्ममोवनो)

१५०—अर्धवाहुर्विरोम्येष, न च कश्चिच्छुणोति माम् ।

धर्मादर्थश्च कामश्च, स धर्मः किं न सेव्यते ॥ (पातञ्जल योग—२-१३)

१५१—सति मूले उद्द विपाको जात्यायुभर्गाः । (पातञ्जल योग २-१३)

ते ह्लादपरितापकलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् । (पातञ्जल योग २-१४)

१५२—जाति—जैन परिभाषा में नाम कर्म की एक प्रकृति ।

१५३—भोग—चेदनीय ।

१५४—यत्र प्रतिकमणमेव विषमणीत, तत्राप्रतिकमणमेव सुधा कुर्वते स्यात् ।

तत् किं प्रमाण्यति जनः प्रपत्नघोडधः, किं नोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निःप्रभादः ॥

(समयसार ३० भोक्षाधिकार)

१५५—पुण्य तर्णी वाञ्छा कियो, लागेष्ट्रै एकात पाप । (नव सद्ग्राव पदार्थ ५२)

१५६—नो इह लोगठयाए तब महिंजिआ,

नो परलोगठयाए तब महिंजिआ ।

नो कित्तीवण्णसद्विसिलोगठयाए तब महिंजिआ,

नन्नत्यनिजरठयाए तब महिंजिआ । (दशवैकालिक ६-४)

१५७—भोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्रे काम्यनिपद्धयोः ।

काम्यानि—खगदीष्टसाधनानि ज्योतिष्ठीमादीनि, निषिद्धानि-नरकार्घ्यनिष्टसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि । (वेदान्तसार पृष्ठ ४)

१५८—(उत्तराध्ययन २१-२४)

१५९—(उत्तराध्ययन १०-१५)

१६०—दुदियुक्तो जहातीह उमे भुक्तवृक्षते (गीता २-४०)

१६१—आख्यो भव हेतुः स्यात् सम्बरो भोक्षकारणम् ।

इतीयमाहती दृष्टिरन्यदस्याः प्रपञ्चनम् (वीतराग स्तोत्र १६-६)

१६२—आख्यो बन्धो वा बन्धद्वारायाते च पुण्य फापे,

सुख्यानि तत्त्वानि संसारकारणानि । (स्थानांग वृत्ति ६)

१६३—जिय पुण्य तर्णी वाञ्छा करी, तिण वाञ्छया काम ने भोग ।

ससार चै काम भोग स्यौ, पामै जन्म-मरणने सौग ॥

(नव सद्ग्राव पदार्थ पुण्य ६०)

१६४—अन्यच्छेयोऽन्यहुतैव प्रेयस्ते उमे नानायें पुण्य सिनीतः ।

तयोः शेय आददानस्य साधुर्भवति हीयतेऽर्थात् उ प्रेयो धृणीते ॥

(कठीयनिष्ट १-२०१)

१६५—(ऋग्वेद, पृथ्वी-सूक्त)

१६६—निय व्यवहार में 'धर्म' शब्द का उपयोग केवल "पारलौकिक सुख का मार्ग"

इसी अर्थमें किया जाता है। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं कि "तेरा कौन-सा धर्म है ?" तब उससे हमारे पूछने का यही देत्तु होता है कि तू अपने पारलौकिक कल्याण के लिए किस मार्ग—वैदिक, वैद्य, जैन, ईसाई, मुहम्मदी या पारसी—से चलता है; और वह हमारे प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देता है।

इसी तरह खर्ग-भासि के लिए साधनभूत यज्ञ-याग आदि वैदिक विषयों की मीमांसा करते समय "अथाती धर्म जिज्ञासा" आदि धर्म-सूत्रों में भी धर्मशब्द का यही अर्थ लिया गया है। परन्तु 'धर्म' शब्द का इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है। इसके सिवा राज-धर्म, प्रजा-धर्म, देश-धर्म, जाति-धर्म, कुल-धर्म, मित्र-धर्म इत्यादि सांसारिक नीति-वन्धनों को भी 'धर्म' कहते हैं। धर्म शब्द के इन दो अर्थों को यदि पृथक् करके दिखलाना हो तो पारलौकिक धर्म को 'मोक्ष-धर्म' अथवा सिर्फ़ 'मोक्ष' और व्यावहारिक धर्म अथवा केवल नीति को केवल 'धर्म' कहा करते हैं। उदाहरणार्थ, चतुर्विधि पुरुषार्थों की गणना करते समय हम लोग "धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष" कहा करते हैं। इसके पहले शब्द धर्म में ही यदि मोक्ष का समावेश हो जाता तो अन्त में मोक्ष को पृथक् पुरुषार्थ बतलाने की आवश्यकता न रहती; अर्थात् यह कहना पड़ता है कि 'धर्म' पद से इस स्थान-पर संसार के सैकड़ों नीति-धर्म ही शाल्कारों के अभिप्रेत हैं। इन्हींको हम लोग आज कल कर्तव्यकर्म, नीति, नीति-धर्म अथवा सदाचरण कहते हैं। परन्तु प्राचीन संस्कृत-अन्यों में 'नीति' अथवा 'नीति-शाल' शब्दों का उपयोग विशेष करके राज-नीति-ही के लिए किया जाता है, इसलिए पुराने जमाने में कर्तव्यकर्म अथवा सदाचार के सामान्य विवेचन को 'नीति-प्रवचन' न कह कर 'धर्म-प्रवचन' कहा करते थे। परन्तु 'नीति' शब्दों का उपयोग एक ही अर्थ में किया है; और मोक्ष का विचार जिस शब्दों का उपयोग एक ही अर्थ में किया है; और मोक्ष का विचार जिस स्थान परं परना है, उस प्रकरण के 'आध्यात्म' और 'भक्तिमार्ग' वे खत्तन स्थान परं परना हैं; उस प्रकरण के 'आध्यात्म' और 'भक्तिमार्ग' वे खत्तन स्थान परं परना हैं; और जिस ताम रखे हैं। यहामारत में धर्म शब्द अनेक स्थानों पर आया है; और जिस

स्थान में कहा गया है कि “किसी को कोई काम करना धर्म-संगत है” उस स्थान में धर्म शब्द से कर्तव्य शास्त्र अथवा उत्कालीन समाज-व्यवस्था-शास्त्र ही का अर्थ पाया जाता है, तथा जिस स्थान में पारलौकिक कर्त्याण के मार्ग बतलाने का प्रसंग आया है उस स्थान पर, अर्थात् शान्ति पर्व के उच्चराख में, ‘मोक्ष-धर्म’ इस विशिष्ट शब्द की योजना की गई है। इसी तरह मन्वादि सृष्टिग्रन्थोंमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के विशिष्ट कर्मों, अर्थात् चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन करते समय केवल धर्म शब्द का ही अनेक स्थानों पर कहीं बार उपयोग किया गया है। और भगवद्गीता में भी जब भगवान् अर्जुन से यह कह कर लड़ने के लिये कहते हैं कि “स्वधर्ममिपचोऽवेद्यः” (गी० २-३१) तब, और इसके बाद “खद्में निधन श्रेयः, परधर्मोभयावहः” (गी० ३-३५) इस स्थान पर भी, ‘धर्म’ शब्द “इस लोक के—चातुर्वर्ण के धर्म” के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। पुराने जमाने के ऋषियों ने श्रम-विभाग रूप चातुर्वर्ण संस्था इसलिए चलाई थी कि समाज के सब व्यवहार सरलता से होते जावें, किसी एक विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग पर ही सारा वौझ न पड़ने पावें और समाज का सभी दिशाओं से सरक्षण और पोषण भली-भाति होवा रहे। यह बात भिन्न है कि कुछ समय के बाद चारों वर्णों के लोग केवल जाति-मात्रोपर्जीवी हो गए, अर्थात् सच्चे स्वकर्म को भूल कर वे केवल नाम-धारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो गए। इसमें सन्देह नहीं कि आरम्भ में यह व्यवस्था समाज धारणार्थ ही की गई थी, और यदि चारों वर्णों में से कोई भी एक वर्ण अपना धर्म अर्थात् कर्तव्य छोड़ दे, अथवा यदि कोई वर्ण समूल नष्ट हो जाय और उसकी स्थान-पूर्ति दूसरे लोगों से न की जाय तो कुल समाज उतना ही पुरु होकर धीरे-धीरे नष्ट भी होने लग जाता है अथवा वह निष्कृष्ट अवस्था में तो अवश्य पहुंच जाता है। यद्यपि यह बात सच है कि धूरोप में ऐसे अनेक समाज हैं जिनका अभ्युदय चातुर्वर्ण-ध्यवस्था के बिना ही हुआ है, तथापि स्मरण रहे कि उन देशों में चातुर्वर्ण-ध्यवस्था चाहे न हो, परन्तु चारों वर्णों के सब धर्म, ज्ञातिरूप से नहीं तो हुए विभागरूप ही से जागृत अवश्य रहते हैं। सारांश, जब हम धर्म शब्द का उपयोग व्यावहारिक दृष्टि से करते हैं तब हमें यहीं देखा करते हैं, कि सब

समाज का धारण और पोषण कैसे होता है ? मनु ने कहा है—“असुखोदकं”
अर्थात् जिसका परिणाम दुःखकारक होता है उस धर्म को छोड़ देना चाहिए।
(मनु० ४-१७६) और शान्तिपर्व के सत्यानृताध्याय (शां० १०६-१२) में
धर्म-अधर्म का विवेचन करते हुए भीष्म और उसके पूर्व कर्त्तपर्व में भी
‘ओकृष्ण’ कहते हैं—

धारणाद्धर्मभित्याहुः, धर्मो धारयते प्रजाः ।

यत्प्याद्वारणसंयुक्तः, स धर्म इति निश्चयः ॥

“धर्म शब्द धृ (न्धारण करना) धातु से बना है। धर्म से सब प्रजा बंधी हुई है।
यह निश्चय किया गया है कि जिससे (सब प्रजाका) धारण होता है—वही धर्म है।”
(महा० कर्ण० ६६-५६)

यदि यह धर्म कूट जाय तो समझ लेना चाहिए कि समाज के सारे वन्धन भी
कूट गये; और यदि समाज के वन्धन टूटे, तो आकर्षण शक्ति के बिना आकाश में
सूर्योदि ग्रहमालाओं की जो दशा होती है, अथवा समुद्र में मस्ताह के बिना नाव की
जो दशा होती है, ठीक वही दशा समाज की भी हो जाती है। (गी० २० पृष्ठ६४-६६)
१६७—मेहुणधम्माश्री विरया । (आचाराग २-१-१-३)

१६८—गामधम्मा इह मे अणुसुर्य । ग्रामधर्म शब्दादिविषया मैथुनरूपा वा ।
(सज्जनांग वृत्ति १-२-२-२५)

१६९—संधेऽसाहूधर्मं च, पावधर्मं णिराकरे । पापं पापोपादानकारण धर्मे
प्राणयुपमदेन प्रवृत्तं निराकुर्यात् । (सज्जनांग वृत्ति १-११-३५)

स्थानांग सूत्र के नवे स्थान में बताया है कि परिमाण, स्थान, शक्ति और धर्म—
धर्म के अलेकार्यक प्रयोग हैं। तथा इसके दसवें स्थान में दस प्रकार के धर्म बतलाए हैं। वहाँ भी
धर्म के अलेकार्यक प्रयोग हैं।

१७०—(मनुस्मृति ८-४१)

१७१—वृत्तिः क्षमा दमोऽस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमकोघो, दशकं धर्मलक्षणम् ॥
.....ते यान्ति परमां गतिम् ।

१७२—अहिंसा सत्यमस्तेयं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एते सामासिकं धर्मं, चार्हवर्ण्येऽवीन्मनुः ॥

- १७३—यो यस्य सभावः, स तस्य धर्मः । (सूत्र कृताग वृत्ति १०६)
- १७४—धर्माः सहभाविनः क्रमभाविनश्च पर्यायाः । (स्थानाग वृत्ति २-१)
- १७५—न धर्मधर्मित्वमतीव मेदे । (अन्यथोग व्यवच्छेदिका ७)
- १७६—(क) दुविहे धर्मे परणाते—त जहा सुयधर्मे चेव चरित्सधर्मे चेव । (स्थानाग २)
- (ख) धर्म सरणा गच्छामि (वौद)
- (ग) अहिंसा सत्यमस्तेय, त्यागो मिथुनवर्जनम् ।
पञ्चस्वेतेषु धर्मेषु, सर्वे धर्माः प्रतिष्ठिताः ॥ (वैदिक)
- १७७—गमणसुदेसरज्ञे, पुरवरगामगणगोद्धिराईषं ।
सावज्ञो उ कुतितिय, धर्मो न जिणोहि उ पसत्यो ॥
- (दशवैकालिक निर्युक्ति १४२)
- १७८—कुप्रावचनिक उच्यते—असावपि सावधप्रायो लौकिक कल्प एव ।
(दशवैकालिक १ निर्युक्ति ३६, ४०, ४१)
- १७९—(जैन सिद्धान्त दीपिका ७-२७-२८)
- १८०—इच्छेइयाहैं पञ्चमहव्ययाहैं अत्तहियद्ययाएं उवसपनित्ताण विहरामि ।
(दशवैकालिक ४)
- १८१—(पातञ्जल योग २-३०-३१)
- १८२—(गीता रहस्य पृष्ठ ४७)
- १८३—नहि सर्वहितः कश्चिदाचारः सम्पर्कते ।
तेनैवान्यः प्रभवति सोऽपर वाधते पुनः ॥
- (महाभारत शाति पर्व २५६-१७-१८)
- १८४—(साङ्घ कौमुदी पृष्ठ ६६)
- १८५—एक चिय एकवय, निहिड जिणवरेहि सञ्चेहि ।
पाणाइवायविरमण—सञ्चासनस्स रक्खद्वा ॥ (पञ्चसंग्रह)
- अहिंसैषा भता मुख्या, स्वर्गमोक्षप्रसाधनी ।
एतत्संरणार्थे च, न्याय्य सत्यादिपालनम् ॥ (हारिभद्रीय अष्टक)
- १८६—अहिंसा शस्यसंरक्षणे वृत्तिकल्पत्वात् सत्यादिवतानाम् । (हारिभद्रीय अष्टक १५।५)
- १८७—अहिंसापयसः पालि—भूतान्यन्यत्रतानि यत् ॥ (योग शास्त्र २ प्र०)
- १८८—अहिंसा निरणा दिहा—सञ्चभूएषु संजमो ॥ (दशवैकालिक ५-८)

- १६८—अहिंसा सञ्चारणानां अरियोत्ति पव्वुच्छइ । (धर्मपद)
- १६९—तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनमिद्रोहः । (व्यास माण्ड)
- १७०—कर्मणा, मनसा, वाचा, सर्वभूतेषु सर्वदा ।
- अकर्त्तेशजननं प्रीका, अहिंसा परमार्थिभिः । गीता टीका)
- १७१—(मङ्गल भ्रातृ पृष्ठ द१)
- १७२—(प्रश्न व्याकरण सूत्र १ स०)
- १७३—अतुकम्पा कृपा । यथा सर्वे एव सत्त्वा सुखार्थिनो दुःखप्रहाणार्थिनश्च
ततो नैपामल्लापि पीडामया कार्येति । (धर्म संग्रह अधिं० २)
- १७४—मूर्लं धर्मस्स दया, तयगुण्य सञ्चयेष्वनुकारणं ।
मूलमाद्यकारणं धर्मस्य उक्तनिश्चलस्य दया-ग्राणिरक्षा ।
- १७५—प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा, भूतानामपि ते तथा ।
आत्मैपम्येन भूताना, दया कुर्वीत मानवः ॥
- १७६—आत्मवत्सर्वभूतेषु, सुखदुःखे प्रियाप्रिये ।
चिन्तयन्नात्मनोऽनिष्ट, हिंसामन्यस्य नाचरेत् । (योगशास्त्र २-२०)
- १७७—अहिंसा सानुकम्पा च । (प्रश्न व्याकरण टीका १ स०)
अन्नं पानं खाय, सेव्य नाशनाति यो विभाववार्षि ।
स च रात्रिभक्तविरतः, सत्वेष्वनुकम्पमानमनाः ॥
- १७८—(उत्तराध्ययन २६-३३)
- २००—(अनुयोग द्वार)
- २०१—दयाहिंगारी भूएसु आस चिछ सएहिवा । (दशवैकालिक)
- २०२—(भगवती ७-६)
- २०३—दयाय संज्ञे लज्जा, दुगुँच्छा अच्छलयादिव ।
तितिक्षाय अहिंसाय, हिरीति एगद्विया पदा ॥
- (उत्तराध्ययन निर्युक्ति ३ अ०)
- २०४—धर्मः... ...पूर्णदयामयप्रवृत्तिलपत्वादहिंसामूलः । (उत्तराध्ययेन चृत्ति १-११)
- २०५—दाणाण सेण्ट अभयव्ययारणं । (सञ्चकतांग १-६)
- २०६—अभभ्रो पत्ति वा तुच्छं, अभयदाया भवाहि य.....जीवानांमभवदोनं
देहि—जीवानां हिंसा सा कुवित्यर्थः (उत्तराध्ययन १८-११)

२०७—त्रिविंशे २ छकायजीवाने, भय न उपजावे ज्ञाम ।

यो अभयदान कहो अरिहंता, ते पिण्डै दया रो नाम । (दया भगवती ६-४)

२०८—तपः कृते- प्रशंसन्ति, व्रेताया ज्ञानकर्म च ।

द्वापरे यशमेवाहुर्दानमेक कलौ युगे ॥ १ ॥

सर्वेषामपि दानानामिदमेवेकमुच्चमम् ।

अभय सर्वभूताना, नास्ति दानमतः परम् ॥२॥

चराचराणा भूतानामभयं यः प्रयच्छति ।

स सर्वभयसन्त्यक्तः, पर ब्रह्माधिगच्छति ॥३॥

नास्त्यहिंसासम दानं, नास्त्यहिंसासमं तपः ।

यथा हस्ति पदे ह्यन्यत्, पदे सर्वे प्रलीयते ।

सर्वे धर्मस्तथा व्याघ्रः प्रतीयन्ते ह्यहिंसया । (पद्मपुराण १८-४३७-४४१)

२०९—मुत्तून अभयकरणं, परोवारोवि नतिथ ऋण्णोत्तिः । नय

गिहिवासे अविगत तं । (पञ्चवस्तुक १ द्वार गा० २२२)

२१०—अभयं प्राणिना प्राणरक्षारूपं स्वतः परतश्च सदुपदेशदानात् करोत्यभयकरः ।

स्वतो हिंसानिवृत्तत्वेन परतश्च हिंसामाकार्षीरित्युपदेशदानेन प्राणिनामनुकम्पकः
‘अभयकरे वीर—अणन्तचक्षव’ । (सूत्रकृताग वृत्ति १-६)

२११—धर्मोवग्गहदारणं, तद्यन्यं पुण्य आत्मण वसण मार्हणि ।

आरंभनियत्तारणं, साहृणं हुंति देयाणि ॥ (धर्मरक्त प्रकरण १००)

२१२—न भयं दयते दवाति प्राणाणहरणरसिकेऽप्युपसर्गकारियाणिनीत्यभयदयः ।

अथवा सर्वग्राणिभयपरिहारवती दयाऽनुकम्पा यस्य सोऽभयदयः ।

अहिंसाया निवृत्ते, उपदेशदानतो निवर्तके च । (भगवती वृत्ति १-१

२१३—(वृद्धारण्योपनिषद् अ० ५, ब्रा० २)

२१४—त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः ।

— स्वंशरीर स पङ्कोन, स्नास्यामीति विलम्पति ॥ (इष्टोपनिषद् १६, पद्मपुराण)

२१५—शुद्धैषनैविवर्द्धन्ते, ' सतामपि न सम्पदः ।

नहि स्वच्छायाम्बुद्धिः पूर्णाः, कदाचिदपि सिन्धवः ॥

२१६—(पद्मानन्द महाकाव्य)

२१७—(अनुकम्पा की चउपर्ह १-४, ५)

२१८—ऐसा भगवती अहिंसा तस थावर सञ्चभूयखेमंकरी ।

(प्रश्नव्याकरण प्र० सं० द्वा०)

२१९—एषैव भगवती अहिंसा, नान्या । यथा लौकिकैः कल्पिता—‘कुलानि तोरयेत् सप्त, यत्र गौविंतृषी भवेत् । सर्वथा सर्वैयलेन भूमिष्ठमुदकं कुरु ॥ इह गोविषये या दया सा किल तन्मतेनाऽहिंसा, अस्याच्च पृथ्व्युदकपूत्रकादीना हिंसास्तीत्ये-वरुणा न सम्यगहिंसेति ।

२२०—(आचारांग १-१-३-२७, १-६-५-१६२, १-७-१-१६६)

२२१—नन्देवमशेषलोकप्रसिद्धगोदानादिव्यवहारस्त्वयति, त्रुव्यतु नामैवविधः पापसम्बन्धः । (आचारांग वृत्ति १-१-३-२७)

२२२—(प्रश्न व्याकरण १-४)

२२३—(प्रश्न व्याकरण ३-१२)

२२४—(आचारांग ४-२)

२२५—(आचारांग ४-२)

२२६—(आचारांग १-१-२)

२२७—(सूक्तवृत्तांग १-३-४-६, ७)

२२८—(सूक्त कृतांग ३-४-६, ७)

२२९—सर्वाणि सत्त्वानि सुखे रतानि, दुःखाच्च सर्वाणि समुद्दिजन्ति ।

० तस्मात् सुखार्थो सुखमेव दयात्, सुखप्रदाता लभते सुखानि ॥

(सूक्त कृतांग वृत्ति से उद्धृत)

२३०—“यज्ञे हिंसितः पशुदिव्यदेहो भूत्वा स्वर्ग लोकं याति ।” अंतिशयिताऽभ्युदय-साधनभूतो व्यापारोऽल्पदुःखदोऽपि ने हिंसा प्रत्युत् रक्षणमेव, तथा च मन्त्रवर्णः “न वा उ एतत् प्रियसे मरिष्यसि देवा निदेषि पथिभिः सुगेभिः । यत्र सन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतत्वं त्वा देवेः सविता दधातु इति ।” यंजुर्वेद अ० २३ सं० १६ हिंसनीयता ननु आहकप्राणवियोगकरव्यापारस्यैव हिंसात्वं न यागीयपशुप्राण-वियोगानुकूल व्यापारस्य तस्य पश्चनुग्रहकरत्वात् । (सांख्य कौमुदी)

२३१—(सांख्य कौमुदी पृष्ठ ४४-४५)

२३२—सा चातुकम्पा द्रव्यभावाभ्यां द्विधा—द्रव्यतो यथा अन्नादिदानेन, भावतस्य धर्ममार्गप्रवर्तनेन । (धर्मरत्न प्रकरण)

२३३—(मगवती ८-६)

२३४—(स्थानांग १०)

२३५—जेयदाण पससति वह मिञ्छुति पाणिणो,

जेयण पडिसेहति विचिच्छेयं करति ते ॥ २० ॥

दुहओ वि तेण भासंति-अस्थि वा पत्थिवा पुणां,

आय रहस्स हैचाण निव्वाण पाउण्यति ते ॥ २१ ॥

एनमेवार्थं पुनरपिसमासतः स्पष्टतरविभणिषुराह—“जेदाणमित्यादि—येकेचनप्रपा-
सत्रादिक दानं बहूना जन्तूनामुपकारीतिकृत्वाप्रशसन्ति (शलाघन्ते) ते परमार्थानभिजाः
प्रभूततप्राणिना तप्त्रशशाद्वारेण वध (प्राणातिपात) इच्छन्ति । तदानस्यग्राण-
तिपातमन्तरेणाऽनुपयत्तेः । ये च किल सूहमधियो व्यमित्येव मन्यमाना आगमसन्ना-
वाऽनभिजाः प्रतिषेधन्ति (निषेधयन्ति) तेष्यगीतार्थाः प्राणिना वृत्तिच्छेद वर्तनोपाय-
विधं कुर्वन्ति” ॥ २० ॥ “तदेव राजा अन्येन चेश्वरेणकूपतडागसत्रदानाद्युदतेन पुण्य-
सद्वाव पृष्ठैमुक्तुभिर्यद्विषेय तदर्शयितुमाह । दुहओवीत्यादि-यदस्तिपुण्यमित्येवमुक्तु-
स्ततोऽनन्ताना सत्वाना सूहमवादराणा सर्वदामाणत्याग एव स्यात् । प्रीणनमात्रन्तु
पुनः स्वल्पाना स्वल्पकालीयम्—अतोऽस्तीति न वक्तव्यम् । नास्तिपुण्यमित्येव प्रतिषेधेऽपि
तदर्थिनामन्तरायः स्यात् । इत्यतो द्विधाप्यस्तिनास्तिवा पुण्यमित्येव ते मुमुक्षवः साधवः
पुनर्भावन्ते । किन्तु—पृष्ठैः सद्विर्मानमेवसमाश्रयणीयम् । निर्वन्वेत्वस्माक द्विचत्वा-
रिद्वेषवर्जित आहारः कल्पते । एव विषये मुमुक्षुणामधिकार एव नास्तीति युक्तम् ।

सत्य वगेषुशील शशिकरथवल वारि पीत्वा प्रकाम,
व्युच्छुन्नाशेषवृण्णाः प्रमुदितमनसः प्राणिसार्था भवन्ति ।
शेष नीते जलौषे दिनकरकिरणैर्यात्यनन्ता षिनाश,
तेनोदासीनभाव ब्रजति मुनिगणः कूपब्रादिकार्ये ॥ १ ॥

तदेवमुभयथापि भाषिते रजसः कर्मण आयोलाभो भवतीत्यतस्तमाय रजसो—
मौनेनाऽनवद्य भाषणेन वाहित्वा (ल्यकत्वा) तेऽनवद्यभाषिणो निवाण—मोक्ष प्राप्नु-
वन्ति ॥ २१ ॥ (सूत्रकृताग वृत्ति ११-२०-२१)

२३६—आगमविहिअणिसिढे, अहिगिच्च परसंसणे णिसेहे अ ।

लेसेण विणो दोसी, एस महावक्त गम्भत्यो ।

आगमे सिद्धान्ते विहितं निपिढ च दानमधिकृत्य प्रशसने निषेधे च लोङ्गेनाणि न दोषः । सत्यवृत्तिरूपस्य विहितदानव्यापारस्य हिसारूपत्वाऽभावेन तथेशसने हिसानुमोदनस्याप्रसङ्गात् । प्रत्युत् सुकृताऽनुमोदनस्यैव सम्भवात् निपिढदान-व्यापारस्य च आसत्यवृत्तिरूपस्य निषेधे वृत्तिच्छेदपरिणामाभावेनान्तरायान्तरात् । प्रत्युत् परहितार्थं प्रवृत्त्यान्तरायकर्मच्छेद एव । तदिदमुक्तसुप्रदेशपदे—“आगमविहितं तं तं पडिनिढ चाहिगच्च पी दोसो च ।

(उपदेश रहस्य १७२)

२३७—अतिहि समणो तस्तन्नापाणाइ सम्पर्ण । सकारजेहि अइहि सविभागे पक्तित्रिओ । (उपासक दशा वृत्ति १)
अतिथिः साधुरुच्यते । (धर्म संग्रह ३ अधिः ०)
अतिहिसविभागो नाम आयाणुग्रह बुद्धीए संजयार्ण दाण ।

(आवश्यक बृहद् वृत्ति अ० ४)

२३८—(निशीथ चूर्णि २ च)

२३९—समणो वासएरां भन्ते । तहारुब समण वा माहण वा पासुएसणिज्जेण असण-पाणाखाइमसाइमरां पडिलाभेमाणास्स किं कज्जति १ गोयमा । एगतसो निज्जरा कज्जइ नरिय य से पावे कम्मे कज्जति । (भगवती ८-६)

२४०—समणो वासगस्सणां भन्ते । तहारुब असंजय अविरए अपडिहय पञ्चवत्ताय पावकम्मे पासुएण वा अपासुएण वा एसणिज्जेण वा अरोसणिज्जेण वा अस-णएणार्ण जाव किं कज्जइ १ गोयमा । एगतसो से पावे कम्मे कज्जइ नरिय से काह निजरा कज्जइ । (भगवती ८-६)

२४१—जे मिक्कु अणउत्तिएण गारत्यिएण वा असणवा ४ देयइ देयन्त वा साइलइ । (निशीथ १५-७८)

२४२—संजयासंजये धम्माधम्मे ठिए धम्माधम्मं उक्संपञ्जिताण विहरइ ।

(भगवती १७-२-३)

२४३—ज्ञानो धर्मस्कन्धाः—यज्ञोऽध्ययनदानमिति प्रथमः ०० सर्वं एते पुण्यलोका भवन्ति, ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति । (छान्दोग्योपनिषद् २-२३-१)

२४४—श्रद्धया देयम् । अश्रद्धयाऽदेयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । मिया देयम् । संविदा देयम् । (तैत्तीर्योपनिषद् १-११-३) —

२४५—तिहिं ठाणेहिं जीवा सुभद्रीहाउ अत्ताते कम्म पगरेति, त जहा-णो पाणे अति-
वातित्ता भवइ णो मुस बइत्ता भवइ तहारुवं समण वा माहण वा वदित्ता
नमसित्ता सक्षारित्ता समाणेत्ता कल्पण मगलं देवत चेतित पञ्जुवासेन्ता
मणुन्नेण पीतिकरण्णा असणपाण्णाइमसाइमेणा पडिलाभित्ता भवइ, हच्छे-
तेहिं तिहिं ठाणेहिं जीवा सुहद्रीहाउ तत्ता ते कम्म पगरेति । (स्थानाग ३-१२५)
समणो वासएण भन्ते तहारुवं समण वा जाव पडिलाभेमाणे कि चयति ?
गोवमा । जीविय चयति दुक्षय चयति दुक्षर करेति दुल्हहं लहइ बोहिं बुझइ
तओ पच्छा सिज्जति जाव अन्त करेति । (भगवती २६३)

२४६—मोक्षत्यं ज दाण त पइ एसो विही समक्षाउ । (शानविन्दु प्रकरण पृ० ७८)

२४७—दुल्हहओ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्हह ।

मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छति सुगगह ॥ (दशवैकालिक ५-१-१००)

२४८—(भगवती ८-६)

२४९—ऐन्द्रशर्यग्रद दान, मनुकम्पासमन्वितम् ।

भत्तया सुपात्रदान तु, मोक्षद देशित जिनैः । (द्वार्तिशद्व द्वार्तिशिका १)

अभय सुपत्तदाण, आणुकम्पा उचित्र कित्तिदाण च ।

दोहि वि मुक्खो भणियो, तिनि वि भोगाइयं दिति ॥

(उपदेश तरङ्गिणी पृष्ठ १५)

२५०—इसका विशेष वर्णन ‘धर्म और पुण्य’ शीर्षक में देखो ।

२५१—(छान्दोग्योपनिषद् २-२३-१)

२५२—पुण्णठा पगड इम सजयाण अकप्पिय ।

दितिय पडियाइक्षे, न मे कप्पइ तारिस । (दशवैकालिक ५-४६)

२५३—“पात्रायान्नदानाद् यत्तीर्थकर्मनामादिपुण्यमकृतिवन्धस्तदन्नपुण्यम्, एव सर्वत्र ।”
(स्थानाग वृत्ति ६)

२५४—अथ दीनादीनामसंयतत्वात् तद्वानस्य दोपपोषकत्वादसगतं तद्वानमित्या-
शङ्कथाह— (पञ्चाशक ६ विं०)

२५५—असयताय शुद्धदानम्, असंयतायाऽशुद्धदानमित्यभिलापाः । शेषौ तुतीयचतुर्थ-
भज्जौ अनिष्टफलदौ एकान्तकर्मवन्धहेतुत्वान्मतौ । शुद्धं वा यदशुद्ध वाऽसं
यताय प्रदीयते । (द्वार्तिशद्व द्वार्तिशिका १-२१)

- गुरुत्वबुद्ध्या तत्कर्म—वन्धकुन्नातुकम्पया ॥ न पुनरनुकम्पया, अनुकम्पा-
दानस्य व्याप्यनिषिद्धत्वात् । “अग्रण्यकपादाण पुण, जिरोहि कथाइ पडिसिद् ।
इतिवचनात् । (द्वार्तिशिद् द्वार्तिशिका १-२७)
- २५६—(स्थानाग १०)
- २५७—संबोहिं पि जिरोहि, दुःख्यतियरागदोसमोहेहि ।
अनुकंपादाण सहृदयाण न कहिं कि पडिसिद् ॥ (धर्मसग्रह २ अधिं०)
- २५८—श्रीजिनेनापि सावत्सरिकदानेन दीनोद्धारः कृत एव । (धर्मसग्रह २ अधिं०)
- २५९—(उपदेशपद्)
- २६०—तीर्थकृदीयमाने वर्गधोपशाया सत्या श्रावको योपिच्च तदान यहीतः, न वेति
प्रश्ने उच्चरम्—तीर्थकृदानसमये ज्ञाताधर्मकथादिषु सनाथानाथपरिकर्त्तार्पणिका-
दीना याचकादीना ग्रहणाधिकारी दृश्यते, न हु व्यवहारिणाम्, तेन श्रावकोऽपि
कश्चिद् याचकीभूय यहार्ति तदा यहातु । (सेनप्रभोत्तर ३ उल्ला०)
- २६१—उच्यते कल्प एवास्य, तीर्थकृत्रामकर्मणः ।
- उदयात् सर्वसत्त्वाना, हित एव प्रवत्तते ॥ (हरिभद्रीय २ अष्टक)
- २६२—अवंगुय दुवारा, (भगवती २-५, सूक्तानाग २-२ तथा २-७)
- २६३—आपावृतद्वाराः कपाटदिभिरस्थगितद्वारा इत्यर्थः । सददर्शनलाभेन न कुतोऽपि
पार्थिकाद् विभूति शोभनमार्गपरिग्रहेणोदधाटशिरसस्तिष्ठन्तीति भावः ।
(भगवती वृत्ति २-५)
- २६४—ऋत्विभिर्मन्त्रसंस्कारैर्ब्रह्मणाना समक्षतः ।
अन्तर्वेदा हि यद् दत्तमिष्ट तदभिधीयते ॥
- वापीकृपतडागानि, देवतायतनानि च ।
अन्नप्रदानमेतत्तु, पूर्ते तत्त्वविदो विदुः ॥
- २६५—स्तोकानासुपकारः स्यादारभाद् यत्र भूयसाम् ।
तत्रानुकम्पा न मता, यथेष्टापूर्तकर्मयु ॥ (द्वार्तिशिद् द्वार्तिशिका १-४)
- २६६—पुष्टालम्बनमाधित्य, दानशालादि कर्म यत् ।
तत्तु ग्रन्थनोन्नत्या, वीजाधानादिभावतः ॥ (द्वार्तिशिद् द्वार्तिशिका १-५)
- २६७—वहूनासुपकारेण, नानुकम्पा निमित्तताम् ।
आतिकामति तेनाच, सुख्यो हेतुः शुभाशयः ॥ (द्वार्तिशिद् द्वार्तिशिका १-६)

२६८—याजिकी हिंसा न दुष्यति, तस्या वैधत्वात् । प्रापजनकरापेक्षया पुण्यजनकरा-
यास्तत्र वाहुल्यात् ।

२६९—(नन्दी वृत्ति पृष्ठ १३)

२७०—(गीता रहस्य पृ० १२७)

२७१—(हिन्दी विश्व भारती २२ अक्टूबर १९५०)

२७२—नो वि पये न पयानए जे स मिक्खु । (दशवैकालिक १०-४)

२७३—यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यस्त्रस्मिस्तथा वर्तितव्य स धर्म ।
मायचारो मायथा वाचितव्य,, साध्वाचारः साधुनैवास्युपेयः ॥

२७४—नाततायिवधे दीषो हन्तुर्भवति कश्चन । (मनुस्मृति ८-५१)

(महाभारत शान्ति पर्व १०६-२६)

२७५—ये त्वनार्था न शिष्याः स्युः सन्त्विचेदाततायिनः ।

क्षिप्र व्यापादनीयास्ते, तद्वधो नहि दोपदः ॥

२७६—क्वचिद्द्या निर्दयता क्वचित् ।

२७७—“दाण दाङ” दायकाना गोत्रिकणा दायधनविभागं परिभाज्य विभागशो दत्त्वा
तदाष्टनौ अनाथपान्यादियात्वकानामभावाद् गोत्रिकाग्रहण तेऽपि च भगवत्प्रेरिता
निर्ममाः सन्तः शेषमात्र जच्छुः । इदमेव हि जगद्गुरोर्जीवं यदीच्छावधिदान
दीयते तेषा च इयतैव इच्छापूर्तेः । ननु यदीच्छावधिक प्रभोदर्दान तर्हि एद-
युगीनो जन ।

एकदिनदेय सवत्सरदेय वा एक एव जिघृनेत् इच्छाया आपरिमितत्वात् । सत्य
प्रमुपमावेण एताहशेच्छाया असभवात् । (जम्बूद्वीप प्रश्नकि २ वक्त०)

२७८—दत्तिन्व दाणमसुभ, दित्त दट्टु जग्नमि वि पयत्त ।

जिरण भिक्खा दाण पि य, दट्टु भिक्खा पयत्ता उ ॥

दत्तिन्व दान तत्त्व भगवन्तमूर्षभस्त्रामिनं सावत्सरिक दान ददत दृष्ट्वा लोकेऽपि
प्रवृत्तम् । यदि वा दत्तिन्वमि भिक्षादान तत्त्व जिनस्य भिक्षादानं प्रपौत्रेण कृत दृष्ट्वा
लोकेऽपि भिक्षा प्रवृत्ता । लोका अपि भिक्षा दातु प्रवृत्ता इति भावः ।

(आवश्यक मलय गिरि प्र० ५६)

२७९—‘दाण च माहण्याण, दानं च माहनाना लोको दातु प्रवृत्तो भरतपूजितत्वात् ।

(आवश्यक मलय गिरि प्र० ५६)

२८०—पात्रापात्रविभेदोऽस्ति, धेनुपन्नगयोरिव ।

तुणात् संजायते क्षीरं, क्षीरात् सजायते विषम् ॥

२८१—व्रतस्था लिङ्गिनः पात्रमपचास्तु विशेषतः ।

स्वसिद्वान्ताविरोधेन, वर्तन्ते ये सदैव हि ॥ (योगविन्दुसार १२२)

पात्रे दीनादिवर्गे च, दानं विधिवदीष्यते ।

पौष्यवर्गाविरोधेन, न विश्वं स्वतश्च यत् ॥ (योगविन्दुसार १२१)

दीनान्धकृपणा ये ह्य, व्याधिग्रस्ता विशेषतः ।

निःखाः क्रियान्तराशक्ता, एतद् वर्गो हि मीलकः ॥ (योगविन्दुसार १२३)

अप्रात्रदानतः किञ्चित्त्रफलं पापतः परम् ।

लभ्यते हि फलं खेदो, बालुकापुञ्जपीडने ॥ (अभितगति श्रावकाचार ११-६०)

विश्राणितमपात्राय, विधर्त्तेऽजर्यमूर्जितम् ।

अपथ्य भोजनं दत्ते, व्याधिं किञ्च दुश्तरम् ॥ (अभितगति श्रावकाचार ११-६१)

वितीर्य यो दानमसंयतात्मने, जनः फल काइकृति पुण्यलक्षणम् ।

वितीर्य वीजं ज्वलिते सं पावके, समीहते शस्यमपास्तदूषणम् ॥

(अभितगति श्रावकचार १०-५४)

दाणं न होइ अफलं, पत्तमपतेसु सन्निजुज्जंतं ।

इश्वि भणिए विदोसा, पसंसओ किं पुण अपत्ते ॥ (पिण्ड निर्युक्ति ४५५)

बीजं यथोवरे छिसं, न फलाय प्रकल्प्यते ।

तथाऽपात्रेषु यद्यानं, निष्फलं तद् विदुवृधाः ॥

२८२—वीतरागोऽपि सद्वेद्य—तीर्थकृन्नामकर्मणः ।

उदयेन तथा धर्म—देशनायां प्रवर्तते ॥ (हारिभद्रीय आष्टक ३१-१)

तओणं समये भगवं महावीरे उपन्नवरनाणदंसणाधरे अप्याण च लोग च

अभिसमिक्ष, पुर्व देवाण धर्ममाइक्षवै ततो पच्छां मणुस्साण । (आचाराग २)

२८३—(उपासकदशा १ अ०, औपपातिक सम० द्वार०)

२८४—अग्नं च मूलं च छिन्निंच । (आचाराग ३-२-६)

२८५—त्तेव धर्मं दुविह आइक्षवै, तं जहा—अगारधर्मं, अण्णगारधर्मं च ।

(औपपातिक सम० द्वार०)

२८६—(जहवाद पृष्ठ ५५)

- २८७—आत्मास्तित्वमूलत्वात् सकलधर्मानुष्ठानस्य । (उत्तराध्ययन वृहद् वृत्ति १४-१७)
- २८८—(दशवैकालिक ६-४१)
- २८९—(उत्तराध्ययन ६-४१-५३)
- २९०—(उत्तराध्ययन १४-१६-१७)
- २९१—(अहिंसा भाग १ पृष्ठ ३५, ३६)
- २९२—(अहिंसा भाग १ पृष्ठ ३५, ३६)
- २९३—(उत्तराध्ययन २६-४)
- २९४—“दर्शन और चिन्तन” (जैनधर्म और दर्शन, पृष्ठ १४६ १४७)
- २९५—(वही पृष्ठ ३)
- २९६—(मगवती सूत्र ८)
- २९७—(अमितगति आवकाचार)
- २९८—(अमितगति आवकाचार, आचारांग टीका आदि-आदि ।)
- २९९—(मनुस्मृति ३-६८)
- ३००—(भूषान १७ अप्रैल १९५६ का पेज ७ वाँ)
- ३०१—(वारह व्रत की चौपाई, ढाल पहली १०१३)
- ३०२—पयाहियाए उच्चदिसइ (जम्बूदीप २)
- ३०३—कर्मणि च कृषिवाणिज्यादीनि, जघन्यमध्यमोक्षभेदभिन्नानि ।
त्रीण्येतानि प्रजाया हितकराणि, निर्वाहाभ्युदयहेतुत्वात् ॥
- (जम्बूदीप प्रजसि वृत्ति३)
- ३०४—एतत्त्वं सर्वे सावद्यमपि लोकानुकम्पया ।
स्वामी प्रवर्तयामास, जानन् कर्तव्यमात्मनः ॥
- (त्रिषष्ठि शलाका पु० चरित्र १-२-६७)
- ३०५—(तत्त्वार्थ राजवार्तिक ३-३६)
- ३०६—(एकआवव प्रथम द्वार)
- ३०७—(अहिंसा १ पृष्ठ ५३)
- ३०८—(हिन्दुस्तान दैनिक, नई विज्ञी, शनिवार २१ सितम्बर, १९४६)

पारिशिष्ट : २ :
पारिभाषिक शब्द कोष

अधाती-कर्म (पृ० २२)—वे कर्म, जो आत्मा के मूल गुणों का नाश न करें । वेदनीय, नाम, गोत्र और आशुष्य—ये चार अधाती कर्म हैं ।

अचित्त महास्कन्ध (पृ० १४)—केवलीसमुद्घात के पांचवें समय में आत्मा से छूटे हुए पुद्गल जो समूचे लोक में व्यास होते हैं, वे ।

अगुवत् (पृ० ४६, ६६)—छोटे ब्रत, वे ब्रत, जो अवधि-सहित भ्रष्ट किए जाते हैं ।
अतिथि-सविभाग ब्रत (पृ० ४८)—अतिथि का अर्थ है—साधु-अमण । आत्मा की अनुग्रह बुद्धि से पाच महाब्रतधारी सुनि को दान देना अतिथि-सविभाग है ।

यह धावक का बारहवाँ ब्रत है ।

अदृष्ट (पृ० १८)—सखित कर्म, भीमारको की परिमाणा में ‘अपूर्व’ ।

अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म (पृ० २२) वह कर्मशय जिसका फल तत्काल नहीं होता ।

अर्धमदान (पृ० ४८,५३)—वह दान जिससे अर्धम—पाप की वृद्धि हो ।

आनात्मवादी (पृ० ६५,६७,७२)—आत्मा को नहीं मानने वाला, नास्तिक ।

आनास्त्रव (पृ० २१)—कर्म-बन्धन से मुक्त ।

अनिवार्य हिंसा (पृ० ६८)—ऐसी हिंसा जिसके बिना जीवन का निवाह न हो ।

अनुकम्पा (पृ० ३३,३६,४०,४४,५३,५४,५५,५७)—दया, करुणा जनक दृश्य देख कम्पित होना ।

अनुकम्पा दान (पृ० ४८,५०,५३,५८)—किसी व्यक्ति की दीनावस्था से द्रवित होकर उसके भरण-पोषण के लिए दिया जाने वाला दान ।

अनुभाग (पृ० २२)—कर्मों का विपाक फल, रस आदि ।

अन्तराय (पृ० ४८)—विष, वाधा ।

अन्तराय कर्म (पृ० २२)—दान आदि में वाधा डालने वाला कर्म ।

अन्नदान (पृ० ४८)—एक प्रकार का लौकिक दान । अन्न का दान करना ।

अन्न-पुण्य (पृ० ५१)—संयमी को अन्न देने से होने वाला पुण्य ।

अपशानुपूर्वी (पृ० २०)—जो न पहले हो और न पीछे ।

अपात्र (पृ० ४८)—जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य न हो, वह उस कार्य के लिए ‘अपात्र’ कहलाता है ।

अभयदद्य (पृ० ४२)—अभयदान देने वाला ।

अभयदान (पृ० ४०,४१,४२,४८,५३) — दूसरों को भय-मुक्त करना और ख्ययं भय-मुक्त होना।

अभव्य (पृ० ३) — वह जीव जिसमें मुक्त होने की योग्यता नहीं होती।

अभिनिवेश (पृ० ३) — आग्रह, मिथ्यात्व।

अभिवचन (पृ० ४७) — कथन।

अभ्युदय (पृ० १,७,२५, ६७,७२) — भौतिक समृद्धि, लौकिक विकास।

अमूर्त (पृ० ११,१३,२०,२२) — जिसमें रूप, रस, गन्ध, वर्ण, स्पर्श आदि न हो।

अरिहन्त (पृ० ३६) — पाच पदों में पहला। जो राग, द्वेष, मोह आदि शत्रुओं का क्षय कर वीतराग बन जाते हैं।

अविद्या (पृ० १८) — अनादि-अशान, माया, जिससे वेतन तत्त्व अनादि काल से आच्छान्न हो रहा है।

अविरत (पृ० ४४) — अत्याग वृत्ति।

अविहित-अनिषिद्ध (पृ० ५६) — जिस कार्य के आचरण का न विधान हो और न निषेध।

अव्रत (पृ० ४४) — अत्यागभाव।

अशुक्ल-अकृष्ण (पृ० २५) — योगदर्शन में वर्णित कर्म की एक जाति। तप, ध्यान आदि कर्मों के फल की इच्छा न करने तथा निषिद्ध कर्मों को न करने की योगियों की वृत्ति।

अशुभ आशुभ्य (पृ० ३१) — कष्टपूर्ण आयु, अल्प आयु।

अशुभ नामकर्म (पृ० ३४,३६) — जिसके उदय से बदनामी हो।

अशुभ योग (पृ० ३४) — मन, वचन और काया की पापमय प्रवृत्ति।

असंयति-दान (पृ० ४८,५०,५२,५३,५८) — संयमहीन व्यक्तियों को दिया जाने वाला दान।

असात वेदनीय (पृ० ३१) जिस कर्म से दुःख की अनुभूति हो।

अस्तिकाय (पृ० १४,१५) — प्रदेशों का समूह।

अस्तिता (पृ० १२) — अस्तित्व।

आहिंसा (पृ० ३३, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२, ४३, ४४, ४७, ४८, ५७, ६८, ७०, ७१, ७२)—ग्राशीमान्र के प्रति सयम रखना, उनको कष्ट न पहुंचाना तथा उनके प्रति मैत्री रखना ।

आगम (पृ० ३, ४, ८, ९, १५, १४, ३४, ४४)—आपुष के वचन से, होने वाला अर्थ-वीध । ‘जैन सूत्र’ आगम कहलाते हैं ।

आशारुचि (पृ० ६)—जिस मनुष्य के राग, द्वेष, मोह और अज्ञान दूर हो जाते हैं और जो आशा—भगवत् प्रवचन में रुचि रखता है, वह ।

आत्मवादी (पृ० ६५, ६७, ७२)—आत्मा को मानने वाला, आस्तिक ।

आत्मैयम्य (पृ० ६६)—आत्म-सहशरा ।

आनन्द श्रावक (पृ० ७०)—भगवान् महावीर का वारह ब्रतधारी श्रावक ।

आरम्म (पृ० ३६, ५३, ५४)—हिंसा ।

आर्चध्यान (पृ० ७०) रोगादि कष्टों में व्याकुल होना तथा वैयायिक सुख पूर्ति के लिए दृढ़ सकल्प करना ।

आलय-विज्ञान (पृ० १४)—चित्त, आलय का अर्थ घर है । चित्तरूपी घर में सभी विज्ञान पड़े रहते हैं और व्यवहार के समय वे प्रकृति-विज्ञान कहलाते हैं । व्यवहार के बाद वे पुनः इसी में लीन हो जाते हैं ।

आवलिका (पृ० १३)—सर्व सूक्ष्म काल-विभाग को समय कहते हैं । ऐसे असख्य समयों की एक आवलिका होली है ४८ मिनटों की १, ६७, ७७, २१६ आवलिकाएँ होती हैं ।

आशीर्विष सर्प (पृ० ६५)—जिसकी दाढ़ा में विष हो ।

आस्तिक (पृ० ६३)—वह व्यक्ति जो वन्धन, वन्धन-मुक्ति और मोक्ष-मार्ग में विश्वास करता है ।

आस्तिक दर्शन (पृ० १८, २०)—वह दर्शन-पद्धति जिसमें आत्मा, स्वर्ग, नरक, कर्म आदि का विचार हो ।

आख्य (पृ० १७, १८, ३३, ३४)—जीव का जो परिणाम शुभ तथा अशुभ कर्म-पुद्गलों को आकृष्ट कर उनको आत्म-प्रदेशों के साथ बुला मिला देता है, उसे आख्य-कर्मांगमन का द्वार कहते हैं ।

इष्टापूर्त (पृ० ५३)—यज्ञ और जलाशय आदि बनाना ।

उच्छ्वेदवाद (पृ० ४)—आत्मा का विनाश मानने वाला वाद, पुनर्जन्म को अस्वीकार करने वाला दर्शन ।

उत्पाद (पृ० ६)—चिपदी (उत्पाद, व्यय, औब्य) का पहला पद ।

उदय (पृ० १६, २१, २२, २३, २४, २५, ३१)—कर्म की एस अवस्था । उदीरणा करण के द्वारा अथवा स्वाभाविक रूप से आठों कर्मों का अनुभव होना ।

उदीरणा (पृ० २२)—कर्म की एक अवस्था । निश्चित समय से पहले कर्मों का उदय होना ।

उपशम (पृ० २३, २४, २५)—उदयावलिका में प्रविष्ट मोह-कर्म का क्षय हो जाने पर अवशिष्ट मोह-कर्म का सर्वथा अनुदय होना ।

एपणीय (पृ० ४६)—शुद्ध ।

ओदियिक (पृ० २५)—कर्म के उदय के द्वारा होने वाली आत्म-अवस्था ।

ओपशमिक (पृ० २५)—उपशम से होने वाली आत्म-अवस्था ।

कन्यादान (पृ० ६६)—कन्या का दान ।

करिष्यति दान (पृ० ४८)—लाभ के बदले की भावना से दिया जाने वाला दान ।

कक्षणा (पृ० ६६)—अनुकम्भा ।

कर्म (पृ० १५, १८, १६, २०, २१, २२, २८, २६, ३०)—आत्मा की सत् एव असत् प्रवृत्तियों के द्वारा आकृष्ट एव कर्म रूप में परिणत होने योग्य पुद्गाल ।

कर्म (पृ० २७)—कार्य ।

कर्म प्रकृति (पृ० २३)—कर्मों का स्वभाव ।

कलि (पृ० ३७, ५१)—कलियुग—युग का एक विभाग ।

कापोत लेश्या (पृ० २४, २५, २६)—कापोत वर्ण वाले पुद्गलों के योग से होने वाला आत्मा का अध्यवसाय । अशुभ-अधर्म-अग्रशस्त लेश्या ।

काम भोग (पृ० ६५, ६६)—जिनकी कामना की जाती है और जो भोगे जाते हैं, वे शब्द आदि इन्द्रियों के विपर्य ।

कारुण्य-दान (पृ० ४८)—शोक के सम्बन्ध में दिया जाने वाला दान ।

क लोदधि—(पृ० १६)—धात की खण्ड को परिवेष्टित करने वाला समुद्र ।

कुण्ड्र (पृ० ५८)—देखो ‘अपान’ ।

कुम्भवचनिक धर्म (पृ० ३६)—जैनेतर धर्म ।

कुल (पृ० ३१, ३२)—वश, गोत्र, घराना, एक जाति वालों का समूह ।

कुल-धर्म (पृ० ३६)—आपने-आपने कुल की मर्यादाएँ ।

कृत (पृ० ३७)—युग का एक विभाग ।

कृत-दान (पृ० ४८)—किये हुए उपकार को याद कर दिया जाने वाला दान ।

कृष्ण (पृ० २५)—योग दर्शन में वर्णित कर्म की एक जाति । दुर्जन व्यक्तियों के कर्म ।

कृष्ण लेश्या (पृ० २४, २५, २६)—कृष्ण-पुद्गलों के योग से होने वाला आत्मा का अध्यवसाय । आशुभ-अर्थम्-अप्रशस्त लेश्या ।

क्रमभावी गुण (पृ० ६)—पर्याय ।

क्षेत्र (पृ० १८)—बिपर्यय, अविद्या, अस्मिता, राग-द्वेष और अभिनिवेश—ये पाच सात्याभिमत क्षेत्र हैं ।

क्षेत्र (पृ० ३८)—क्लह ।

क्षेत्रशाश्व (पृ० ३३)—क्षेत्र का स्थान, क्षेत्र-स्सकार ।

गण-धर्म (पृ० ३६)—गण (कुल-समूह) की समाजारी—आचार-मर्यादा ।

गति तत्त्व (पृ० १०, ११)—धर्मास्तिकाय का आपर नाम ।

गमक (पृ० ३२)—बोध कराने वाला ।

गम्य धर्म (पृ० ३६)—वह लौकिक व्यवस्था जिसका सम्बन्ध अमुक अमुक से विवाह कर सकने या न कर सकने से होता है ।

गारवदान (पृ० ४८)—यश-गान सुनकर एव वरावरी की भावना से दिया जाने वाला दान ।

गुति (पृ० ६६)—निश्रह ।

गोत (पृ० ३०)—गोत्र ।

गोष्ठी-धर्म (पृ० ३६)—गोष्ठी की आचार-व्यवस्था ।

ग्राम-धर्म (पृ० ३५, ३६)—गाँव की व्यवस्था (आचार-परम्परा) ।

घाती कर्म (पृ० २२, २३, २४)—जो कर्म आत्मा के मूल गुण-ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि की घात करें, तो । घाती कर्म चार हैं—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, सोह-तीयकर्म और अन्तरायकर्म ।

चारित्र (पृ० २३,३६)—आचार।

चेतना सन्तति (पृ० १४)—चित्त की परम्परा।

छह काय (पृ० ४०,४६)—पृथ्वी, अप्, तेजस्, वायु, वनस्पति और ऋसकायं।

छाया (पृ० १४)—चेतन या अचेतन पदार्थों से प्रत्येक समय निर्कलने वाला पुदगल समूह जब यथायोग्य निमित्त या प्रतिविमित होता है तब उसे छाया कहते हैं।

जम्बूद्वीप (पृ० १७) एक लाख योजन का भूखण्ड।

जल्प (पृ० ५)—जिस कथा-सन्दर्भ में छल, जाति और निग्रह-स्थानों का प्रयोग किया जाय।

जाति-धर्म (पृ० ३६,३७)—जातिगत आचार-विचार आदि।

जानपद-धर्म (पृ० ३६)—नागरिकों का कर्तव्य आदि।

जिन (पृ० २)—तीर्थङ्कर।

ज्ञान-दान (पृ० ४१,४२,५३)—धर्मोपदेश देना, धर्म-कथा करना आदि।

तज्जीव तच्छरीखाद (पृ० ७)—जीव और शरीर को एक मानने वाला आनंदमंवादी दर्शन।

तत्त्व ज्ञान (पृ० ६)—जन्मन, वन्धन के हेतु; मोक्ष, मोक्ष के हेतु—‘इन चारों का ज्ञान।

तपस्या (पृ० २१,२२,३३,४७)—आत्म-शुद्धि के लिए की जाने वाली एक विशिष्ट साधना, जिसमें अन्न-पान आदि वाय पदार्थ तथा क्रोध-भान आदि आन्तरिक दोषों का ल्याग किया जाता है।

तीर्थङ्कर (पृ० ४२)—तीर्थ की स्थापना करने वाले अरिहन्त।

तेजौलेश्या (पृ० २४,२५,२६)—तेजस् पुदगलों के योग से होने वाला आत्मा का अध्यवसाय। शुभ-धर्म-प्रशस्त लेश्या।

त्रस् (पृ० ३६,७१)—चलने-फिरने वाले जीव।

त्रिकरण त्रियोग (पृ० ४२)—तीन करण-करना, कराना और अनुमोदन करना, तीन योग-मन, वचन और काया। साधु के त्याग तीन करण-तीन योग से होते हैं।

दर्शन (पृ० २,३,४,५,६,७,८,१८)—दृष्टि।

दर्शनशास्र (पृ० ८,३६)—धर्म के द्वारा अभिमत तत्त्वों को तर्क की कसौटी पर कसने वाला तर्क-शास्र।

दर्शनावरणीय (पृ० २२)—वे कर्म-पुदगल जों दृष्टि को आबृंत करते हैं।

दानशाला (पृ० ४८,५४,५५)—जहाँ दीन दुखियों को दान दिया जाता है।

दीक्षा (पृ० ५३,५८)—सासारिक भक्तों से दू़, त्यागमय जीवन ।

दुःखत्रयाभिघात (पृ० ४६)—दुःख तीन प्रकार के माने गए हैं—आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक । इनका समूल नाश करना ही साख्य-दृष्टि से मोक्ष है ।

देशगुण (पृ० २३)—आशिक गुण ।

देशाचार (पृ० ३७)—देश की आचार परम्परा ।

द्रव्य-अनुकम्पा (पृ० ५१)—मोह वश की जाने वाली अनुकम्पा—दया ।

द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव (पृ० २१)—वस्तु को जानने के विभिन्न दृष्टिकोण ।

द्रव्य-दया (पृ० ४७)—प्राण रक्षा ।

द्रव्य-लोक (पृ० १६)—छह द्रव्यात्मक लोक ।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद (पृ० ८)—वस्तुओं या सामाजिक स्थानों में जो पारस्परिक विरोध या द्वन्द्व होता है वही परिवर्तन का कारण बनता है । पहली अवस्था 'वाद' है उसकी विरोधी अवस्था 'प्रतिवाद' और इन दोनों के पारस्परिक द्वन्द्व से उत्पन्न होने वाली तीसरी अवस्था 'संवाद' है । यह इतिहास-विकास का क्रम है । इसे द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं ।

धर्म (पृ० १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६)—आत्म-शुद्धि का साधक तत्त्व ।

धर्म-दान (पृ० ४८, ५१)—जिस दान से अपना या पर का संयम प्रबृद्ध होता है ।

धर्म-नीति (पृ० ५६)—धार्मिक पद्धति ।

धर्मस्कन्ध (पृ० ५०)—धर्म का आधार ।

धर्मोपग्रह दान (पृ० ४१, ४२)—धर्म को प्रोत्साहित करने वाला दान ।

श्रौत्य (पृ० ६)—द्रव्य का एक गुण ।

नय (पृ० ३)—वस्तु के किसी एक अश को जानने वाले और अन्य अशों का खण्डन न करने वाले शाता का अभिग्राय ।

निगमन (पृ० ३४)—हेतु, उदाहरण, उपनय, के उपरान्त सिद्ध की गई प्रतिशो का पुनः कथन ।

निर्जरा (पृ० १७, १८, ३२, ३६, ४८, ५०, ६८)—कर्मों के क्षय से होने वाली आत्म-उज्ज्वलता ।

निरवद (पृ० ५३)—पाप रहित ।

निर्विकल्प समाधि (पृ० ६८)—आयोगवस्था ।

निश्चय-दृष्टि (पृ० १३, २०, २८)—वास्तविक दृष्टि ।

निश्रेयस (पृ० ४)—मोक्ष ।

निषेध-वाक्य (पृ० ५४)—जिस वाक्य में कार्य का निषेध किया गया हो, वह ।

नील लेश्या (पृ० २४, २५, २६)—नील पुद्गलों के योग से होने वाला आत्मा का अध्यवसाय । अशुभ-अर्धम-अप्रशस्त लेश्या ।

नीहारिका (पृ० १७)—कुहरे या धुएँ की तरह आकाश में छाया रहने वाला प्रकाश-युक्त जो ग्रह-नक्षत्रों का उपादान माना जाता है ।

नैगम (पृ० ३)—सात नयों में पहला नय ।

पट्टावली (पृ० ५१)—गुरु-परम्परा का इतिहास ।

पद्म लेश्या (पृ० २४, २५, २६)—पीत वर्ण वाले पुद्गलों के योग से होने वाला आत्मा का अध्यवसाय शुभ-धर्म-प्रशस्त लेश्या ।

पर-तीर्थिक (पृ० ५३)—जैनेतर मतावलंबी ।

परमाणु (पृ० १०, १४, १५, १८, २१)—अविभाज्य पुद्गल ।

परमार्थ (पृ० ४३)—आध्यात्मिक, मोक्ष की इच्छा ।

पर्याय (पृ० ६, १३, ३२, ३६)—पदार्थ का वह धर्म जो सहभावी न हो ।

पान-पुण्य (पृ० ५१)—संयति मुनि को पान आदि देने से होने वाला पुण्य ।

पाप-धर्म (पृ० ३५)—दुराचार ।

पुद्गल (पृ० १०, १३, १४, १५, १८, २१, २४, ३२, ६३)—जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध और

वर्ण हो, वह ।

पुण्य दान (पृ० ५८)—पुण्य के लिए दिया जाने वाला दान ।

पुरुष (पृ० १०)—साख्याभिमत एक तत्त्व, जो समलैं क्रियाएँ करता है । परन्तु उनका फलोपभोग नहीं करता ।

पुरुषकार (पृ० १५)—पराक्रम ।

पूर्ण अक्रिया (पृ० ६८)—चतुर्दश गुण-स्थान की अवस्था ।

पूरण गलन (पृ० १४)—पुद्गल का लक्षण ।

पूर्ण संवर (पृ० ६८)—चतुर्दश गुण-स्थान में मन, वचन और काय योग के संम्पूर्ण

निरोध से होने वाला संवर ।

पौदगलिक (पृ० १४, १६, २०, २२, २३)—पुद्गल से बनी हुई वस्तु, भौतिक ।

प्रकृति (पृ० ६८, ६९, ७२)—साख्याभिमत एक तत्त्व, जो पुरुष (तत्त्व) को जन्म-मरण के चक्र में प्रेरित करता है ।

प्रकृति (पृ० १६)—कर्मों का समाव, वन्ध का एक भेद ।

प्रतिक्रमण (पृ० ३४)—जैन मुनि की एक आवश्यक क्रिया जो कि रात्रि के प्रथम मुहूर्त और अन्तिम मुहूर्त में की जाती है । इसके द्वारा आत्म-निरीक्षण और जान-आजान में हुए पाप-कर्मों का स्मरण और प्रायशिच्छ किया जाता है ।

प्रदेश (पृ० १६)—वस्तु का निरश अंश ।

प्रदेशोदय (पृ० २३)—कर्म के उदय की वह अवस्था, जिसका विपाक न हो, अनुभूति में आये वैसा परिणाम न हो ।

प्रबचन (पृ० ५४)—जैनागम ।

प्रागभाव (पृ० २०)—किसी कार्य-द्रव्य की उत्पत्ति से पूर्व कारण में जो उसका अभाव होता है, उसे प्रागभाव कहते हैं ।

प्राण (पृ० ३६, ४०)—जीवन-शक्ति ।

प्रायशिच्छ (पृ० २२, ३४)—अतिचार की विशुद्धि के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान ।

प्रेय (पृ० ३५)—भौतिक समृद्धि ।

वन्ध (पृ० १६, २१)—आत्म-प्रवृत्ति के द्वारा कर्म-पुद्गलों का स्त्रीकरण और आत्मा के साथ उनका एकीकरण ।

भय-दान (पृ० ५८)—भय वश दिया जाने वाला दान ।

भाव-अनुकम्भा (पृ० ५५)—आत्म-साधना के लिए मोह-रहित की जाने वाली अनुकम्भा ।

भाव-आहिंसा (पृ० ४०)—जिसमें आत्मा कर्म-मुक्त हो, राग-द्वेष रहित प्रवृत्ति, सधर ।

भाव-हिंसा (पृ० ४०)—जिस प्रवृत्ति से कर्म-वन्ध हो, राग-द्वेष युक्त प्रवृत्ति ।

भूत (पृ० ४०, ४१, ४२)—वृक्ष, लताएं आदि वनस्पति के जीव ।

महावत (पृ० ६६)—आहिंसा, सत्य, अस्तेष, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पूर्ण पालन ।

मूर्त्त-मूर्चिक (पृ० १४)—जिसमें रूप, रस, गन्ध, सर्पश आदि हो । अमूर्त्त का प्रतिपक्षी ।

मैथुन धर्म (पृ० ३५)—सम्मोग ।

मोक्ष (पृ० ४, १७, १८, ३३, ३४, ३६, ६६, ६८, ६९)—कर्मों का सम्पूर्ण नाश, सिद्धालय, मुक्ति ।

मोक्षार्थ दान (पृ० ५०)—मोक्ष की कामना से दिया जाने वाला दान ।

मोहनीय (पृ० २२)—वे कर्म-पुद्गल जो आत्म गुण—दर्शन और चारित्र का धार करते हैं ।

योग ऋजुता (पृ० ३३)—मन, वचन और काया की सरलता ।

लज्जा (पृ० ४०, ५०)—स्यम ।

लबण समुद्र (पृ० १६)—जम्बूदीप को परिवेषित करने वाला समुद्र ।

लोकाथात मर (पृ० ७)—वह दर्शन जो जीव, निवृत्ति, खर्ग, नरक, धर्म आदि को नहीं मानता ।

वाद (पृ० ५)—तत्त्व जिज्ञासा के लिए दो या उससे अधिक व्यक्तियों के बीच में जो कथा अर्थात् पक्ष और विपक्ष के रूप में विचार-विनिमय हो ।

वासना (पृ० १८, १९)—बौद्ध-सम्मत एक तत्त्व जो जैन-सम्मत 'कर्म' के निकट है ।

वितण्डा (पृ० ५)—जिस 'जल्प' में किसी भी पक्ष का स्थापन न किया जाय ।

विपाकोदय (पृ० २३)—जिस उदय में फल का अनुभव होता है ।

विराधक (पृ० ४)—जो व्यक्ति अपने दुष्कृत्यों का प्रायशिच्छत नहीं करता और उससे पहले ही मर जाता है ।

विस्तार-रूचि (पृ० ३)—जो व्यक्ति द्रव्यों के सभी भावों को सर्व प्रमाणों और सर्व नयों से जानता है, वह ।

धीर्य (पृ० १५, २३)—शक्ति ।

व्यावहारिक काल (पृ० १४)—सूर्य, चन्द्र कृत कालमान जिसके समय आवलिका, धंटा, वर्ष आदि विभाग हैं ।

व्यासि (पृ० ३)—नित्य साहचर्य ।

शुक्ल (पृ० २५)—योग-दर्शन में वर्णित कर्म की एक जाति । तपस्या, साध्याय तथा ध्यान में निरत लोगों के कर्म ।

शुक्र कृष्ण (पृ० २५)—योग-दर्शन में वर्णित कर्म की एक जाति । वाह्य साधनों से उत्पन्न साधारण लोगों के कर्म ।

शुक्र लेश्या (पृ० २४,२५,२६)—सफेद वर्ण वाले पुद्गलों के योग से होने वाला आत्मा का अध्यवसाय । शुभ-धर्म-प्रशस्त लेश्या ।

शुभ आयुष्य (पृ० ३१)—मुख-पूर्ण आयु, दीर्घ आयु ।

शुभ कर्म (पृ० ३३,३४)—जिस कर्म के द्वारा पुण्य का बन्ध हो ।

शुभ नाम कर्म (पृ० ३१)—जो नाम कर्म शुभ फलदायी हो ।

शुभ योग (पृ० ३३,३४)—मन, वचन और काया की शुभ प्रवृत्ति ।

शुभोपयोग (पृ० ३३)—आत्मा का शुभ व्यापार ।

श्रमण परम्परा (पृ० २६,२७,२८)—जैन और वैद्य परम्परा ।

श्रेयस् (पृ० ३,४,५)—आध्यात्मिक ।

श्रीत (पृ० ३) श्रुति—वेद में प्रतिपादित ।

सत्ययुग (पृ० ४१)—युग का एक विभाग ।

सहभावी गुण (पृ० ६)—सदा वस्तु के साथ रहने वाला गुण ।

समय (पृ० १५)—काल का अत्यन्त सूक्ष्म विभाग ।

समय हेत्र (पृ० १६)—जहाँ व्यावहारिक काल की स्थिति हो, मनुष्य हेत्र का अपर नाम ।

समवायी कारण (पृ० २०)—वह कारण जो पृथक् न किया जा सके, उपादान कारण ।

सम्यक्ल (पृ० २३)—यथार्थ तत्त्व-धदा ।

सराग संयम (पृ० ३३)—रागयुक्त संयम ।

सर्वधाती (पृ० २३)—कर्म का एक भेद, जो समस्त गुणों की धात करे ।

सर्वश (पृ० ६)—त्रिकालदर्शी ।

सहकारी (पृ० २१,२५)—सहायक ।

सहभावी पर्याय (पृ० ३६)—सहचर पर्याय ।

संचेप रूचि (पृ० ३)—जो व्यक्ति असत् मत या वाद में फँसा नहीं है और जो बीतराग के प्रवचन में विशारद भी नहीं है किन्तु जिसकी श्रद्धा शुद्ध है, वह ।

संवर (पृ० १६, १८, ३४, ३६, ५०, ६६)—नौ तत्त्वों में से एक तत्त्व जो कर्मों के प्रवाह को रोकता है ।

सात वेदनीय कर्म (पृ० ३१)—जिस कर्म से सुख की अनुभूति हो ।

सावध (पृ० ३६)—समाप ।

सूहम स्कन्ध (पृ० १६)—परमाणुओं का सूहम एकीभाव ।

स्कन्ध (पृ० १८)—परमाणुओं का एकीभाव ।

स्थावर (पृ० ३६, ७१)—पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, बनस्पति के जीव ।

स्वर्गेदन प्रत्यक्ष (पृ० ४)—मानसिक प्रत्यक्षानुभूति, आत्म-निश्चय ।

स्वाध्याय (पृ० ३८, ४७)—कालादि की मर्यादा से किया जाने वाला अध्ययन ।

ही (पृ० ४१)—दया का अपर नाम ।

परिशिष्ट : ३ :

शब्दानुसन्धान

आक्षेश ३८
आचेतन १६, २९
आछलना ४१
आजीव १३, १५, १६, १७, १८
आतीनिद्रिय ३, ६
आदृष्ट १८
आधर्म १६, ३२, ३३, ३४, ३६, ४७
आधर्म (आधर्मास्तिकाय) १०, ११, १२, १३, १४, १५
आधर्म लेख्या २५
आधर्मास्तिकाय १०, ११, १३
आध्यवसाय २४, २५, ३३
आनाध्यात्मिक ४६
आनन्द १४, १५, १८
आनभिद्रोह ३८
आनादि १६, २०, २१
आनित्य १०
आनुमान ३
आनुमोदन ३६
आनेक द्रव्य १५
आन्त्यज २६, २७
आन्रोद्धेत्र ५७
आपरिग्रह ३६
आप्रशस्त लेख्या २५
आभयदेव सूरि ३४, ४५
आभिद्रोह ३८
आमेदोपचार ३३

- अभौतिक ११
- अयोगी अवस्था ३४
- अरुपी २०
- अर्थ ३३ (चार पुरुषार्थों में पहला पुरुषार्थ)
- अलवर्ट आईन्स्टीन ११
- अलोक ११, १२, १३, १५
- अलोकाकाश १६
- अलौकिक ६०
- अवगाहगुण १३
- अवयव १४
- अवयवी १४
- अविभागी १४
- अशुम ३४
- अशुम कर्म ३४, ३६
- असत् ३२
- असंख्य १४, १५, १६
- असंयत ५२
- असंयति ४६, ५२, ५६, ६८
- असंयति-दान ४८, ५०, ५२, ५३, ५८
- असंयम ३८, ४२, ४७, ७०
- अस्तिकाय १४, १५
- अस्तित्व ६, ११, १२, २६
- अस्तित्वक्रम ६३
- अस्तेय ३६
- अस्त्यश्यता २६
- अस्मिता १२
- अहेतुगम्य ३
- आकाश १०, ११, १२, १३, १४, १५,

- आकाशास्त्रकाव्य १०
- आचार ३७
- आचाराग ३६, ४२, ४४, ४५
- आचार्य अभिमतगति ५६
- आचार्य मिल्लु ३४, ४१, ४२, ४४, ५३, ५५, ५८, ७१
- आचार्य मलयगिरी १२
- आचार्य विनोदा ५६, ७०
- आचार्य श्रीतुलसी ३६, ४७
- आचार्य हरिभद्र ५३
- आत्मधर्म ३६, ३८
- आत्मबाद ४८
- आत्म-स्वरण ४२
- आत्मा १, २, ७, ८, १०, १४, १८, १६, २०, २१, २५, ३१, ५०, ५२, ५४, ६४, ६५, ६६
- आत्मिक ६३
- आनुपज्ञिक ३६
- आस २
- आयु ३३, ३४
- आयुष्य कर्म ३१
- आस्तिकवाद १
- इन्द्रिय गोचर १२
- इन्द्रियतीत १२
- ईयर ११
- ईश्वर १८
- उल्कमण्ड ८
- चतुराध्ययन २५
- चदय काल २२
- उपग्रह १६
- उपचार ३३

उपनिषद्	५०
उपभोक्ता	६२
उपभोग	७
उपादान	१२,६८
उच्चगोत्र	३१,३२
एक द्रव्य	१५
एस जे सेन	५५
ऐन्ड्रियक	४
ओपचारिक	१३
ओपनिषदिक	४६
ओपाधिक	२४
कच्छ	७०
करुणा धर्म	६६
कर्तव्य	६०
कर्म परमाणु	५, १६, २१, ६८
कर्म पुद्गल	२१
कर्म फल	२१
कर्म्मेद	२७ (कार्यमेद)
कर्मवाद	१६
कलावती	१
कवि भोजयति	६
काएट	६४
क्रान्तदर्शी	६७
काम	३३ (दूसरा पुरुपार्थ)
कार्यकारणभाव	१८
कालमाकर्त्ता	७, ८
काल	१०, १३, १४, १५, १६, १८, १९, २०, २१, २२
कालाणु	१५

- कुन्दकुन्दाचार्य ३४
 कुमारिल भट्ट १०
 कुलाचार ३७
 कृष्ण ३६
 कृष्णि ३८, ७०, ७२
 क्षेत्रशमूल ३३, ३४
 क्षत्रिय २६, २८, २९
 क्षय २२, २३, २४, २५
 क्षयोपशम २२, २३, २४, २५
 क्षायोपशमिक २५
 खेती ६८, ७०, ७१, ७२
 गन्ध १०, १४, २४, ३१
 गर्दभालि ४१
 गीता ३४, ३८
 गीता रहस्य ३५
 गुजरात ३०
 गुण ६, १८, १६, २२, २३
 गुणमात्रिक ७१
 गोप्र कर्म ३०, ३१, ३२, ३४
 गोदान ४८, ६६
 गौतम १०, ११, १२, १३, १४, १५
 गौतम मृष्टि २१
 चन्द्र (चाँद) १६, २३
 चाण्डाल २७
 चार्वाक ८
 चेतन १६, २४
 हृष्णाशूत्र २७, २८
 जड २१, २४

- जाति ५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३, ३४
 जातिकाद २६, २७, २८, ३०
 जीव ११, १२, १३, १४, १६, १७, १८, २०, २१, २४, ३३
 जीव-दया ६६
 जीवन-मुक्ति ६८
 जीव-राशि १६
 जीवात्मा १५, १८, १९, २०, २१, ३१
 जीवास्तिकाय १०, १८
 जुगुप्ता ४० (दया का नाम)
 जैन २८, ३०, ३५
 जैन आगम ४८
 जैन आचार्य ४४
 जैन दर्शन ८, १०, १३, १५, १६, २१, २२
 जैन परम्परा ४७
 जैन शास्त्र १४, ४४
 जैन संघ ५१
 जैन साहिल ५८
 जैन सिद्धान्त दीपिका ४७
 जैन सूत्र ३५, ५०
 जैनी ७०
 जैनी हण्ठि ३४, ५०, ५८, ७०
 जैनेन्ड्र प्रवचन ४६
 जान ४२
 जानदान ४१, ४२, ५३
 जानावरणीय कर्म २२
 ज्येष्ठ तारा २७
 ढां० ग्रेग ५५
 दार्द दीप १६

- तत्त्व ८,१७
 तत्त्व चर्या १
 तत्त्वचिन्ता ५४
 तप ३६,४१
 तमीगुण २५
 तर्क ४,५,६,८
 तर्कगास्त्र ५,१२
 ताप १४
 तारा १६,१७
 तितिज्ञा ४१
 तेरापन्थ ६६,७०,७१
 त्याग ३६,४८,६४
 त्याग ४२,४३
 त्यागमय दान ४२
 त्यागस्तु दान ५८
 शास्त्रिक १०
 शिक्षण त्रियोग ४२
 श्रेता ३७,४१
 दया ३८,३९,४०,४१,४२,४३,४४,५१
 दान ४१,४२,४३,४४
 दर्शन दृष्टि २३,३६
 दर्शनावरण कर्म २२
 दलिक कर्म २२,२३
 दर्शकालिक ३६,५१
 दानधर्म ४१
 दार्शनिक ३,७,८,१०
 दार्शनिक ग्रन्थ ३
 दार्शनिक परम्परा २

- दार्शनिक युग ३,४
 दिव्य चक्र ६
 दुर्गति २५
 दुष्कृति ३४
 देशधाती २३
 देश धर्म ३६
 द्रव्य ३,६,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,२२,२३,२४,४४
 द्रव्याचारन्वाद ६
 धर्म दर्शन १,६,८
 धर्म मार्ग प्रद
 धर्म लोक्या २५
 धर्म शास्त्र ५६
 धर्म संग्रह ३६
 धर्म सहिता ५६
 धर्मात्मा ३६
 धर्माध्यक्ष ३५
 धर्मार्थ हिसा १,४५
 धर्मसिन ३५
 धर्मात्मिकाय १०,११,१३,१६,१८
 धर्मी ३५,३६
 नन्दी ५१
 नाम कर्म ३१,३४
 नास्तिक ५,७
 निकाल्चित कर्म २२
 नित्य १०
 नित्य सत्तावाद ६
 नित्यानित्यत्व वाद १०
 निदिष्यासन ४

- निमित्तकारण १२
 नियन्ता २१
 निरन्तरप्राप्तिक ८
 निश्चयण ३
 निन्दकम् २२
 निष्टुति ६२,६६
 निपिद ५६
 निपिदकर्म ३४
 नीच गोव्रकर्म ३१,३२
 नीमि ६२,६७,६८,६९
 नील १६, यह सम्बन्धान्तरी ? ।
 नेमीचन्डालार्य ३३
 नेतिक उद्धता ६४
 नेयायिक ८, १०
 न्याय (दर्शन) १३, १८, ५१
 न्यूटन १९
 पचासिकाम १६
 परित्त सुखलालजी ६६
 पट्टम पुगाण ४१
 पद्म लेश्या २४, २५, २६
 परतः ४१
 परसीधिक ५३
 परमाण ४१
 परमषद ३६
 परमार्थचिता ४५
 परलोक ३४, ६५
 परमुखाभासा ४२
 परिमर्द ३६

- परिणामिनित्य १०
 परिणामिनित्यवाद ६, १०
 परिपाक १८, २१
 परिमण्डल १४
 परिवर्तनवाद ६
 परीक्षा ३, ४, ५, ८
 परीक्षाविधि ६
 परोक्त ३
 परोपकार ४१, ५५
 पशुधर्म ३६
 पातङ्गलयोग २५
 पातङ्गलयोग भाष्य २२
 पात्र ५८
 पाप १६, १८, ३२, ३३, ३४, ४८, ५८, ५४, ७२
 पाप कर्म ४८
 पारलौकिक ६१
 पार्थसार मिश्र १०
 पितृपक्ष ३२
 पितामह भीषम ३७, ५६
 पुण्य १७, १८, ३२, ३३, ३४, ४४, ४७, ४८, ५१, ५२, ५४, ५५
 पुण्य कर्म ५०
 पुण्य बन्ध ३३, ३४
 पुण्य सौक ५०, ५१
 पुण्य हेतुक ३३, ५०
 पुण्यार्थ दान ४८, ५१, ५८
 पुद्गल द्रव्य २५
 पुद्गल परिणाम २०
 पुरवर धर्म ३६

- पूर्णगमार्थि ३४
 पूर्ति २०,५२
 पीदगतिकता १६
 प्रजापति ४३
 प्रशापना २५
 प्रत्यक्ष ६
 प्रत्याख्यान ७१
 प्रदेशी राजा ५४,५५
 प्रमाण ४,६
 प्रवृत्ति ६८,६९,७२
 प्रह्ल व्याकरण ४४
 प्रह्ल व्याकरण संक्ष. ३६,४४
 प्रसाद ४२
 प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली ५४
 प्राग् ऐतिहासिक युग ४४,५०
 प्राच्य वर्णन १७
 प्राणरक्षा ४७
 प्राणविवोजन ४७
 प्राणीरक्षा ३६
 प्राणैपणा ६४
 प्राचिक २२
 प्रारब्ध १६
 घाग्ह व्रती धावक ७०
 घील १८,२६,३५,
 घील दर्शन १३
 ग्रन्थ ६,२६
 ग्रन्थचर्च ३६
 ग्रहनिष्ठ ४६,५०

- ब्राह्मण २६, २८, २९, ३०
 ब्राह्मणकुल २९
 ब्राह्मणदान ५८
 ब्राह्मणपरम्परा २६
 भगवती ४०
 भगवती अहिंसा ४५
 भगवान् ऋषभनाथ ५८, ७२
 भगवान् पार्श्वनाथ ३
 भगवान् महावीर ५, ६, ११, १२, १३, १४, १५, २६, ३४, ३८, ४०
 भरत १७
 भारत ४४
 भिक्षानिरोधविधि ४४
 भूमिदान ४८, ६६
 भूवलय १६
 भृगु पुरोहित ६६
 भौग ३३, ३४, ६२, ६३, ६४
 भोगमयदान ४२
 भौतिक २०
 भौतिक दर्शन १३
 मण्डन मिश्र ६
 मतवाद ५, ६, ३५
 मनुष्यक्षेत्र १६
 मनुष्यलोक १६
 मनुस्मृति ३६
 मनुस्मृतिकार ७०
 मलयगिरी ५, ३
 महर्षि पतञ्जलि १०, ३४
 महर्षि व्यास ५

- महारामा गाधी ३८,५७,६८,७०
 महारामा टालस्टाय ३७
 महारमा बुद्ध २,५,२६,३८
 महामारत ३३
 महाहिंसा ७०
 मातृपक्ष ३२
 मातृस्थानीय ३२
 मानस रोगी २४
 मार्सल प्रमेलीकरण ५५
 मिथ्याल ४
 मुक्त अवस्था २३
 मुक्त जीव २०
 मुक्ति ३६,४६
 मुनिधर्म ४०,५८,५९
 मूर्तिक १४
 मैटर १३
 मैत्री ४२ (अहिंसा ४३)
 मैत्रेयी ३५
 मोक्षधर्म ३६,३७,३८,४०,४६
 मोक्षमार्ग ४२,४३,४८,५३,५५
 मोक्षोचित २१
 मोह ४०
 मोहकर्म २५
 यशहिंसा ५५
 यथार्थ शाता २
 यथार्थ द्रष्टा २
 यथार्थ वक्ता २
 यथार्थ वक्तुल २

- याशिक पक्ष ४६
 युक्तिमद् ५
 युगमान ३७
 युधिष्ठिर ६
 योग (चिकित्सा) प्रणाली २४
 योगसूत्र ३३
 रक्षा ४०
 रजोरुण २५
 रक्तप्रभसूरि २८
 रस १०, १४, २४, ३१
 राजधर्म ५५
 राजनीति ३७, ६८
 राजर्पि ६५
 राजस्थान ३०, ७१
 राज्यधर्म ३६
 रासायनिक विज्ञान ६
 रीति रिवाज ३५, ३६
 रूप १०, १४, ३१
 रूपी २०
 लक्षण ३२
 लक्ष्य ३३, ३४, ३५
 लविष्ठ २२
 लाघव ३६
 लेवाजियर ६
 लेश्या २४
 लोक ११, १२, १५, १६, १८
 लोक आकाश १५, १६
 लोकदया ४७

- लोकहृषि ४७
 लोकप्रमाण ११,१३
 लोकप्रभित २६
 लोकमान्य तिलक २,३७,५५
 लोकव्यवस्था ३७
 लोकव्यापित्व १४
 लोकानुकरण ७२
 लोकोत्तर ४२,४३,४८,५८
 लोकोत्तर दया ४५
 लोकोत्तर धर्म ३६,५७
 लोहित २५
 लौकिक ३५,४२,४३,४८,५६,५८,६०
 लौकिक अभ्युदय ३५
 लौकिक दया ४५
 लौकिक धर्म ३६,५५
 वर्ण २४
 वर्णव्यवस्था २८,३०
 वर्णार्थम व्यवस्था ३५
 वर्तुल १४
 वाचकपद १२
 वाणिज्य ७२
 वास्तविक हृषि २८
 विज्ञानमय आत्मा ५
 विज्ञानवादी १७
 विधिनियेषात्मक ३८
 विधवाक्य ५४
 विपाक १६ बन्ध, एक स्थिति २१,२३,२६
 विभक्ति १८

- विश्व चिकित्सा सघ ५५
 विषणुभाव ३८
 विषयैषणा ६४
 विहित ५८
 वीतराग २
 वीरनिर्वाण ५१
 वृहस्पति ७
 वेदनिन्दक ५
 वेदवाणी ५
 वेदान्त ३४
 वेदान्ती ६, १८
 वैदिक ३५, ५०
 वैदिक निश्कार ८
 वैदिक शास्त्र १७
 वैदिक साहित्य ५८
 वैशेषिक ८, १०, १३, १८
 वैश्य २६, २७, २८, २९
 वैश्यकुल २८
 वैश्यधर्म २६, २७, २८, २९
 व्यय ६
 व्यवहारदृष्टि १३, २८, २९
 व्यवस्थाकर्म ३७
 व्यवहित १६
 व्यावहारिक अहिंसा ४७
 व्यावहारिक दान ४२, ५८
 व्यावहारिक धर्म ३६, ३७
 व्युत्पत्तिमान् १२
 शक २८

शब्द १४, १५, ३१
 शम्या सत्तारक ४८
 शल्य ६५
 शरीरसुक्ति ६८
 शकराचार्य ६, ६६
 शान्ति ३६
 शिल्य २८, २९
 शीलाकाचार्य ४२, ४४
 शुकाचार्य ३७
 शुद्ध लेश्या २४, २५
 शुद्धोपयोग ५०
 शुभ परिणाम ३२
 शुद्ध १६, २८, २९, ३०
 शेलेशी अवस्था ५०
 बद्धा ३, ४, ५
 ब्रह्म ५७
 ब्रह्मण ४८, ५८
 ब्रह्मण सघ ४८
 ब्रावक ४८, ५२, ५३
 ब्रावकधर्म ५८, ५९
 श्रुत ३६
 श्रुति ५, ६
 श्रेणी धर्म ३६
 श्रेयस् कुमार ५८
 श्वास १४
 श्वेतकेतु ३७
 श्वेताभ्यर परम्परा १३
 पद् द्रव्यात्मक १६, १८

- सचेतक २१
 सजातीयता ६
 सत् ६, १८, १९, ३२
 सत्तारूप उपशम २३
 सत्त्वगुण २५
 सत् प्रतिपक्ष १२
 सल १, २, ४, ६, ६८
 सदावर्त ४७
 समभाव ३८
 समाज नीति ३७, ६७
 समाज व्यवस्था २६, ४३, ४४, ५६, ५७, ५८, ६१, ६५, ६६, ६७
 समाजशाला ४८, ६५
 समाजशाली ४२, ४३, ५६, ५७
 समाजाभिमत ४८
 समिति ६६
 सम्पूर्ण हृषि ४
 सराग सथम ३३
 सर्व परिग्रह ५६
 सर्व भूत छेमंकरी ५
 सर्व सवर ५०
 सर्वसाधारणतया ३६
 सर्वारम्भ ५६
 सर्वावरण २३
 सहचरित्व ५०
 सहभावी ५०
 सहभावी गुण ६
 सहेतुक १८
 संस्कारा ७८

स्थायित्व १४
 स्पर्धक २३
 स्पर्श १०, १४, २४, ३१
 स्मृश्यता २६
 सूति ५
 सृष्टिकार ३६, ४०
 स्वतः ४१
 समाव ३६
 समावसिद्ध ६
 सं सिद्धान्त ४
 सूत्र कृताग ४६, ४८
 हरिमद्र सूरि ८
 हिरण्यदान ४८
 हिसनीय ४३
 हिंसा ३८, ३६, ४२, ४४, ४७, ५४, ६७, ६८, ७०, ७१
 हिंसायुक्त दया ४२
 हृण २८
 हेतु ४, १८, २१, ४७
 हेतुगम्य ४
 हेतुवाद ४
 हेमचन्द्र ४०, ७२



